S. NO.
74-B

K-75

CS CamScanner

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. एम. पी. सी. 40.

मध्यप्रदेश रा

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मई 1975--ज्येष्ठ 1

सिंचाई विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 1975.

क्र. 1-1-सा-73-33.—मध्यप्रदेश इरींगेशन एक्ट, 1931 (क्र. 3 सन् 1931), की धारा 92 तथा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम, जिन्हें कि उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है तथा जिनकी एक प्रतिधारा 92 की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, दिनांक 24 अप्रैल, 1975 को मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर रख दी गई है, बनाती है, अर्थात् :—

S. NO. 74-B

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CS CamScanner

...रूप नियम

...ा अध्याय—प्रारंभिक

...ा संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 है.

...ों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

...नियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश इरिगेशन एक्ट, 1931 ...मांक 3, सन् 1931);

...ाली गन्ना" से अभिप्रेत है गन्ने की वह किस्म जो साधारणतः ... सितम्बर से 30 नवंबर तक की कालावधि के दौरान बोई जाती है और उसकी बुआई के कम से कम 14 मास के पश्चात् कटाई के लिये तयार हो जाती है और जिसके लिये बुआई के पश्चात् आने वाले वर्ष की 15 जनवरी के पहले प्रथमबार पानी देने की आवश्यकता होती है;

(ग) "आबी दर" से अभिप्रेत है नहर राजस्व की वह रकम, जो कृषक द्वारा एक एकड़ भूमि पर एक फसल के हेतु नमी और तालाब के तल में एकत्रित सिल्ट के उपयोग के लिये देय है;

(घ) "खण्ड" से अभिप्रेत है कतिपय विनिर्दिष्ट भूमि का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें खण्ड पद्धति लागू की गई है;

(ङ) "बनिहार" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उपखण्डीय अधिकारी या नहर डिप्टी कलेक्टर द्वारा खेत में के निकास (आउटलैट) से बाहर के प्रत्येक खेत में तथा दिन प्रतिदिन जल के वितरण के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये नियुक्त किया गया है;

(च) "नहर डिप्टी कलेक्टर" से अभिप्रेत है किसी क्षेत्र में सिंचाई खण्ड (डिवीजन) का प्रभारी नहर डिप्टी कलेक्टर;

(छ) "कार्यपालक यंत्री" से अभिप्रेत है किसी क्षेत्र में सिंचाई खण्ड का प्रभारी कार्यपालक यंत्री;

(ज) "फल खण्ड" से अभिप्रेत है ऐसा खण्ड जिसमें दीर्घावधि वाले फलों के वृक्षों की सिंचाई की अनुज्ञा दी गई है;

(झ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ञ) "उद्यान खण्ड" से अभिप्रेत है ऐसा खण्ड जिसमें गन्ना, पान या दीर्घावधि वाले फलों के वृक्षों को छोड़कर अन्य फसलों की पूरे वर्ष तक सिंचाई की अनुज्ञा दी गई है;

(ट) "खरीफ फसल" से अभिप्रेत है ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु के आगमन से शीत ऋतु के प्रारम्भ होने की कालावधि के भीतर में उगाई जाती है. (अर्थात् दिनांक 15 जून से 30 नवम्बर तक) साधारणतः इसके अन्तर्गत निम्नलिखित

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भो...

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

फसलें आती हैं—चावल, राजिका, संजी, अफीम, गांजा, तम्बाकू, कपास, ज्वार, बाजरा, चाए, कोदों, संवा, मोठ, मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का, सन, तिल्ली तथा सिंघाड़ा आदि;

(ठ) "बारहमासी फसल" से अभिप्रेत है ऐसी फसल जिसकी आठ मास से अधिक की कालावधि तक लगातार सिंचाई की जाती है;

(ड) "भू-खण्ड" से अभिप्रेत है सिंचाई के प्रयोजन के लिये दो या अधिक भागों में विभाजित किसी भूमि के उन भागों में से कोई एक भाग ;

(ढ) "रबी फसल" से अभिप्रेत है ऐसी फसल जो 15 सितम्बर से ठीक आगामी फरवरी मास के अन्त तक की कालावधि के भीतर उगाई जाती है. साधारणतः इसके अन्तर्गत गेहूं, तिलहन (तिल्ली को छोड़कर), अरहर, चना, मटर, मसूर चरी, आलू और बटरा आदि;

K-75

(ण) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(त) "अनुभाग अधीनस्थ" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो सिंचाई विभाग के किसी अनुभाग का प्रभारी हो.

(थ) "उपखण्डीय अधिकारी" से अभिप्रेत है किसी क्षेत्र में सिंचाई का प्रभारी उपखण्डीय अधिकारी जो कार्यपालन यंत्री के अधीनस्थ हो ;

(द) "निमज्जित तालाब" (सबमर्जिंग टैंक) से अभिप्रेत है रबी की खेती के लिये तालाब के तल में की भूमि को नमी पहुंचाने के लिये जल के भण्डारकरण के हेतु राज्य सरकार द्वारा सन्निर्मित अनुरक्षित तथा नियंत्रित कोई तालाब जो प्रतिवर्ष अक्टूबर के अन्त तक खाली कर दिया जाता हो;

(ध) "गन्ना खण्ड" से अभिप्रेत है ऐसा खण्ड जिसमें गन्ने की सिंचाई की अनुज्ञा दी गई है;

(न) "अधीक्षण-यंत्री" से अभिप्रेत है किसी क्षेत्र में सिंचाई वृत्त का प्रभारी अधीक्षण यंत्री;

(प) "थोक" से अभिप्रेत है किसी विशिष्ट चक के सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र के भीतर के लगे हुए खेतों का एक समूह, जिसका अवधारण हिताधिकारियों द्वारा स्वयं किया जायगा;

(फ) "थोकदार" से अभिप्रेत है कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति जिसका चयन थोक के स्थायी धारकों द्वारा अपने में से इस हेतु किया गया हो कि वह उस थोक के भीतर, जिसके लिये कि उसका चयन किया गया है, दिन प्रति दिन जल के वितरण का प्रबन्ध करें;

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

(ब) "वर्ष" से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष की एक जुलाई को प्रारम्भ होने वाला तथा उससे अगले कैलेण्डर वर्ष की तीस जून को समाप्त होने वाला वर्ष.

3. चालू बन्दोबस्त के समय बहरा, या झिलन या चाही या जौर या आबी या अडान के रूप में वर्गीकृत भूमि तथा बन्धवास, नरबंधवा तगार बंधिया, या तलास के रूप में पूर्णतः वर्गीकृत खसरा क्रमांकों को अधिनियम की धारा 9 के प्रयोजन के लिये आर्द्र भूमि समझा जायगा.

4. ऐसे खसरा क्रमांक जिनका चालू बन्दोबस्त में वर्गीकरण अंशतः बहरा, झिलन या चाही, या जौर, या आबी या अडान या बंधवास या नरबंधवा या तगार बधिया या तलास के रूप में किया गया हो आर्द्र घोषित की जा सकेगी.

धारा 21. 5. मुख्य अभियंता ऐसे समस्त अधीनस्थ प्रभारों की जिनमें कोई उपखण्ड विभाजित किया गया हो सीमाएं निश्चित करेगा.

6. अधीनस्थ प्रभारों पर नियुक्त किये जाने वाले नहर अधीनस्थ निम्नलिखित होंगे :—

(1) सिंचाई निरीक्षक,
(2) अनुभाग अधीनस्थ, तथा
(3) अमीन.

मुख्य अभियंता इनमें से किसी भी अधीनस्थ को ऐसे एक या अधिक प्रभारों का प्रभारी नियुक्त कर सकेगा.

7. मुख्य अभियन्ता नियम 5 तथा 6 के अधीन की अपनी शक्तियों में से किसी भी शक्ति को अधीक्षण यंत्री या कार्यपालन यंत्री को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

धारा 93(सी) के साथ पठित धारा 23 तथा 24. 8. अपील या पुनरीक्षण के लिये की गई प्रत्येक याचिका के साथ उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध आपत्ति उठाई गई है, जब तक कि आदेश की प्रति प्रस्तुत करने से छूट न दे दी जाय, एक प्रमाणित प्रति संलग्न की जायगी.

9. (1) अपील प्राधिकारी या तो अपील स्वीकार कर सकेगा या अभिलेख की जांच करने के पश्चात् उसे संक्षेपतः नामंजूर कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी अभिलेख की जांच करने के लिये बाध्य नहीं होगा, यदि अपील कालातीत हो या अपील न हो सकती हो.

(2) यदि अपील ग्रहण कर ली जाय तो सुनवाई के लिये कोई तारीख नियत की जायेगी तथा प्रत्यर्थी पर उसकी सूचना की तामील की जायगी.

(3) पक्षकारों की, यदि वे उपस्थित हों, सुनवाई के पश्चात् अपील प्राधिकारी :—

(क) उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा;

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

(ख) ऐसा और अन्वेषण किये जाने का या ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे; या

(ग) वह स्वयं ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, या

(घ) मामले को ऐसे निर्देशों सहित जैसे कि वह उचित समझे, निपटारे के लिये प्रतिप्रेषित कर सकेगा.

10. (1) यदि कोई अपील ग्रहण कर ली जाये तो अपील प्राधिकारी अपील का परिणाम लंबित रहने तक उस आदेश का, जिस पर से कि अपील की गई है, निष्पादन रोक देने का निर्देश दे सकेगा.

(2) कोई राजस्व अधिकारी या नहर अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद में उत्तरवर्ती अपील के लिये विहित कालावधि समाप्त होने के पूर्व, यदि कोई अपील फाइल न की गई हो, किसी भी समय ऐसे आदेश का निष्पादन रोक देने का निर्देश दे सकेगा.

(3) यदि उपनियम (1) या (2) के अधीन किसी आदेश का निष्पादन रोक दिया गया हो, तो ऐसी प्रतिभूति ली जा सकेगी, या ऐसी शर्तें अधिरोपित की जा सकेंगी जैसी कि अपील प्राधिकारी या राजस्व अधिकारी या नहर अधिकारी उचित समझे.

11. अपील या पुनरीक्षण के लिये कोई याचिका अपील प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी या दी जायेगी :

परन्तु नहर डिप्टी कलेक्टर, उपखंडीय अधिकारी या कार्यपालक यंत्री को धारा 47 के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध की गई ऐसी कोई भी याचिका रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अग्रेषित की जा सकेगी, और ऐसे मामले में परिसीमा उसको डाक द्वारा भेजने की तारीख से मानी जायगी.

12. लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के सिवाय, कोई भी नहर अधिकारी अपने प्रभार की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी भी स्थान पर किसी भी मामले में जांच नहीं करेगा. धारा 23 (7), 25 और 93.

13. राज्य सरकार या मुख्य अभियंता किसी मामले को या मामलों के किसी भी वर्ग को किसी नहर अधिकारी से किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकेगा.

14. नहर अधिकारी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा उद्भूत होने वाले किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग को किसी भी नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ को, जो उसके अधीनस्थ हो तथा ऐसे मामले या मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सक्षम हों, जांच या विनिश्चय के लिए सौंप सकेगा, या किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग को, किसी ऐसे नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ से वापिस ले सकेगा और ऐसे मामले या मामलों के किसी वर्ग के संबन्ध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा, या उन्हें ऐसे किसी अन्य नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ को निबटारे के लिये निर्दिष्ट कर सकेगा:

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.[illegible]
भोपाल
CS CamScanner

परन्तु जब किसी नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ द्वारा किसी मामले की जांच के पश्चात् उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ को अंतिम आदेश के लिये प्रस्तुत की जाय तो ऐसा वरिष्ठ नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ अन्तिम आदेश देने के पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा.

15. किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिये तब तक अपेक्षित नहीं किया जायगा :—

(क) जब तक कि वह नहर अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न रहता हो; या

(ख) ऐसी सीमाओं के बाहर किन्तु ऐसे स्थान पर न रहता हो, जो 50 मील से कम दूरी पर स्थित हो या ऐसे स्थान से, वह स्थान जहां वह रहता हो, और उस स्थान के जहां उसे उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, बीच की दूरी के 5/6 भाग में रेल व्यवस्था या अन्य कोई स्थापित लोक वाहन व्यवस्था हो, दो सौ मील से कम दूरी पर स्थित न हो.

16. किसी भी ऐसे व्यक्ति को, स्वयं हाजिर होने के लिये अपेक्षित नहीं किया जायगा, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 132 या धारा 133 के अधीन स्वयं अपनी हाजिरी से छूट दी गई हो.

17. ऐसे व्यक्ति को जिन्हें जांच के समय हाजिर होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, दिये जाने वाले भोजन व्यय में ऐसा यात्रा व्यय, यदि कोई हो, जो ऐसे व्यक्ति को उपगत करना पड़े सम्मिलित किया जायगा. यह भुगतान ऐसी दरों पर और ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार किये जायंगे, जो कि मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अधीन किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में साक्षियों के लिये किये जाने वाले भुगतानों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त नियमों में अधिकथित किये गये हों.

18. प्रत्येक सूचना दो प्रतियों में होगी, तथा उस पर उसे जारी करने वाले अधिकारी के या ऐसे व्यक्तियों के जिसे कि वह (अधिकारी) इस संबंध में सशक्त करे हस्ताक्षर होंगे और उसकी मुद्रा लगी होगी, तथा उसमें वह समय तथा वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जायगा जब और जहां बुलाये गये व्यक्तियों को हाजिर होने के लिये कहा गया हो तथा यह बात भी विनिर्दिष्ट की जायेगी कि उसे साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित किया गया है.

19. प्रत्येक सूचना ऐसे व्यक्ति को जिस पर कि वह तामील की जानी हो या उसके प्राधिकृत एजेन्ट को उसकी एक प्रति देकर, या सौंपकर या ऐसी प्रति डाक द्वारा एक लिफाफे में इण्डियन पोस्ट आफिस एक्ट, 1898 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करके तामील की जा सकेगी या यदि उपर्युक्त रीति में तामील न की जा सके तो उसकी एक प्रति उक्त व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर या ऐसे गांव या गावों में जिनसे जांच संबंधित हो, किसी सार्वजनिक स्थान पर चिपकाकर की जा सकेगी

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई
लोक सूचना अधिकारी कार्यालय ... पी.आई.एम.
CamScanner

20. यदि नहर अधिकारी के समक्ष विचाराधीन जांच के संबंध में कोई पक्षकार सुनवाई के लिये नियत तारीख को हाजिर न हो तो उसकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई की जा सकेगी और उसे अवधारित किया जा सकेगा, या उस व्यतिक्रम के कारण खारिज किया जा सकेगा.

21. (1) नहर अधिकारी उसके समक्ष मामले या कार्यवाही की सुनवाई समय-समय पर स्थगित कर सकेगा.

(2) किसी मामले या कार्यवाही की स्थगित सुनवाई का स्थान स्थगन करते समय ऐसे पक्षकारों तथा साक्षियों को सूचित किया जायगा जो कि उस समय उपस्थित हों.

22. (1) नहर अधिकारी के समक्ष किसी मामले में या कार्यवाही पर, जिसका विनिश्चय उसके गुण दोषों के आधार पर किया गया हो, नियम 20 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी अन्यथा नहीं.

(2) वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध उप-नियम 20 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो, अधिनियम में अधिरोपित किये गये निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे आदेश के किये जाने के 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश को इस आधार पर अपास्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा कि वह पर्याप्त कारणवश सुनवाई के समय हाजिर नहीं हो सका था, और नहर अधिकारी संबंधित अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, दिये गये आदेश को अपास्त कर सकेगा.

23. नहर अधिकारी किसी मामले में या कार्यवाही में उपगत हुए व्यय को ऐसी रीति में तथा ऐसी सीमा तक जैसी कि वह उचित समझे दे सकेगा तथा विभाजित कर सकेगा परन्तु कोई भी व्यय उन मामलों या कार्यवाहियों में जो सरकार के प्रशासनिक या वित्तीय हितों में किया गया हो, उद्ग्रहीत या अधिनिर्णित नहीं किया जायेगा.

24. अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी नहर अधिकारी के समक्ष इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन समस्त हाजिरियां आवेदन पत्र तथा किये जाने वाले पक्षकारों द्वारा स्वयं या उनके मान्यता प्राप्त अभिकर्त्ताओं द्वारा या जब मामला किसी आयुक्त के समक्ष हो तो उनकी ओर से कार्य कर रहे किसी विधि व्यवसायी द्वारा दिये और किये जा सकेंगे.

25. नहर पद्धति के संरक्षण का, नहर पद्धति का सन्निर्माण किये जाने के धारा 35 पूर्व प्रथम संयुक्त निरीक्षण उपखण्डीय अधिकारी (सिंचाई) और, या तो नहर पद्धति के सन्निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि के अर्जन की कार्यवाही करने के लिये प्रतिनियुक्त किये गये राजस्व अधिकारी या कलेक्टर द्वारा प्रतिनियुक्त किये गये राजस्व अधिकारी द्वारा किया जायेगा.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

26. यातायात के आर पार जाने (क्रासिंग) के लिये नहरों तथा शाखा नहरों पर सामान्यतः औसतन दो मील की दूरी पर तथा सहायक नहर पर तथा छोटी सहायक नहर पर औसतन 1½ मील की दूरी पर व्यवस्था की जायेगी:

परन्तु विशेष मामलों में इस प्रकार आर पार जाने की व्यवस्था ऊपर वर्णित दूरी से कम दूरी पर भी की जा सकेगी.

27. विद्यमान खेत में की जल सरणियों के संरेखण पर सामान्यतः सिंचाई क्रासिंग की व्यवस्था की जायेगी किन्तु जहां किसी घाटी के एक पार्श्व में किसी विद्यमान तालाब से निकलने वाली एक से अधिक जल सरणियां हों वहां सामान्यतः केवल एक क्रासिंग का सन्निर्माण किया जायगा.

28. निरीक्षण उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से घटनास्थल पर ही किया जायेगा. पार्श्वस्थभूमि के निवासियों के साथ परामर्श के लिए एक बैठक बुलायी जायेगी तथा उनके द्वारा दिये गये सुझाव संक्षिप्त रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और उन पर विचार किया जायेगा. तत्पश्चात् दोनों अधिकारी यह विनिश्चय करेंगे कि उनकी राय में क्रासिंग की व्यवस्था कहां की जानी चाहिये तथा वे संयुक्त रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में तैयार करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय. ऐसा प्रस्ताव, जिस पर कि विचार किया गया हो, प्ररूप 1 में पृथक् रूप से प्रविष्ट किया जायेगा.

29. संयुक्त रिपोर्ट उपखण्डीय अधिकारी (सिंचाई) द्वारा कार्यपालक यंत्री को प्रस्तुत की जायेगी, जो उसमें टिप्पणी तथा सिफारिश प्रविष्ट करने के पश्चात् उसे कलेक्टर को अग्रेषित करेगा.

30. यदि कलेक्टर कार्यपालक यंत्री की सिफारिश से असहमत हो तो वह इस तथ्य को मूल रिपोर्ट में अभिलिखित करेगा और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह यह समझे कि और जांच आवश्यक है, तो वह या तो स्वयं जांच करेगा या किसी राजस्व अधिकारी को इस हेतु प्रतिनियुक्त करेगा कि वह संयुक्त रूप से उपखण्डीय अधिकारी (सिंचाई) के साथ जांच करे तथा रिपोर्ट करे. यह जांच उसी रीति में की जायेगी जिस रीति में कि मूल जांच की गई थी तथा पूरक रिपोर्ट उपखण्डीय अधिकारी (सिंचाई) द्वारा कार्यपालक यंत्री को तथा कार्यपालक यंत्री द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी.

31. कलेक्टर ऐसे संकर्मों के संबंध में जिन्हें वह आवश्यक समझे अपना अनुमोदन अभिलिखित करने के पश्चात् रिपोर्ट कार्यपालक यंत्री को वापस कर देगा.

32. कार्यपालक यंत्री उन संकर्मों के संबंध में, जिनके संबंध में वह कलेक्टर की राय से सहमत होने में असमर्थ रहा हो कलेक्टर की मार्फत अधीक्षण यंत्री को रिपोर्ट करेगा. यदि अधीक्षण यंत्री, कार्यपालक यंत्री से सहमत हो, किन्तु कलेक्टर से सहमत न हो तो वह मामला आयुक्त को अग्रेषित करेगा. यदि आयुक्त अधीक्षण यंत्री की राय को स्वीकार न करे तो वह उस मामले को, शासन सचिव, सिंचाई विभाग को आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

33. जब किसी नहर पर अपेक्षित समस्त कार्सिंग की स्थिति के संबंध में अंतिम विनिश्चय कर लिया जाये तो कार्यपालक यंत्री, दो प्रतियों में रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे समस्त मामलों को सम्मिलित किया जायेगा समस्त जिन पर कि विचार किया गया हो. इन प्रतियों पर कार्यपालक यंत्री और कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उन्हें उनके संबंधित कार्यालयों में फाइल किया जायेगा. उन दोनों कार्सिंगों जिन कार्सिंग को नामंजूर कर दिया गया है, तथा जिन कार्सिंगों का सन्निर्माण किया जाना है, के संबंध में दिये गये आदेश संबंधित निवासियों को संसूचित किये जावेंगे.

34. अधीक्षण यंत्री आयुक्त के परामर्श से यह विनिश्चय करेगा कि दूसरा संयुक्त निरीक्षण कब किया जायेगा. तीन वर्षों की कालावधि की गणना उस तारीख से की जायेगी, जिस तारीख को संबंधित नहर में प्रथम बार पानी प्रविष्ट किया गया हो.

35. वही प्रक्रिया जो प्रथम संयुक्त निरीक्षण के लिये विहित की गई है, दूसरे संयुक्त निरीक्षक के लिये लागू होगी सिवाय इसके कि उप खण्डीय अधिकारी (राजस्व) या ऐसा अधिकारी जिसे इस प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाये उपखण्डीय अधिकारी (सिंचाई) के साथ सहयुक्त रहेगा.

36. धारा 37 की उपधारा के अधीन जल के प्रदाय की दरें नियत करने के प्रस्तावों पर सिंचाई स्थाई समिति द्वारा विचार किया जावेगा जिसके पश्चात् उक्त प्रस्ताव तथा स्थाई समिति की राय को मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा. राज्य सरकार विधान सभा को उन पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी तथा प्रभारित की जाने वाली दरों को नियत करने से पूर्व उनके के संबंध में विधान सभा द्वारा पारित किसी संकल्प पर विचार करेगी: धारा 37.

परन्तु यदि राज्य सरकार किसी मामले को इतना अत्यावश्यक समझे कि उस पर तत्काल आदेश दिये जाना आवश्यक हों, तो वह तत्काल कार्यवाही कर सकेगी

इस परन्तुक के अधीन जारी किये गये समस्त आदेश उनके जारी किये जाने के छः मास के भीतर स्थायी समिति के समक्ष रखे जायेंगे तथा तत्पश्चात् उन्हें विधान सभा के पटल पर रखा जायगा.

37. पूर्वोक्त नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी सिंचाई स्थायी समिति का गठन न किया गया हो तो राज्य सरकार दरें नियत कर सकेगी जिन्हें कि, स्थायी समिति के समक्ष, यदि ऐसे आदेशों के किये जाने के 6 मास के भीतर ऐसी समिति का गठन कर दिया जाय, प्रस्तुत किया जायगा तथा उक्त कालावधि का अवसान होने के पश्चात् विधान सभा के पटल पर रखा जायगा.

38. जल कर, नहर अधिकारी द्वारा ऐसी दरों पर, जो कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियम 36 तथा 37 के अनुसार समय-समय पर अधिसूचित की गई दरों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हों, निर्धारित किया जायगा. धारा 37 (2).

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CS CamScanner

39. यदि कोई कृषक कृषि हेतु भूमि तैयार करने के लिये जल लेता है तथा फसल नहीं बोता है तो उससे केवल कृषि हेतु भूमि तैयार करने के लिये नियत जल कर प्रभारित किया जायगा और यदि फसल बो दी जाय, किन्तु फसल में बाद में पानी, न दिया जाय तो उससे फसल के लिये नियत जल कर प्रभारित किया जायगा. और यदि फसल में बाद में भी पानी दिया जाये तो उससे कृषि हेतु भूमि तैयार करने के लिये नियत जल कर तथा फसल कर दोनों प्रभारित की जायेंगी.

40. यदि किसी क्षेत्र में ऐसी मिश्रित फसलें बोई जायं, जिन के लिये भिन्न-भिन्न जल कर नियत किया गया हों, तो उस संपूर्ण क्षेत्र के लिये ऐसे जल कर में से सब से ऊंची दर से निर्धारण किया जायगा.

41. यदि एक ही खेत में विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न फसलें उगाई गई हों तो उस पूरे खेत के लिये जल कर की गणना जिस फसल पर सब से ऊंची दर निर्धारित की गई हो उस दर के हिसाब से की जायगी, जब तक कि विभिन्न फसलों के बीच कम से कम आधा फीट ऊंची मेढ बना कर उन का स्पष्टतः विभाजन न किया गया हो.

42. जब मूल फसल बोई जाय किन्तु वह खराब हो जाय तथा उसी ऋतु में दूसरी फसल बोने के लिये खेत को नये सिरे से जोता जाय तो (केवल वहां जहां कि उस क्षेत्र को करार से छूट प्राप्त क्षेत्र घोषित किया गया हो) उसी फसल की दर उद्ग्रहीत की जायेगी जो फसल पक कर तैयार हुई हो.

43. यदि करार खेत के केवल किसी एक भाग के लिये ही किया गया हो तो उस भाग के कम से कम आधा फुट मेढ बांध कर स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जायगा. उस भाग को सीमांकित न किये जाने की दशा में यह मान लिया जायगा कि उस पूरे खेत की सिंचाई की गई है और उस पर सामान्य फसल की दर से जल कर प्रभारित किया जायगा.

44. ऐसे मामलों में जिनमें खेतों की सिंचाई भागतः नहर के जल के तथा भागतः अन्य स्त्रोतों से की जाना प्रस्तावित हो तो खेत के उस भाग के लिये अल्प कालिक सिंचाई करार किया जायगा तथा जिस भाग की सिंचाई नहर के जल से की जानी हो उस भाग को कम से कम आधा फुट मेढ बांधकर स्पष्टतः सीमांकित किया जायगा. यदि खेत के करार किये गये भाग को सीमांकित नहीं किया गया हो तो यह मान लिया जायगा कि नहर के जल से पूरे खेत की सिंचाई की गई है तथा ऐसे अतिरिक्त क्षेत्र पर फसल दर से दुगनी दर प्रभारित की जायेगी.

45. यदि एक ही ऋतु में किसी कुएं के या किसी अन्य स्त्रोत के जल को उसी जलसारणी या जल मार्ग द्वारा प्रवाहित किया गया हो तो ऐसी ऋतु के दौरान समस्त सिंचित क्षेत्र को राज्य नहर से सिंचित किया गया को माना जायेगा.

46. कार्यपालन यंत्री, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इन नियमों के अधीन सिंचाई के लिये जल प्रदाय किया जाना मंजूर किया गया हो, खलिहान के निर्माण के लिये जल प्रदाय निःशुल्क अनुज्ञात कर सकेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को कृषि हेतु भूमि तैयार करने (पलेवा) की दर पर जल प्रदाय की अनुज्ञा दे सकेगा.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय ... पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

47. जब अल्पावधि करार जल प्रदाय के लिये विहित तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया जाय तो ऐसे करार किये गये क्षेत्र पर जल पर लागू होने वाली फसल दर से 10 प्रतिशत अधिक के हिसाब से प्रभारित किया जायगा:

परन्तु यह कि ऐसे करार नियम 98 एवं 99 के अधीन विहित दिनांक जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् एक माह के भीतर प्रस्तुत किया हो.

48. जब किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सिंचाई करने के लिये अल्पावधि करार किया गया हो और आवेदक ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करे तो उस पर फसल के लिये प्रभार्य दर से दुगनी दर प्रभारित की जावेगी.

49. यदि विभिन्न स्थानों पर ऐसे खडे वृक्षों को, जिनमें से प्रत्येक के चारों ओर गहरी क्यारियों (थवाले) हों पानी दिया जाता हो, तो प्रत्येक ऐसे वृक्ष के बारे में यह माना जायगा कि वह वृक्ष 1/40 एकड़ क्षेत्र पर खड़ा हुआ है और उस पर उद्यान फसल दरें प्रभारित की जावेगी. यदि एक एकड़ क्षेत्र में 40 से अधिक वृक्ष हों तो ऐसी दर प्रति एकड़ दर पर प्रभारित की जावेगी. ऐसे मामलें में जहां सिंचाई के लिये प्रस्तावित वृक्ष के चारों ओर गहरी क्यारियां (थवाले) न बनी हों, पानी लिया जाता है, तो समस्त पानी दिया गया क्षेत्र नापा जावेगा और उस पर प्रति एकड़ फसल दर के हिसाब से दर निर्धारित किया जायगा.

50. जल सारणियों से तथा जल निकास सारणियों से जल के वह निकलने के रास्तों (ऐक्सेस), रिसने या टपकने से की जाने वाली सिंचाई पर यदि कृषि हेतु भूमि तैयार करने के लिये, लिये गये पानी को सम्मिलित करते हुए दो या दो से अधिक बार पानी लिया गया हो, तो फसल दर प्रभारित की जायगी, अन्यथा कृषि हेतु भूमि तैयार करने के लिये नियत दर प्रभारित की जायेंगी. तथा ऐसे मामलों में जिनमें खेती की सिंचाई मुख्य नहर से 150 मीटर उप-नहर शाखाओं से 50 मीटर के भीतर स्थित कुंओं से जिन्हें नहर के पानी द्वारा जल स्तर बढ़ने का लाभ मिलता हो, की जावे. फसल 1/2 जलदर प्रभावित की जावेगी एवं ऐसे प्रभार सामान्य नियमान्तर्गत अपील योग्य होंगे.

51. जब नहर के पानी के रिसने व टपकने या टूटने आदि से फसल को क्षति हो, तो कोई प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा किन्तु ऐसे क्षेत्र को सदैव ही अभिलिखित किया जायेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा.

52. ऐसे व्यक्तियों से, जो अनुज्ञा के बिना, उचित प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किये गये समय पर अर्थात् नहर बन्द दिन के दौरान ओसरा बन्दी कार्यक्रम के प्रतिकूल या ऐसे खेत की सिंचाई के लिये जिसे नगर सिंचाई से वर्जित किया गया हो, जल का उपयोग करते हों फसल दर से दूनी दर प्रभारित की जायेगी तथा ऐसे प्रत्येक मामले में नहर अधिकारी 250 रुपये तक का शास्ति प्रभार अधिरोपित कर सकेगा.

53. ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो जानबूझ कर अपने खेतों की सिंचाई के लिये नहर के किनारे काटें या नहर तल में बांध बनायें, नहर अधिकारी द्वारा 250 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा.

54. ऐसे कृषक जो निमज्जित तालाब का सन्निर्माण कराने के इच्छुक हों संबंधित कार्यपालक यंत्री को प्ररूप 2 में आवेदन करेंगे. धारा 37-बी

55. आवेदन प्राप्त होने पर कार्यपालक यंत्री स्कीम की साध्यता का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण आदि करायेंगे.

56. स्कीम के साध्य होने की दशा में, कार्यपालक यंत्री निमज्जित तालाब की नमी से लाभान्वित होने वाली भूमि के स्थाई धारकों के साथ करार करेंगे. [करा]र प्ररूप 3 में होगा.

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

57. निमज्जित तालाब के पूर्ण भराव के स्तर तक के पत्थर उस स्थल पर लगाये जावेंगे, और लगाये गये पत्थरों का स्थान तथा उससे लाभान्वित क्षेत्र को तीन प्रतियों में ग्राम मानचित्र पर चिन्हित किया जायेगा. ऐसे क्षेत्रों की एक सूची सर्वेक्षण क्रमांक के क्षेत्रफल, स्थायी धारकों का नाम आदि दर्शाते हुए तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी तथा कार्यपालक यंत्री द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की जाकर अभिलेख में रखी जायगी. इसे आगे और निर्देश के लिये अधिप्रमाणिकृत अभिलेख माना जावेगा.

58. निमज्जित तालाबों के द्वारा (गेट्स) किसी भी वर्ष 1 अक्टूबर से पूर्व नहीं खोले जायेंगे तथा वास्तविक रूप से निमज्जित क्षेत्र के चिन्ह लगाने का कार्य प्रत्येक वर्ष सितम्बर के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा.

59. अमीन, अनुभागीय अधीनस्थ तथा सिंचाई निरीक्षक वास्तविक रूप में निमज्जित क्षेत्र के सीमांकन का कार्य 15 सितम्बर से प्रारंभ करेंगे तथा धारा 37-बी की उपधारा (4) के अधीन तथा उपबन्धित औपचारिकतायें पूर्ण करेंगे. तालाब पूरा भरा होने (एफ. टी. एल.) की दशा में केवल इस आशय का लाभान्वित व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पंचनामा करेगा तथा अनुमोदन हेतु कार्यपालक यंत्री को भेजेगा. तालाब के पूर्ण रूप से न भरे होने की दशा में वास्तविक रूप से निमज्जित क्षेत्र का मानचित्र ट्रेसिंग पेपर पर दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा तथा कमी का कारण दर्शाते हुए कार्यपालक यंत्री की ओर अनुमोदन के लिये भेजा जायेगा जो उन्हें पन्द्रह दिन के भीतर सम्यक् रूप से अनुमोदित करके तदनुसार निर्धारण किये जाने हेतु वापस लौटायेगा.

60. किसी अभावग्रस्त वर्ष में पीने के पानी का प्रबन्ध करने की दृष्टि से यदि वह उचित समझे जाय कि कतिपय निमज्जित तालाब खाली न किये जायं तो-कलेक्टर तथा कार्यपालक यंत्री (दोनों) आयुक्त को संयुक्त रिपोर्ट करेंगे और कलेक्टर आयुक्त की सहमति से उस वर्ष ऐसे तालाब का खोला जाना प्रतिबंधित कर देगा.

61. जब कोई पुरानी स्कीम प्रत्यावर्तित की जाय तो भू-राजस्व का आबी भाग रिबेट माना जायगा. वर्तमान आबी दर उच्चतर होने की दशा में स्थायी धारक से उसके अन्तर को संदाय करने के लिये कहा जायेगा और यदि वर्तमान आबी दर निम्नतर हो, तो कृषक तय की गई दर का संदाय करेगा.

62. निमज्जित तालाब के अन्तर्गत आने वाली बन्दोबस्त न की गई कृषि योग्य भूमि पर यदि उस पर खेती होती हो, तो प्रवृत्त आबी दर प्रभावित की जायेगी या अन्यथा आबी दर का 1।2 प्रभारित किया जायगा.

63. नियम 61 में तथा 62 में वर्णित किसी मामले में यदि नहर का जल भी लिया जाय तो आबी दरों के अतिरिक्त फसल दर का 1।2 भी प्रभारित किया जायेगा.

धारा—38. 64. मांग पर सिंचाई हेतु जल प्रदाय के लिये उसकी अपेक्षा करने वाले अधिभोगियों द्वारा लिखित में आवेदन-पत्र प्ररूप 4 में दिया जायगा.

65. (क) नियम 64 के अधीन किये गये आवेदन-पत्र कार्यपालक यंत्री आदेश पारित करेगा.

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक डी.आई.एम.
CamScanner

(ख) यदि जल प्रदाय के लिये मांग, जिसके लिये नियम 64 के अधीन आवेदन-पत्र दिया गया है, अत्यावश्यक हो, तो उपसंभागीय कार्यपालक यंत्री के आदेश की प्रत्याशा में जल प्रदाय किये जाने का आदेश जारी कर सकेगा.

66. जब जल कर से छूट के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, तो कार्यपालक यंत्री केवल तभी छूट मंजूर कर सकेगा, जब कि उसका यह समाधान हो जाय कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिये छूट का आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुआ है, जल का प्रदाय नहीं किया जा सका और इस प्रकार की छूट पूरी दी जायेगी.

67. किसी गांव के तालाब को भरने के लिये जल प्रदाय हेतु आवेदन-पत्र प्ररूप 5 में दिया जायेगा और सामान्यतः जब जल अपेक्षित हो, उससे कम से कम 15 दिन पूर्व नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ को प्रस्तुत किया जायेगा. धारा—38.

68. गांव के तालाब को भरने के लिये जल प्रदाय का आवेदन-पत्र मंजूर करने के पूर्व कार्यपालक यंत्री आवेदकों को संभावित रकम के संबंध में सूचित करेगा, जो कि अपेक्षित जल के प्रभारित की जायेगी. यह आवेदन लिखित प्ररूप 5 में किया जायगा तथा आवेदक प्ररूप 6 पर इस आशय के कथन पर हस्ताक्षर करेंगे कि वे ऐसी रकम का जो कि वस्तुतः प्रदाय किये गये जल के लिये विहित दर पर संगणित की गई हो, संयुक्तः और पृथकतः भुगतान करने का जिम्मा लेते हैं.

69. कार्यपालक यंत्री सामान्यतः आवेदन-पत्र मंजूर नहीं करेगा यदि :—

(एक) उसका यह पूर्वानुमान हो कि ऐसे जल के प्रदाय से कराराधीन चावल की सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या

(दो) उसकी राय में आवेदकों ने उस स्थान से जहां से कि तालाब में जल प्रदाय किया जाता हो, जल परिदत्त करने के लिये समुचित व्यवस्था नहीं की ह, या

(तीन) उसके पास यह पूर्वानुमान लगाने का पर्याप्त कारण हो कि जल का उपयोग ऐसी फसल की सिंचाई के लिये किया जायेगा जो कराराधीन नहीं है.

70. गांव के तालाब को भरने के लिये प्रदाय किये गये जल के लिये प्रभारों की संगणना प्रदाय किये गये जल के तालाब के अन्दर के मापे गये परिणाम के अनुसार की जायगी.

71. जल का प्रदाय किसी कंपनी, फर्म, प्राइवेट व्यक्ति या स्थानीय निकाय को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी दरों पर जो कि सरकार द्वारा विहित तथा अनुमोदित हों किया जा सकेगा: धारा 40.

परन्तु कार्यपालन यंत्री प्ररूप 7 में करार किये जाने पर सिंचाई से अन्यथा प्रयोजनों के हेतु नहर के पानी के प्रदाय की मंजूरी सिंचाई के हित का बलिदान किये बिना ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो तथा एक वर्ष में प्रदाय किये जाने वाले जल का परिमाण 5 लाख घन फुट से अधिक न दे सकेगा. जहां ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक की हो तथा एक वर्ष में प्रदाय किये जाने वाले जल का परिमाण 5 लाख घन फुट से अधिक हो वहां राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगा.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

धारा 44.

72. (क) कराराधीन कृषि भूमि पर अप्राधिकृत रूप से उपयोग किये गये जल के लिये प्रभार उस पर बोई गई फसल के वर्ग पर उद्ग्रहणीय करारित फसल दर या मांग दर की दुगुनी दर पर प्रभारित किया जायगा.

(ख) उस कृषि भूमि पर, जो कि कराराधीन न हो, अप्राधिकृत रूप से उपयोग किये जल के लिये प्रभार, मांग दर या अल्पकालिक करार दर की तिगुनी दर से प्रभारित किया जायगा.

73. (1) कृषि भूमि से अन्यथा भूमि पर, अप्राधिकृत रूप से उपयोग किये गये जल का प्रभार यथास्थिति धारा 39 के साथ पठित धारा 37 के अधीन या धारा 40 के अधीन नियत, की गई घनफुट दर की तिगुनी दर पर प्रभारित किया जायगा.

(2) बरबाद किये गये जल के लिये प्रभार धारा 37 के अधीन नियत की गई दरकी तिगुनी दर पर किया जायगा, तथा इसके अतिरिक्त नहर अधिकारी के विवेकानुसार 250 रुपये तक की शास्ति भी अधिरोपित की जा सकेगी. नहर अधिकारी ऐसी पूरी रकम या उसके किसी भाग का उपयोग ऐसी बरबादी से प्रभावित व्यक्ति को, प्रतिकर देने में कर सकेगा.

74. किसी नहर के पानी के रिसने, टपकने या बिना उत्प्रेरण किये नहर के टूटने के बहाव से अभिप्राप्त किये गये पानी पर कोई प्रभार नहीं लिया जायगा. जब तक कि नहर के टूटने से बहते हुये पानी को जानबूझकर उस खेत की ओर न ले जाया गया हो, जिसके लाभान्वित होने की आशा की गई है.

75. पानी की बरबादी की जानकारी पाते ही नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ उसे तत्काल रोकेगा. अप्राधिकृत उपयोग के मामले, में यदि वह ऐसा समझे कि उससे उन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पानी प्राप्त करने के हकदार हैं, तो वह बहाव को रोकेगा. दोनों में से प्रत्येक मामले में वह कार्यपालक यंत्री को रिपोर्ट करेगा.

76. पानी के अप्राधिकृत उपयोग या बरबादी की रिपोर्ट मिलने पर, कार्यपालक यंत्री, ऐसे साक्षियों का, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे परीक्षण करने के पश्चात् उसके कारणों सहित अपने आदेश अभिलिखित करेगा और उन्हें नहर डिप्टी कलेक्टर की मार्फत संबंधित अनुविभागीय अधीनस्थ को संसूचित करेगा.

77. यदि कोई कृषक, कार्यपालक यंत्री द्वारा पारित किये गये आदेशों के संबंध में कोई अभ्यावेदन करना चाहे तो वह परचा प्राप्त होने के दस दिन के भीतर या तो स्वयं उपस्थित होकर या लिखित में ऐसा करेगा.

अभ्यावेदन या तो कार्यपालक यंत्री को अथवा उस अधिकारी को, जिसने मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की हो, संबोधित किया जा सकेगा. यदि प्रत्यक्ष भेंट वांछित हो, तो ऐसा कथित किया जायेगा. अभ्यावेदन प्राप्त करने वाला अधिकारी तत्पश्चात् आवेदक के अभ्यावेदन की सुनवाई अथवा मंजूर की गई प्रत्यक्ष भेंट की तारीख, समय और स्थान सूचित करेगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

78. यदि कार्यपालक यंत्री के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील कलेक्टर को प्रस्तुत की गई हो, तो मामले पर विचार करने से पूर्व कलेक्टर, कार्यपालक यंत्री से ऐसी रिपोर्ट "मानचित्र" (प्लान) आदि जिन पर आदेश आधारित हों, प्राप्त करेगा. वह अपना विनिश्चय आवेदक को कार्यपालक यंत्री की मार्फत ससूचित करेगा.

79. कार्यपालक यंत्री ऐसे सभी समुत्थानों (कन्सर्न) पर जिनको कि इर्रीगेशन एक्ट की धारा 40 के अधीन जल का प्रदाय किया गया हो, निगरानी रखेंगे और यह देखेंगे कि कृषि हेतु ऐसे पानी का सर्वोत्तम उपयोग किये जाने की समुचित व्यवस्थायें की जाती हैं. धारा 14(ए)(2).

80. नियम 79 के अधीन दिये गये ऐसे पानी के कृषि हेतु उपयोग किये जाने का पता चलने पर नीचे विहित की गई रीति से जल दरें प्रभारित की जायेंगी:—

(क) यदि कृषि हेतु भूमि तैयारी के लिये, गये जल सहित दो या अधिक बार पानी दिया गया हो, तो फसल दर प्रभारित की जायेगी, किंतु यदि एक बार ही पानी दिया गया हो, तो कृषि हेतु भूमि तैयारी की दर प्रभारित की जायेगी.

(ख) कृषिक प्रयोजनों को छोड़कर अन्यथा, जल का उपयोग होने पर, उस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा विहित दर पर जल दर प्रभारित की जायेगी.

टिप्पणी.—ऐसे क्षेत्रों में करार अथवा मांग आवश्यक नहीं होंगे, तथा नहर के पानी के अभिलेख और निर्धारण की प्रक्रिया लागू होगी.

81. निमज्जित तालाब को खाली करते समय या जल द्वार (स्लूस) उत्प्लव मार्ग (वेस्ट वियर) के द्वारा निमज्जित तालाब के बाहर के सिंचित क्षेत्र पर, यदि कृषि हेतु भूमि तैयार करने के हेतु जल लेने को सम्मिलित करते हुये पानी देने की संख्या दो या दो से अधिक है, फसल दर प्रभारित की जायेगी, अन्यथा कृषि हेतु भूमि तैयार करने की दर प्रभारित की जायेगी. धारा 44(बी).

82. इन नियमों के अधीन सिंचाई करारों पर सरकार की ओर से सामान्यतः नहर अधिकारी द्वारा, अथवा कार्यपालक यंत्री के द्वारा इस संबंध में इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किये गये सिंचाई विभाग के किसी अन्य अधिकारी या अधीनस्थ द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे. धारा 92 तथा 93 (सी) के साथ पठित धारा 45-52-48.

83. इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त मामलों को छोड़कर, किसी नहर से कोई सिंचाई तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि मध्यप्रदेश सरकार तथा स्थायी धारकों के बीच कोई करार न कर लिया गया हो, करार किये बिना की गई सिंचाई को अप्राधिकृत सिंचाई माना जायगा, तथा ऐसा स्थायी धारक, जो करार किये जाने के पूर्व अपने खेतों की सिंचाई करे अथवा जो उनके द्वारा पहले से किये गये करार में विनिर्दिष्ट न किये गये खेतों या क्षेत्र की सिंचाई करे, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन दंड तथा निर्धारण के दायित्वाधीन होगा.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CS CamScanner

जी 136-24(स)
12-9.

84. चावल जोन में दीर्घावधि करार प्ररूप 8 में, तथा गेहूं तथा मिश्रित फसल जोन में अल्पावधि करार प्ररूप 9 में तथा दीर्घावधि अनुपूरक करार प्ररूप 10 में, जो इन नियमों से संलग्न है, किये जायेंगे तथा उतनी कालावधि के लिये प्रवर्तन में रहेंगे जोकि सरकार द्वारा दरों की अनुसूची में अधिसूचित की गई हो तथा इन प्ररूपों में अधिकथित निबन्धन तथा शर्तों का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानो कि वे इन नियमों का भाग हों.

85. सरकार की ओर से नहर अधिकारी तथा संबंधित स्थाई धारकों के बीच आपसी सहमति से सिंचाई करार को उपान्तरित अथवा रद्द किया जा सकेगा.

86. चावल जोन में चावल की सिंचाई का दीर्घकालिक करार दरों की अनुसूची में उल्लेखित कालावधि के लिये ग्रामवार, तालाबवार या परियोजनावार किया जायगा. अनुपूरक करार इन नियमों से संलग्न प्ररूप 10 में किये जायेंगे.

87. किसी महाल या चक के लिये चावल की सिंचाई के दीर्घकालिक करार अधीक्षण यंत्री द्वारा प्रतिग्रहीत किये जा सकेंगे जब कि ऐसा किया जाना स्पष्टतः राज्य सरकार के हित में हो ऐसे किसी गांव के भागों के लिये जो पृथक्-पृथक् सिंचाई संकर्मों से सिंचाई योग्य हों, पृथक्-पृथक् करार किये जा सकेंगे. पृथक सिंचाई संकर्मों से तात्पर्य विभिन्न तालाबों और परियोजनाओं से है न कि एक ही परियोजना की पृथक् सहायक नहरों से.

88. दीर्घावधि करार की जांच कर लेने पर और उपस्थित स्थाई धारकों को उसके निर्बन्धन समझाने के पश्चात् यदि नहर डिप्टी कलेक्टर या सिंचाई निरीक्षक का, जिसे करार प्रतिग्रहित करने के लिये धारा 51 के अधीन विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, इस बात से समाधान हो जाये कि या तो किसी ग्राम, महाल या चक की समस्त सिंचाई योग्य ऐसी भूमि, जिस पर करार से संबंधित फसल की खेती की गई हो, में से कम से कम दो तिहाई भूमि के स्थाई धारकों ने या ऐसी भूमि के कम से कम 95 प्रतिशत स्थाई धारकों के करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और किसी महल या चक के मामले में धारा 51 के परन्तुक के अधीन अपेक्षित सम्मति दे दी गई है, तो वह धारा 52 के उपबंधों के अनुपालन की कार्यवाही करेगा.

89. (एक) दीर्घावधि करार को प्रतिग्रहित करने के लिये सक्षम नहर डिप्टी कलेक्टर या सिंचाई निरीक्षक अधिनियम की धारा 52 में विहित की गई सूचना में, ऐसी तारीख समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा, जिस पर कि वह करार के प्रतिग्रहित घोषित किये जाने के पूर्व आपत्तियों की सुनवाई करेगा.

(दो) वह उठाई गई आपत्तियों का और प्रत्येक आपत्ति पर उसके विनिश्चय का संक्षिप्त अभिलेख तैयार करेगा. यदि वह विनिश्चय करे कि प्रस्तावित घोषणा के विरुद्ध कोई उचित कारण नहीं दर्शाया गया है, तो वह इन नियमों से संलग्न प्ररूप 11 में एक पृष्ठांकन दीर्घावधि करार पर यह घोषणा करते हुए करेगा कि ऐसा करार अंतिम है तथा इस करार से संबंधित समस्त सिंचाई योग्य भूमि के स्थायी धारकों को आबद्धकर होगा.

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
CamScanner

90. यदि दीर्घावधि करार नियम 89 के अधीन अंतिम और आबद्धकर घोषित किया गया हो, तो जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ऐसे करार का, ऋण के जिसमें वह किया गया हो, प्रारंभ से ही, भूतलक्षी प्रभाव होगा. कार्यपालक यंत्री द्वारा आर्द्र क्षेत्र के लिये अनुपूरक करार प्ररूप 10 में प्रतिग्रहित किया जा सकेगा.

91. सिंचाई के लिये जल का प्रदाय, यदि ऐसी मांग की गई हो ऐसे दीर्घावधि करार पर, जो अंतिम तथा आबद्ध कर घोषित न किया गया हो, तत्काल किया जा सकेगा यदि नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ का, जो उसे (करार को) प्रतिग्रहीत करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, इस बात से समाधान हो जाय कि या तो उस ग्राम, महाल या चक की समस्त सिंचाई योग्य ऐसी भूमि जिस पर करार से संबंधित फसल की खेती की गई हो, में कम से कम दो तिहाई भूमि के स्थाई धारकों ने या ऐसी भूमि के कम से कम 95 प्रतिशत स्थाई धारकों ने करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं. परन्तु इसके पश्चात् किसी भी अन्य कारण से यदि करार अंतिम या आबद्ध कर घोषित न किया गया हो, तो यह माना जायेगा कि दीर्घावधि करार के हस्ताक्षरकर्त्ता उनकी ऐसी फसलों के क्षेत्रों को जिनकी सिंचाई की गई है, प्रदाय किये गये जल के लिये मांग दरों का भुगतान करने के लिये सहमत है.

92. जहां एक ही संकर्म से सिंचित एक ग्राम के लिये एक से अधिक दीर्घावधि करार विद्यमान हों, वहां एक करार के पर्यावसान पर संबंधित कृषकों को यह विकल्प दिया जायगा कि वे (क) पर्यवसित करार का ऐसी बची हुई अवधि के लिये नवीकरण करें, जिससे कि वह अन्य करारों के साथ-साथ ही पर्यवसित हो सके या (ख) संपूर्ण ग्राम के लिये पांच वर्षों का एक करार करें और अनवसित करार को रद्द कर दें.

93. ऐसे प्रत्येक दीर्घावधि करार की, जो अंतिम और आबद्धकर घोषित किया गया हो, एक प्रति संबंधित ग्राम के सरपंच को दी जायेगी.

94. प्ररूप 8 में किये गये दीर्घावधि करार के अधीन आने वाले ग्राम के लिये अमीन ऐसे करार के किये जाने पर यथाशीघ्र करार में सम्मिलित खसरा क्रमांकों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें वह ऐसे खसरा क्रमांक भी सम्मिलित करेगा, जो सिंचित किये जा सकनेवाले क्षेत्र से बाहर घोषित किये गये हों. इस सूची में प्रत्येक खसरा क्रमांक का सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र और स्थाई धारक का नाम दर्शाया जायेगा, इस सूची की जांच सिंचाई निरीक्षक द्वारा की जायगी तथा उसकी एक प्रति करार में संलग्न की जायगी और जब करार को अंतिम और आबद्ध कर घोषित कर दिया जाय तो उसकी एक प्रति सरपंच को दी जायेगी.

95. गेहूं या मिश्रित फसल जोन में विभिन्न फसलों या वस्तुओं की सिंचाई के लिये अल्पकालिक करार पृथक्-पृथक् तथा फसलवार किये जायेंगे, जो उन फसलों या वस्तुओं के, जिनके लिये करार किये गये हों, पक जाने पर प्रभावी नहीं रहेगा.

96. नहर अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी अल्पकालिक करार पर हस्ताक्षर कर दिये जाने के पश्चात् भी प्रथम बार पानी दिये जाने के पर्याप्त समय पूर्व सूचना देकर उसे ना मंजूर या रद्द कर सकेगा:—

(क) यदि स्थाई धारक पर जल कर से संबंधित कोई रकम बकाया हो; या

(ख) यदि तकनीकी कारणों से खेत या खेतों को जल प्रदाय सम्भव न हो सके; या

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी कार्यालय संचालक पी.आई.एम. भोपाल
CamScanner

(ग) यदि स्थाई धारक लगातार अपने जल मार्ग को उचित स्थिति म रखने में असफल रहा हो.

97. ऐसे स्थाई धारक, जिन्होंने सरकार के साथ अल्पकालिक करार किया हो और यदि पानी का प्रदाय करने में सरकार की ओर से कोई विघ्न नहीं हुआ हो, तो वे मांग की जाने पर जल कर का भुगतान करने के लिये आबद्ध होंगे भले ही उन्होंने अपने खेत की सिंचाई की हो या नहीं और यदि विभाग, करार के अधीन आने वाले क्षेत्र में जल प्रदाय न कर पाये, तो ऐसे क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र (खुश्क रकबा) माना जा सकेगा तथा अधीक्षण यंत्री ऐसे क्षेत्रों में नहर राजस्व की पूरी छूट मंजूर कर सकेगा. उपखण्डीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसे क्षेत्र का एक विवरण कार्यपालक यंत्री की मार्फत अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत किया जा सकेगा.

98. (1) प्रत्येक फसल के लिये अल्पावधि सिंचाई करार, नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा :—

क्रमांक	वस्तु	उद्घोषणा (ऐलान) जारी करने की अंतिम तारीख	सिंचाई करार के समाप्त होने की अंतिम तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गन्ना	31 दिसम्बर से	31 मार्च
2	कपास तथा मक्का ..	1 मार्च	15 अप्रैल
3	धान, खरीफ फसल के अन्य धान्य	31 मई	15 अगस्त
4	सब्जियों सहित समस्त रब्बी धान्य	30 सितम्बर	15 दिसम्बर
5	जायद रबी (ग्रीष्मकालीन फसल) जैसे खरबूजा आदि.	15 फरवरी	31 मार्च तक.

टिप्पणी.—(एक) उद्घोषणा जारी करने में जितना भी विलम्ब होगा, संबंधित फसल या धान्य के करार को समाप्त करने की अंतिम तारीख, उस तारीख में उतनी ही वृद्धि किये जाने के अध्यधीन रहते हुए होगी.

(दो) करार करने के पूर्व धान के रोपों के लिये जल प्रदाय, कृषक के आवेदन-पत्र पर कार्यपालक यंत्री के आदेश के अधीन किया जा सकेगा और ऐसा खेत जिसके लिए जल दिया गया हो, करार किया गया क्षेत्र माना जायगा.

99. यदि अधीक्षण यंत्री का समाधान हो जाय, तो वह नियम 98 के कालम 4 में उल्लिखित करार के समाप्त होने की तारीख को एक माह तक के लिये बढ़ा सकेगा

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

100. प्रत्येक फसल मौसम के कम से कम एक मास पूर्व कार्यपालक यंत्री समस्त सिंचाई निरीक्षकों, अधिदर्शकों, सरपंचों और सिंचित क्षेत्र में की भूमि के प्रमुख अधिभोगियों की एक बैठक बुलायेगा और उन्हें नहर सिंचाई की सुविधायें देने वाले विभिन्न तालाबों तथा जलाशयों की जल संग्रहण स्थिति से अवगत कराने के पश्चात् उनके परामर्श से ऐसे क्षेत्र का अवधारण करेगा, जिसकी नहर के जल से सिंचाई की जा सकती है. कुल क्षेत्र का अवधारण हो जाने के पश्चात् कार्यपालक यंत्री नहर की प्रत्येक सहायक नहर द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्र का आवंटन करेगा तथा जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रत्येक सहायक नहर के लिये इस प्रकार से आवंटित किये गये क्षेत्र का, नियम 98 में दिये गये अल्पावधि करार कराने के संबंधित विवरण के कालम क्रमांक 3 में विहित तारीख को या उसके पूर्व राजपत्र में प्रकाशन करायेगा. प्रकाशन प्ररूप 12 में किया जायेगा.

101. इस बैठक में, खेतों में जल का प्रदाय करने के विभिन्न सहायक नहरों तथा जल निकासों से पानी दिये जाने के अस्थायी कार्यक्रम पर भी विचार किया जायगा.

102. ऐसे क्षेत्र में जिस पर बैठक में विचार किया गया हो, कार्यपालक यंत्री कमी या वृद्धि कर सकेगा तथा आपात के मामलों में प्रदाय बन्द भी कर सकेगा.

103. अल्पावधि सिंचाई करार, संबंधित स्थायी धारकों या अधिभोगियों द्वारा स्वयं उनके द्वारा भरे जाकर या सम्बन्धित अमीन द्वारा, जोकि इन्हें सही रीति में भरने के लिये कर्तव्यबद्ध होगा, भरवाये जाकर प्रस्तुत किये जायंगे.

104. करार प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा करार प्राप्त करने की रसीद सिंचाई पुस्तिका (प्ररूप 11-अ) में दी जायगी. इसके संबंध में शिकायतें वरिष्ठ अधिकारी को तुरन्त की जा सकेंगी.

105. जब अधिभोगियों के साथ अल्पावधि करार करने का प्रस्ताव हो, तो कार्यपालक यंत्री इस प्रयोजन के लिये सिंचाई निरीक्षक को प्रतिनियुक्त करेगा और सामान्यतः ग्राम या ग्रामों के समूह में एक उद्घोषणा प्ररूप क्रमांक 8 में जारी करवायेगा, जिसमें सिंचाई निरीक्षक के दौरे के उद्देश्य और तारीख तथा ऐसा समय और स्थान जहां कि वह दखलकारों से भेंट करेगा उपवर्णित किया जायगा. भेंट का स्थान उसी ग्राम में या आसपास के किसी ऐसे ग्राम में नियत किया जायगा जो कि सरपंच या पंच और पटेल को, जिन्हें कि सलाहकार की हैसियत से बैठक में उपस्थित होने के लिये आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावेगा, सुविधाजनक हो. परन्तु इन नियमों में दी गई कोई भी बात सिंचाई निरीक्षक को अल्पावधि करार की कार्यवाही करने से नहीं रोकेगी. यदि उसने ऐसी उद्घोषणा जारी किये बिना ही किसी भी समय या किसी स्थान पर पर्याप्त संख्या में अधिभोगियों से तथा ग्राम के सरपंच या पंच और पटेल से भेंट कर ली हो. यदि कोई केन्द्र बहुत दूर हो और सिंचाई निरीक्षक के लिये वहां नियत तारीख को पहुंचना संभव न हो, तो वह अपने संबंधित अधीनस्थ को उस केन्द्र में अल्पावधि करार करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

106. सिंचाई निरीक्षक अधिभोगियों को अपने आने का उद्देश्य बतलायेगा और उस समय प्रस्तुत किये गये करार प्राप्त करेगा अथवा संबंधित अमीन को बैठक में उपस्थित अधिभोगियों, सरपंच या पंच और पटेल के पूर्ण समाधान पर्यन्त अल्पावधि करार भरने के लिये कहेगा. सिंचाई निरीक्षक या कोई भी प्रतिनियुक्त किया गया अधीनस्थ अधिकारी करार के एक पक्ष के रूप में करार पर हस्ताक्षर करेगा और दूसरे पक्ष के रूप में अधिभोगियों से हस्ताक्षर करवायेगा और, करार के उचित निष्पादन और प्रविष्टियों के सही होने के प्रतीक स्वरूप साक्षियों के रूप में सरपंच या पंच और पटेल के हस्ताक्षर करवायेगा.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CS CamScanner

107. अधिभोगी करार पर हस्ताक्षर करने के पूर्व अल्पावधि करार की प्रविष्टियों तथा अन्य बातों क संबंध में अपना पूर्ण रुपेष समाधान कर लेगा और समस्त शकाओं का निराकरण कर लेगा. सिंचाई निरीक्षक या इस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त अधिकार की उपस्थिति में अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाने या अंगूठे का निशान लगा दिया जाने के पश्चात करार की प्रविष्टियों के संबंध में अधिभोगियों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जायगी.

108. कोई भी अधिभोगी, जो अपने नियंत्रण के परे कारणों पर अल्पावधि करार करन के लिय इस प्रकार आयोजित बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ रहा हो, लिखित आवेदन-पत्र लेकर सिंचाई निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत हो सकेगा. जिसमें वह बैठक में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के कारण का उल्लेख करेगा और करार करने की अपनी इच्छा व्यक्त करेगा ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर सिंचाई निरीक्षक यदि ग्राम में सिंचाई के लिये आवंटित क्षेत्र में कोई गुजाईश हो, तथा नियम 98 एवं 99 के अधीन अनुबन्ध लिये जाने की अंतिम दिनांक जैसा भी स्थिति हो, समाप्त नहीं हुई हो, अमीन को उसका करार प्राप्त करने का अनुदेश देगा.

109. अधिभोगी अल्पावधि करार में उस निश्चित क्षेत्रफल का खेत क्रमांकों सहित तथा उस फसल का, जिसकी वह सिंचाई करना चाहता हो उल्लेख करेगा. खेत के एक भाग के मामले में उसकी लंबाई, चौडाई या क्षेत्रफल उस करार में लिखा जायगा.

110. अधिभोगी अल्पावधि करार में सावधानीपूर्वक तथा स्पष्ट शब्दों में उन फसलों का उल्लेख करेगा, जिनमें कि वह सिंचाई करना चाहता हैं, तथापि यदि वह उस द्वारा करार में उल्लिखित फसल न बो सके, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायगी:—

(क) यदि वह उसके द्वारा करार में उल्लिखित की गई फसल से उच्च स्तर (सुपीरियर) की फसल या फसलें बोयें, तो उस उच्च स्तर की फसल या फसलों के लिये नियत जल दर प्रभारित की जायगी.

(ख) यदि करार में उल्लिखित फसल से निम्न स्तर की (इनफीरियर) फसल या फसलें बोई जाय, तो उच्च स्तर की फसल या फसलों के लिये कारार में नियत जल दर प्रभारित की जायगी.

111. यदि अधिभोगी, सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र के भीतर का कोई ऐसा खेत, जो करार में उल्लिखित न हों, सीचना चाहता है, तो वह सिंचाई निरीक्षक की मार्फत नहर डिप्टी कलेक्टर या कार्यपालक यंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा कर सकेगा.

112. जब ऐसा जल प्रदाय, जिसके संबंध में आश्वासन दिया गया हो, तकनीकी पहलुओं पर या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी सिंचाई संकर्म नहर, तालब तथा उसके भागों से संभव न हो और कृषक अपनी जोखिम पर सिंचाई का आग्रह करें तो कार्यपालक यंत्री, किसी भी ऐसे क्षेत्र या फसल को अल्पावधि करार से छूट प्राप्त घोषित कर सकेगा और सरकार द्वारा विहित की गई दर पर फसल को जल का प्रदाय कर सकेगा.

113. ऐसे समस्त करार-पत्र जो सम्यक रुपेण भरे गये हों, सिंचाई निरीक्षक द्वारा उसकी एक सूची सहित नियम 98 में नियत कालावधि के समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर कार्यपालक यंत्री अथवा नहर डिप्टी कलेक्टर को मंजूरी हेतु प्रस्तुत

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.ए.

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

किये जायंगे. वे सम्यक् मंजूरी के पश्चात् अधिकतम एक माह की अवधि में वापिस लौटायेंगे.

114. सिंचाई करार के अधीन या निमज्जित अनिवार्यत: निर्धारित क्षेत्र में नहर राजस्व की छूट, संबंधित भूमि के अधिभोगी की ओर से पंचायत द्वारा, प्ररुप 13 में आवेदन किये जाने पर, ऐसे निरीक्षण तथा जांच के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये कार्यपालक यंत्री द्वारा निम्नलिखित मानों पर दी जायगी:— धारा 47

(क) ऐसे खसरा क्रमांकों में जिनमें फसल 50 प्रतिशत से कम और 33 प्रतिशत आर्द्र फसल से अधिक हो, आधी छूट;

(ख) ऐसे खसरा क्रमांकों में जिनमें 33 प्रतिशत या उससे कम आर्द्र फसल हो पूरी छूट :

परन्तु जब किसी एक खसरा क्रमांक का क्षेत्रफल पांच एकड़ से अधिक हो, तो कार्यपालन यंत्री उसे ऐसे भू-खंडों में उपविभाजित कर सकेगा, जो पांच एकड़ से अधिक के नहीं हो और ऐसे भू-खंडों को छूट के प्रयोजन के लिये एक खसरा क्रमांक समझा जायेगा.

115. जब मुख्य सिंचाई संकर्म या नहर की वितरण पद्धति में किसी दोष के कारण न कि जल पूर्ति की कमी के कारण, किसी क्षेत्र में उस समय जल न दिया जा सके जब अपेक्षित किया गया हो, तो अधीक्षण यंत्री ऐसे क्षेत्र में नहर राजस्व की छूट दे सके यद्यपि वह नियम 114 में विहित मान के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है.

116. ऐसे वर्षों में, जब सामान्यत: वर्षा न हुई हो, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार सिंचाई अधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों के परामर्श से पैदावार के संबंध में जांच की जायेगी. छूट देने के प्रयोजन के लिये प्रत्येक ग्राम में के नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र के खसरा क्रमांकों को समूहों में विभाजित किया जायगा तथा कार्यपालक यंत्री नियम 114 में विहित किये गये मानों के अनुसार, संबंधित समूह की अनुमानित पैदावार के अनुसार प्रत्येक खसरा क्रमांक को छूट देगा.

117. करार दर में से की जानेवाली कटौती दीर्घावधि करार दर की रकम की आधी या एक रुपया कम, जो हो, कम हो, होगी.

118. कटौती केवल उस एक फसल के संबंध में की जायेगी, जो ऐसे क्षेत्र पर उगाई गई हो, जिसे आर्द्र दर पर निर्धारित किया गया है. धारा 53.

119. धारा 53 के अधीन दीर्घावधि करार में सम्मिलित की गई आर्द्र भूमि पर, यदि उसे पश्चात्वर्ती वर्गीकरण में शुष्क भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाय और उस पर, उसी रीति में भू-राजस्व या लगान का निर्धारण किया जाय, पूर्ण दीर्घावधि करार दर प्रभारित की जायेगी.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

धारा 54.

120. ऐसी भूमि पर, जो सींचे जा सकने वाले क्षेत्र की भूमि न हों परन्तु जिसे दीर्घावधि सिंचाई करार में सम्मिलित किया गया हो, देय जल कर उस कर का आधा होगा, जो कि ऐसी सींचे जा सकने वाले क्षेत्र की भूमि पर देय हो, जिस पर वैसी ही फसल उगाई गई हो.

धारा 58-सके.

121. धारा 58-सी (1) के अधीन नियत किये जाने की तारीख के लिये तीन वर्ष की कालावधि की गणना, उस तारीख से की जायगी जिस तारीख को नहर में, किसी विशिष्ट गंतव्य स्थान तक के लिये जिसमें गांव को उसका भाग न मानते हुए एक पूरा गांव माना जायगा, पहिली बार पानी छोड़ा गया हो.

122. ऐसी नई नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से पूर्व प्रचलित मूल्यों में ऐसी सुविधा मिलने के पूर्व उस ग्राम या समीपवर्ती ग्राम में गत 10 वर्ष के औसत मूल्य के आधार पर पचास, प्रतिशत से अधिक वृद्धि होना सुनिश्चित करने हेतु विक्रय विलेखों के लिये रजिस्ट्रार कार्यालय में रखे गये अभिलेख को प्रमाणिक माना जायगा.

123. यदि किसी ऐसी भूमि के जो आसुधार प्रभार के भुगतान के दायित्वाधीन है, स्वामित्व का अंतरण आसुधार अंशदान की किस्त के भुगतान किये जाने के दौरान किसी भी प्रक्रम पर हो जाये तो ऐसे आसुधार प्रभार के बकाया के दायित्व के संबंध में यह समझा जावेगा कि वह भी क्रेता को अंतरित हो गया है. तथापि, विक्रेता भी ऐसे प्रभारों के भुगतान के लिये तब तक दायी बना रहेगा— जब तक कि वह क्रेता की लिखित में सम्मति के साथ प्राधिकृत अधिकारी को सूचना न दे दे. परन्तु इस रकम की भुगतान में चूक होने की दशा में अदत्त किस्तों की रकम, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार दोनों में से किसी से भी वसूल की जा सकेगी.

124. ऐसी भूमि पर जो कि सरकार के कब्जे में हो, कोई आसुधार प्रभार उद्ग्रहणीय नहीं होगा किंतु जैसे ही सरकारी निकाय, को छोड़कर किसी अन्य को, उस भूमि के स्वामित्व का स्थायी रूप से अन्तरण होता है, आसुधार अंशदान का अंश संबंधित पक्षकार द्वारा देय होगा. राजस्व प्राधिकारी आवंटितियों के पूर्ण विवरण प्राधिकृत अधिकारी को देगा, जिससे कि वह आसुधार प्रभार का निश्चय करने में और उसकी वसूली को कार्यरूप में परिणित करने में समर्थ हो सके.

125. जब आसुधार प्रभारों की कोई बकाया रकम, व्यतिक्रमी की मृत्यु होने (उसके) फरार, होने के कारण या अन्य कारण से वसूली के योग्य नहीं हो, तो उसकी रिपोर्ट कलेक्टर द्वारा आयुक्त को दी जायेगी, जो प्रत्येक मामले में, शासन के आदेशानुसार कार्यवाही करेगा.

126. प्राधिकृत अधिकारी, अभिलेख में की किसी भी प्रविष्टि को, जिसे वह अशुद्ध समझे, उसे सही कर सकेगा. परन्तु यदि ऐसी शुद्धि से देय रकम में वृद्धि होती हो, तो वह संबंधित स्थायी धारक को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसा नहीं करेगा, तथा छूट देने के मामले में, निकटतम उच्चतर अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगा.

127. धारकों के द्वारा देय आसुधार अंशदान के अवधारण संबंधी अंतिम आदेश की प्रति सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ सिंचाई पंचायत के पास एक मास तक रखी जायेगी.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

128. आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये विहित की गई परिसीमा के पश्चात् स्वामित्व के अंतरण से अंतरिती को नवीन आपत्ति उठाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा.

129. सिंचाई उपकर अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ नीचे जा सकने वाले धारा 58-L तथा M. क्षेत्र से अभिप्रेत है :—

(क) नहर प्रणाली के मामले में समस्त सिंचाई योग्य क्षेत्र;

(ख) निमज्जित तालाब अनिवार्यतः निर्धारित क्षेत्र के मामले में पूर्ण तालाब स्तर (एफ. टी. एल), के अधीन तथा नक्शे (डिजायन) के अनुसार बाहिरी सिंचाई क्षेत्र (आउट साइड इरीगेशन) यदि कोई हो, परन्तु भूमि पर खेती होती हो और वह आर्द्र भूमि न हो.

130. नियम 129 के खंड (क) तथा (ख) के अधीन समस्त भूमि की सूची उपखंडीय अधिकारी द्वारा तैयार की जावेगी और कार्यपालक यंत्री द्वारा अनुमोदित की जायेगी, जो इस प्रयोजन हेतु अधिकृत मानी जायेगी.

131. अंतिम रूप से तैयार की गई सूचियों के आधार पर, सिंचाई निरीक्षक के सामान्य पर्यवेक्षण में अमीन द्वारा विहित प्ररूप में ग्रामवार, कार्यवार जमाबंदी तैयार की जावेगी, जिसमें प्रत्येक कृषिक से संबंधित विशिष्टियों को एक साथ लिखा जायगा और उनका जोड़ लगाकर तथा कार्यपालक यंत्री, या नहर डिप्टी कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की जाकर अमीन के पास स्थायी अभिलेख के रूप में रखी जायेगी.

132. ऐसा समेकित क्षेत्र जिस पर सिंचाई उपकर प्रभारित किया गया हो तथा उसकी रकम को, जल दर के लिये, परचा में रबी फसल के लिये देय जल दर के कुल योग के नीचे दर्शाया जायगा तथा प्रतिवर्ष महायोग दिया जायगा.

133. ऐसे क्षेत्र पर, जोकि जलाक्रान्त (वाटर लाग्ड)हो, लवण युक्त हो या जो पानी में डुबा रहता हो, जहां कृषि करना संभव न हो, सिंचाई उपकर अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा.

134. नियम 133 के अधीन ऐसे सर्वेक्षण क्रमांकों की एक सूची अमीन द्वारा तैयार की जायगी तथा कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुमोदित की जायगी. जैसे ही उपरोक्त दशाएं समाप्त होती है, अर्थात् भूमि कृषि योग्य हो जाती है, ऐसी सूची को पुनरीक्षित किया जायगा.

135. सिंचाई उप कर के लिये देय धनराशि की वसूली ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी रीति में की जायगी जोकि जल दर की वसूली के लिये लागू हो/हों.

136. विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई सभी सिंचाई योग्य भूमियों पर सदैव ही सिंचाई उप कर प्रभारित किया जायगा, और यह तथ्य नीलामी सूचना में शर्त के रूप मे उल्लिखित किया जायगा.

137. सिंचाई योग्य सरकारी भूमि के अप्राधिकृत अधिभोगियों पर भी सिंचाई उप कर तब तक प्रभारित किया जायेगा जब तक कि ऐसी भूमि उनके कब्जे में हो.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

138. किसी भी क्षेत्र को, जो सिचाई उप कर के भुगतान के दायित्वाधीन हो, अधीक्षण यंत्री द्वारा ऐसे भुगतान से मुक्त घोषित किया जा सकेगा, यदि विभाग ऐसे क्षेत्र को लगातार तीन वर्ष तक सिंचाई करनेवाले निकास (ग्राउटलेट) में जल प्रदाय न कर सके.

139. अधिक वसूली या वसूली के पश्चात् दी गई छूट या अन्यथा वसूल की गई उप कर की रकम की वापिसी समायोजन की मंजूरी अधीक्षण यंत्री द्वारा की जा सकेगी.

धारा 59. 140. किसी खरीफ फसल की सिचाई के लिये किये गये जल प्रदाय के कारण देय नहर राजस्व का संदाय 15 मार्च को या उसके पूर्व किया जायगा और रबी तथा अन्य समस्त प्रकार की फसलों की सिंचाई के लिये किये गये जल प्रदाय के कारण देय नहर राजस्व का संदाय 15 जून को या उसके पूर्व किया जायगा.

141. किसी ग्राम के तालाब को भरन के हेतु जल प्रदाय के लिये संदाय, जब कि वह 1 जून से 31 दिसम्बर के बीच किये गये जल प्रदाय के कारण शोध्य हो, खरीफ की किस्त के साथ किया जायगा तथा जब वह 1 जनवरी से 30 जून के बीच किये गये जल प्रदाय के कारण शोध्य हो, रबी किस्त के साथ किया जायगा.

142 नियम 140 तथा 141 के अधीन तारीखों का स्थगन नहर डिप्टी कलेक्टर के आवेदन पर, अधीक्षण यंत्री द्वारा एक माह तक के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा.

धारा 93 के साथ पठित धारा 62. 143. किसी सिंचाई पंचायत के लिये निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या, कार्यपालक यंत्री की अनुशंसा सिफारिश पर कलेक्टर द्वारा अवधारित की जायगी.

144. (क) सिंचाई पंचायत तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगी :

परन्तु कलेक्टर समय-समय पर तथा लिखित में आदेश द्वारा किसी सिंचाई पंचायत की पदावधि ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिये जो कुल मिला कर तीन वर्ष से अधिक न हो, बढ़ा सकेगा.

(ख) इस बात के होते हुए भी कि किसी सिंचाई पंचायत की पदावधि समाप्त हो गई है वह तब तक पद धारण किये रहेगी, जब तक कि इन नियमों के अधीन नवीन पंचायत का गठन न हो जाय.

(ग) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कलेक्टर किसी भी समय लिखित में आदेश द्वारा किसी सिंचाई पंचायत को विघटित कर सकेगा.

145. निम्नलिखित व्यक्ति किसी सिंचाई पंचायत के लिये मतदाताओं के रूप में कार्य करने या उसका कोई पद धारण करने के लिये अनर्ह होंगे :—

(क) ऐसा व्यक्ति जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्यायनिर्णित कर दिया गया हो;

(ख) ऐसा व्यक्ति जो अवयस्क हो;

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नियम 148 के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली में न हो; तथा

(घ) ऐसा व्यक्ति जो किसी सिविल न्यायालय द्वारा दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया हो;

(ङ) ऐसा व्यक्ति जिस पर तीन वर्ष अथवा इससे अधिक वर्षों का सिंचाई राजस्व बकाया हो.

146. जब कभी किसी गांव, चक अथवा मुहाल में सिंचाई की संभावनायें हों तथा वहां सिंचाई पंचायत विद्यमान न हो अथवा विद्यमान पंचायत की पदावधि समाप्त होने वाली हो या पंचायत का विघटन कर दिया गया हो तो, कार्यपालक मंत्री, कलेक्टर को सिंचाई पंचायत के हेतु सदस्यों की संख्या नियत करने का प्रस्ताव करेगा तथा निर्वाचित किये जानेवाले सदस्यों की संख्या का अनुमोदन होने के पश्चात् वह निर्वाचन के लिये तारीख, समय तथा स्थान नियत करेगा और उस ग्राम में कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व इस बात की उद्घोषणा करेगा.

147. निम्नलिखित व्यक्ति सिंचाई पंचायत की सदस्यता के लिये मतदाता समझे जायंगे :—

(क) समस्त स्थायी धारक जो कार्यपालक यंत्री द्वारा इस प्रयोजन के लिये परिभाषित की गई नहर प्रणाली द्वारा सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र के भीतर की भूमि को व्यक्तिश: या संयुक्तत: धारण करते हों;

(ख) समस्त स्थायी धारक जो बाहरी सिंचाई क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए निमज्जित तालाब के पूर्ण तालाब स्तर (एफ. टी. एल.) के भीतर की तथा अनिवार्यत: निर्धारण किये गये क्षेत्र के भीतर की भूमि धारण करते हों.

148. नहर डिप्टी कलेक्टर तथा सिंचाई निरीक्षक के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए अमीन ग्राम के ऐसे व्यक्तियों की सूची जो नियम 147 के अधीन मतदाता होने के हकदार हों तथा नियम 145 के अधीन अनर्ह न हो निर्वाचन के लिये नियत तारीख के कम से कम एक मास पूर्व तैयार करेगा और सिंचाई निरीक्षक के हस्ताक्षर लेकर उस सूची को ग्राम के किसी प्रमुख स्थान पर तुरन्त चिपकायेगा.

149. कोई भी व्यक्ति जो सूची में की या उसमें से लोप की गई किसी प्रविष्टि के विरुद्ध कोई आपत्ति करना चाहता हो तो वह उन्हें सूची चिपकाये जाने की तारीख से 8 दिन के भीतर सिंचाई निरीक्षक के समक्ष आपत्ति फाइल करेगा जो (सिंचाई निरीक्षक) उस आपत्ति को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे उसके प्राप्त होने की तारीख से 8 दिन के भीतर निपटायेगा.

150. यदि कोई व्यक्ति सिंचाई निरीक्षक के विनिश्चय से व्यथित हो तो वह आदेश प्राप्त होने की तारीख से 8 दिन के भीतर नहर डिप्टी कलेक्टर को अपील कर सकेगा जो ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, 10 दिन के भीतर उसका निपटारा करेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

151. कार्यपालक यंत्री निर्वाचन की अध्यक्षता करने के लिये किसी सिंचाई निरीक्षक अथवा किसी नहर अधीनस्थ को नियुक्त तथा प्रतिनियुक्त करेगा. वे

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

मतदाता, जिनके नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट किये गये हों नियम 146 के अधीन नियत किये गये स्थान पर एकत्रित होंगे. प्रत्येक मतदाता को प्ररूप 14 में चिह्नित कागज पर, उसकी राय में पंचायत में बैठने के लिये सर्वोत्तम उपयुक्त व्यक्तियों के नाम कलेक्टर द्वारा नियत की गई संख्या तक, अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप सहित विनिर्दिष्ट करने के लिये प्राइवेट तौर पर बुलाया जायगा. वह मतदाता जो निरक्षर तथा लिखने में असमर्थ हो, चिह्नित कागज पर नाम लिखने हेतु अपने विश्वास का एक साक्षर व्यक्ति अपने साथ ला सकेगा. लिखने वाले के हस्ताक्षर तथा मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसे चिन्हित कागज पर लिया जाना आवश्यक है तथा पीठासीन अधिकारी भी ऐसे चिह्नित कागज पर सत्यापन के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर करेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को निरक्षर या लिखने में असमर्थ मतदाता के साथ, केवल एक बार ही अनुज्ञात किया जायगा.

152. पीठासीन अधिकारी निर्वाचन समाप्त होने के पश्चात्, उस स्थल पर ही मतदान करने वाले तथा अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं के अनुक्रमांक तथा विशेष घटना जो मतदान केन्द्र पर घटी हो का उल्लेख करते हुये एक कार्य विवरण (प्रोसीडिंग) तैयार करेगा. तत्पश्चात् वह ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच की उपस्थिति में समस्त कागजों को एक लिफाफे में मुद्रा बंद करेगा तथा मतदान के तुरन्त पश्चात् इस प्रकार मुद्रा बंद लिफाफे नहर डिप्टी कलेक्टर को सौंप दिये जायेंगे.

153. नहर डिप्टी कलेक्टर संबंधित पीठासीन अधिकारी की सहायता से ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच की उपस्थिति में उन अभ्यर्थियों की जिन्हें मत दिये गये हों, एक सूची तैयार करेगा जिसमें अनुक्रमानुसार उनके द्वारा प्राप्त किये गये मतों की संख्या दर्शायी जायगी. तत्पश्चात् निर्वाचन का परिणाम घोषित करने के लिये वह उस सूची को कार्यपालक यंत्री की मार्फत कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा.

154. मतों के समान होने की दशा में अधिमान क्रम पर्ची डालकर विनिश्चित किया जायगा.

155. कलेक्टर कार्यपालक यंत्री को विनिश्चय सूचित करेगा, जो पंचों की सूची को ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकवाने की व्यवस्था करेगा.

156. पंचायत ऐसे सम्मिलन में, जिसमें कम से कम तीन सदस्य उपस्थित हों, अपने में से एक सदस्य को सरपंच के रूप में निर्वाचित करेगी. इस सम्मिलन की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित पंचों में से एक पंच द्वारा की जायेगी :

परन्तु किसी भी ऐसे सदस्य को, जो सरपंच के रूप में निर्वाचित होने के लिये अभ्यर्थी हो सभापति के रूप में, निर्वाचित नहीं किया जायगा. निर्वाचन मतदान द्वारा किया जायगा. मतों के समान होने की दशा में, सम्मिलन के सभापति का निर्णायक मत होगा. पंचायत में कोई विनिश्चय न हो पाने की दशा में कलेक्टर सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सरपंच के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा. सम्मिलन की कार्यवाहियां प्ररूप 15 में कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जावेगी तथा सभापति द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी. मतदान के परिणाम की सूचना सभापति द्वारा अमीन को लिखित रूप में दी जायगी. अमीन द्वारा पंचायत के सरपंच तथा सदस्यों के नाम ग्राम के किसी सहज गोचर स्थान पर चिपकाये जायंगे.

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

157. किसी निर्वाचित पंच की सेवा निवृत्ति, मृत्यु, अनर्हता या उसे हटा दिये जाने की दशा में पंचायत कलेक्टर को इस तथ्य की सूचना तत्काल देगी, जो (कलेक्टर), यदि उस रिक्त स्थान की पूर्ति करना आवश्यक समझे तो नये पंच के निर्वाचन के लिये तारीख, समय तथा ग्राम के भीतर स्थान नियत करेगा और पंचायत समय से कम से कम 7 दिन पूर्व ग्राम में उस आशय की उद्घोषणा करेगी. इस प्रकार नियत तारीख को कार्यपालक यंत्री किसी नहर डिप्टी कलेक्टर या सिंचाई निरीक्षक को ऐसे निर्वाचन की, जो नियम 152 में विहित रीति में किया जावेगा, अध्यक्षता करने के लिये प्रतिनियुक्त करेगा. इस प्रकार निर्वाचित किया गया तथा कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया नया पंच पंचायत की अवधि के शेष भाग के लिये पद धारण करेगा.

158. किसी पंच या सरपंच के किसी भी निर्वाचन के संबंध में कोई भी आपत्ति, निर्वाचन का परिणाम ग्राम में लगाये जाने की तारीख से 14 दिन के भीतर कलेक्टर को प्रस्तुत की गई याचिका के द्वारा होगी अन्यथा नहीं. कलेक्टर याचिका के संबंध में जांच करने तथा उसे निबटाने के लिये अपने किसी अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त कर सकेगा या कार्यपालक यंत्री द्वारा किसी नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त कराने की व्यवस्था करा सकेगा.

159. यदि यथास्थिति कलेक्टर या जांच करने के लिये प्रतिनियुक्त किये गये पदाधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह मत हो कि जिस निर्वाचन के विरुद्ध परिवाद किया गया है उस निर्वाचन में भ्रष्ट या अवैध आचरण से सफलता प्राप्त की गई है या उसे उत्प्रेरित किया गया है, या उस निर्वाचन के परिणाम पर सारवान रूप से प्रभाव पड़ा है, तो वह उसे शून्य घोषित कर सकेगा तथा नया निर्वाचन किये जाने के आदेश दे सकेगा.

160. नियम 159 के अधीन जांच करने वाले कलेक्टर या राजस्व पदाधिकारी को, मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 33 तथा धारा 34 में विनिर्दिष्ट की गई राजस्व अधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी, तथा नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ को नियम 12 से 24 तक में विनिर्दिष्ट की गई नहर अधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी, दोनों में से प्रत्येक दशा में उसका आदेश अंतिम होगा.

161. नियम 156 के अधीन निर्वाचित किया गया सरपंच, या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया पंचायत का कोई भी सदस्य अन्य पंच को प्रत्येक सम्मिलन के लिये नियत तारीख समय तथा स्थान तथा कामकाज के जिसके कि संबंध में चर्चा की जाना है उसके प्रकार या किये जाने वाले कार्य की सम्यक् सूचना देगा.

162. पंचायत के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जायेगी. परन्तु यदि जब कोई सम्मिलन किया जाय और सरपंच का पद रिक्त हो या सरपंच सम्मिलन से अनुपस्थित हो तो उपस्थित पंच अपने में से एक सदस्य को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये नियुक्त करेंगे.

163. सरपंच यदि उपस्थित हो, को सम्मिलित करते हुये पंचों की कुल संख्या की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी, अध्यक्ष को विमर्शी मत (डेलिवरेटिव वोट) प्राप्त होगा तथा मत बराबर-बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत भी प्राप्त होगा. वह सम्मिलन के समक्ष लाये गये समस्त काम काज का विनियमन करेगा तथा व्यवस्था

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी. एम.
भोपाल
CamScanner

बनाये रखेगा. पंचायत के सम्मिलन में सर्वसाधारण को प्रवेश की अनुमति रहेगी किन्तु पंचों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष सर्वसाधारण को सम्मिलन, से चले जाने की अपेक्षा कर सकेगा.

164. पंचायत अपने सम्मिलन तथा अपनी कार्यवाहियों का संक्षिप्त अभिलेख एक पुस्तक में हिन्दी में रखेगी.

165. (1) इस अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अपराधों का प्रशमन किया जा सकेगा अर्थात् जब कोई व्यक्ति समुचित प्राधिकारी के बिना :--

(एक) किसी नहर को नुकसान पहुंचायेगा, उसे परिवर्तित करेगा या उसे बढ़ायेगा या उसमें बाधा डालेगा; या

(दो) किसी जलधारा का उपयोग करते हुए, उससे होने वाले जल के प्राधिकृत विवरण में हस्तक्षेप करेगा; या

(तीन) किसी जलधारा का उपयोग करते हुए उस जलधारा के जल की बरबादी को रोकने के लिये उचित पूर्वविधानियां बरतने में उपेक्षा करेगा; या

(चार) सिंचाई के लिये अपने खेत में जल प्राप्त करने पर ऐसे जल की बरबादी को रोकने के लिये उचित पूर्वविधानी बरतने में उपेक्षा करेगा; या

(पांच) किसी नहर अधिकारी के प्राधिकार से लगाये गये किसी भी भूमि चिन्ह, तल-चिन्ह, जलमापी या अन्य सांधित्र को नष्ट करेगा, क्षति पहुंचायेगा, विरूपित करेगा या हटायेगा; या

(छः) किसी नहर के किन्हीं भी संकर्मों, तटों या जल सरणियों पर से या उनके आर पार पशुओं या यानों को उस दशा में गमन करायेगा जबकि ऐसा गमनाधिकार किसी नहर अधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो; या

(सात) किसी नहर के तट या सीमा पर पशुओं को चरवायेगा या रस्सी से बंधवाकर रखवायेगा या जानते हुए और जानबूझकर उन्हें चरने देगा या रस्सी से बांधकर रखा जाने देगा जब कि ऐसा चरना या रस्सी से बांधकर रखना किसी नहर अधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो; या

(आठ) किसी नहर पर उगे हुए किसी वृक्ष, झाड़ी, घास या अन्य वनस्पति को हटायेगा या क्षति पहुंचायेगा; या

(नौ) किसी नहर के तटों पर या उसकी जल सारणी में मल-मूत्र करेगा; या

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आर.एस.
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

(दस) किसी जल धारा को नुकसान पहुंचायेगा या उसे परिवर्तित करेगा या उसके प्रवाह में कोई बाधा डालेगा या ऐसे जल को दूषित करेगा या गन्दा करेगा; या

(ग्यारह) सिंचाई के लिये अपने खेत में प्राप्त जल को पंचायत द्वारा अपेक्षित किये जाने पर भी खेत के बाहर न जाने देगा:

परन्तु धारा 62 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे किसी भी अपराध का प्रशमन नहीं किया जायेगा, जहां उस अपराध से तीस रुपये से अधिक मूल्य का नुकसान हुआ हो.

(2) सिंचाई पंचायत किसी भी व्यक्ति को, जिसके बारे में इस बात का युक्तियुक्त संदेह हो कि उसने उपर्युक्त अपराधों में से कोई भी अपराध किया है सूचना दे सकेगी. ऐसी सूचना उस व्यक्ति को इस बात के लिये अपेक्षित करेगी कि वह उस सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये समय तथा स्थान पर हाजिर हो.

(3) जब वह व्यक्ति हाजिर हो और प्रशमन के लिये पंचायत का प्रस्ताव स्वीकार करे तो उसके द्वारा देय रकम नियत करते हुए एक आदेश अभिलिखित किया जायेगा, ऐसी रकम तुरन्त ही या ऐसे समय के भीतर जो पंचायत द्वारा नियत किया जाय, चुकाई जावेगी.

(4) ऐसे समस्त अपराध जिनके सम्बन्ध में उपनियम (2) तथा (3) के अधीन कार्यवाही की गई हो, एक रजिस्टर में अभिलिखित किये जायेंगे जिसमें निम्न-लिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी:—

(क) क्रमांक;

(ख) अपराध के किये जाने की तारीख;

(ग) अपराध की रिपोर्ट या उसके परिवाद या उसका पता लगने की तारीख;

(घ) अपराधी का नाम, माता पिता का नाम, निवास स्थान तथा उसकी सामाजिक स्थिति;

(ङ) अभिकथित अपराध तथा उपनियम 166 (1) का वह उपबंध जिसके कि अधीन वह (अपराध) आता हो;

(च) यदि आरोपित अपराध नुकसान पहुंचाने के संबंध में हो, तो निर्धारित की गई नुकसानी की राशि, यदि वह जल की बरबादी, उसकी चोरी या उसे दूषित किये जाने के सम्बंध में हो, तो प्रभावित जल का मूल्य;

(छ) की गई जांच की, अपराधी के अभिकथन की और किये गये विनिश्चय की संक्षिप्ति;

(ज) प्रशमन के रूप में चुकाई गई रकम तथा चुकाये जाने की तारीख; और

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी. ...
भोपाल
CamScanner

(ख) जिस सम्मिलन में मामले पर विनिश्चय किया गया हो उसकी अध्यक्षता करने वाले सरपंच के हस्ताक्षर तथा विनिश्चय की तारीख.

(5) मूल रजिस्टर नहर अधिकारी को ऐसे अन्तरालों पर, जो कार्यपालक यंत्री द्वारा निदेशित किये जायं, प्रस्तुत किया जायेगा.

(6) सिचाई पंचायत नहर अधिकारी को, प्रत्येक ऐसे मामले की रिपोर्ट करेगी, जिसमें कोई व्यक्ति सूचना का पालन न करे, या प्रशमन के लिये पंचायत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे या नियत समय के भीतर प्रशमन की रकम न चुकाये.

(7) रिपोर्ट प्राप्त होने पर नहर डिप्टी कलेक्टर, ऐसी रकम को भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिये कार्यवाही करेगा, तथा अपने विवेकानुसार 250 रु. से अनधिक का जुर्माना भी अधिरोपित कर सकेगा.

(8) प्रत्येक सिचाई पंचायत के लिये एक निधि का निर्माण किया जायेगा जो सिचाई पंचायत निधि कहलायेगी, तथा इस नियम के अधीन प्रशमन के रूप में वसूल किया गया धन इस निधि में जमा किया जायगा.

166. सिचाई पंचायत निधि की नगदी रोकड़ बाकी सिंचाई पंचायत निधि के नाम से, सरपंच द्वारा, समीपतम डाक घर बचत बैंक में या पड़ोस के किसी सहकारी बैंक में या नहर डिप्टी कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से ग्राम में रहने वाले किसी भी सम्मानित व्यक्ति के पास रखी जायेगी, परन्तु 25 रुपये से अनधिक की कोई भी रकम, चालू व्यय के लिये किसी भी पंच की अभिरक्षा में रखी जा सकेगी.

167. सिचाई पंचायत, सिचाई पंचायत निधि में से वास्तविक रूप से उसके पास की रकम तक का व्यय ग्राम में सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी कार्य के लिये, जो कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया हो मंजूर कर सकेगी.

168. सिचाई पंचायत निधि की आय तथा व्यय के लेखे, सरपंच द्वारा पंचायत निधि लेखा पुस्तक के प्रारूप 16 में रखे जायेंगे. लेखे प्रत्येक माह के अंत में बंद किया जायेगा, तथा उसका शेष निकाला जायेगा, और पंचायत द्वारा उसकी जांच की जायेगी तथा पारित किया जायेगा. नहर अधिकारी सिचाई निरीक्षक या अनुभाग अधीनस्थ द्वारा उसकी जांच पड़ताल की जायेगी.

169. सिचाई पंचायत निम्नलिखित पुस्तकें और कागजात रखेगी :—

(एक) प्रारूप 16 में पंचायत निधि लेखा पुस्तक;

(दो) प्रारूप 17 में प्रतिपर्ण वाली रसीद पुस्तक;

(तीन) प्रारूप 18 में कार्यवाही पुस्तक;

(चार) पंचायत द्वारा किया गया पत्र व्यवहार तथा जारी की गई सूचनायें;

अभिलेख क्रमांक (दो), (तीन) तथा (चार) को, उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात् नष्ट किया जा सकेगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

पंचायत द्वारा रखी गई समस्त पुस्तकें तथा कागजात, किसी भी नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ जो उनको देखने के लिये मांग करें समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रस्तुत किये जायेंगे.

170. (1) सिंचाई पंचायत को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक दिया जायेगा, जिसकी संगणना नहर राजस्व के संग्रहण के लिये और प्रशासकीय कार्य के लिये पृथक्-पृथक् रूप से की जायेगी.

(2) संग्रहण कार्य के लिये प्रत्येक सिंचाई पंचायत को शोध्य कुल रकम की संगणना प्रत्येक किस्त के लिये पंचायत द्वारा संग्रहीत किये गये नहर राजस्व का पहले 1,000 रुपये के लिये प्रति रुपया तीन पैसे की दर से तथा इस रकम से अधिक को समस्त राशि के लिये प्रति रुपया दो पैसे की दर से पृथक्-पृथक् रूप से की जायगी यदि सिंचाई पंचायत द्वारा संग्रहीत किया गया कोई नहर राजस्व बाद में वापिस कर दिया जाये, तो सिंचाई पंचायत से कमीशन की वसूली नहीं की जायेगी.

(3) प्रशासकीय कार्य के लिये कमीशन कार्यपालक यंत्री के विवेकानुसार संदत्त किया जायेगा, जो सिंचाई पंचायत द्वारा किये गये कार्य की दक्षता को ध्यान में रखते हुए उसे संदत्त की जाने वाली रकम का अवधारण करेगा. अधिकतम देय राशि की गणना निःशुल्क निर्धारित या सिंचित की गई प्रति एकड़ के लिये, नौ पैसे की दर से की जायेगी.

(4) संग्रहण के मद्दे देय कमीशन की रकम की संगणना करते समय एक रुपये के भाग को यदि वह पचास पैसे से अधिक हो तो एक रुपया माना जायेगा, तथा यदि वह पचास पैसे से अधिक न हो तो उनकी संगणना नहीं की जायेगी प्रशासकीय कार्य के लिये कमीशन को संगणना करते समय एक एकड़ के भाग की यदि वह आधे एकड़ से अधिक हो तो एक एकड़ माना जायेगा, तथा यदि वह आधे एकड़ से अधिक न हो तो उनकी संगणना नहीं की जायेगी.

(5) संग्रहण तथा प्रशासकीय कार्य दोनों के लिये कमीशन का भुगतान नहर अधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार किया जायेगा, तथा सामान्यतया ऐसा भुगतान खरीफ फसल के लिये 30 अप्रैल तक और रब्बी की फसल के लिये 31 अक्टूबर तक कर दिया जायेगा. कुल देय राशि में से सरपंच दो अंशों का तथा प्रत्येक पंच एक-एक अंश का हकदार होगा. ऐसे पंच, जिन्होंने संग्रहण के कार्य के समय ग्राम से अपनी अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा व्यस्त रहने के कारण उस कार्य में कोई भाग न लिया हो, कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं करेंगे, किन्तु इस कारण सिंचाई पंचायत की शोध्य कुल राशि घटाई नहीं जायेगी.

171. प्रत्येक अमीन, अनुभाग अधीनस्थ, सिंचाई निरीक्षक, उपखण्डीय अधिकारी, नहर डिप्टी कलेक्टर तथा कार्यपालक यंत्री द्वारा प्रपत्र 18 में एक रजिस्टर जिसमें सरपंच तथा पंचायत के सदस्यों के नाम वर्णक्रमानुसार हो रखा जावेगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CS CamScanner

धारा 63,93 (सी) तथा 92 (5).

172. मांग पर सिंचाई, करार के अधीन सिंचाई कृषि भूमि पर की गई अप्राधिकृत सिंचाई तथा निमज्जित क्षेत्र के लिये किये गये जल के प्रदाय की समस्त प्रविष्टियां, अमीन द्वारा प्ररूप 19 में की जायंगी, जिसे 'खसरा शुदकार' कहा जायेगा. वह प्रत्येक ग्राम की सिंचाई का अभिलेख पृथक् खसरा शुदकार में, तालाबवार रखेगा तथा उसमें प्रत्येक खेत का सर्वेक्षण तथा पड़ताल (निरीक्षण) करके समस्त ऐसे खेतों की प्रविष्टि करेगा जो कि उसे जलकर के निर्धारण के लिये दायित्वाधीन प्रतीत हों तथा खरीफ रबी और जायद ऋतुओं को शुदकार की प्रविष्टियां प्रत्येक वर्ष में क्रमश: 30 सितम्बर, 28 फरवरी तथा 15 मई तक पूर्ण कर लेगा और रिपोर्ट को ऐसे खेतों की सूची सहित, जिन खेतों की सिंचाई के सम्बन्ध में उसे युक्ति-युक्त सन्देह हो, ऊपर वर्णित तारीखों को या उनके पूर्व अपने निकटतम उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

173. अमीन, खसरा शुदकार (अन्तिम सर्वेक्षण तथा माप) में प्रविष्टियां लेखन पूर्ण कर लेने पर, प्रत्येक कृषि के लिये प्ररूप 20 में पर्चा तैयार करेगा, तथा अमीन और अनुविभाग अधीनस्थ द्वारा हस्ताक्षरित पर्चा, खाते में दर्ज करने के पश्चात् अमीन द्वारा, प्रत्येक कृषक को व्यक्तिगत रूप से देकर प्ररूप 21 में हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा. यदि कृषक की अनुपस्थिति के कारण या कृषक के उसके लेने से इंकार करने के कारण या रसीद देने से मना करने पर या व्यक्तिगत वितरण संभव न हो तो पर्चे सिंचाई सरपंच, पंच, या पटेल के पास छोड़ दिया जावेगा, जो संबंधित कृषक को परिदत्त करेंगे.

174. अमीन खसरा शुदकार एवं पर्चों की सहायता से निम्नलिखित कागजात विहित किये गये प्रारूपों में तैयार करेगा :—

(एक) खाता, जिसमें प्रत्येक कृषक से संबंधित समस्त प्रविष्टियां एक साथ लाई जायेंगी तथा उनका जोड़ किया जायेगा, (प्ररूप 22)

(दो) किस्तबन्दी, खतौनी, जिसमें केवल जोड़ की गई वह रकम, जिसके लिये पर्चे वितरित किये गये हैं, दर्ज की जावेगी, (प्ररूप 23)

(तीन) संक्षेप किस्तबन्दी / खतौनी, जिसमें कालम क्रमांक 1 से 6 तक की प्रविष्टियां पूर्ण हों, (प्ररूप 24)

175. पर्चा प्राप्त होने पर कोई भी कृषक, पर्चा प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर सिंचाई निरीक्षक या अनुविभागीय अधीनस्थ लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा, तथा जिसके साथ मूल पर्चा संलग्न रहेगा. सिंचाई निरीक्षक या अनुभाग अधीनस्थ ऐसी समस्त आपत्तियों का प्ररूप 25 में एक रजिस्टर में दर्ज करेगा, तथा संबंधित कृषक को उस तारीख की संसूचना देगा, जिस पर कि वह आपत्तियों की सुनवाई तथा उनके निराकरण के लिये ग्राम या मौके पर जायेगा ?

176. यदि किसी उचित कारण से कोई अनुभाग अधीनस्थ या सिंचाई निरीक्षक उसके द्वारा नियत की गई तारीख को आपत्ति की सुनवाई के लिये किसी ग्राम का दौरा न कर सके तो, वह अगले दौरे के लिये अन्य तारीख नियत करेगा और संबंधित अधिभोगी को उसकी संसूचना देगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक बी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

177. समस्त आपत्तियों का उनकी प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर, अन्वेषण किया जायगा तथा तुरन्त विनिश्चित की जायेंगी. अंतिम आदेश की संसूचना परिवादी को अविलम्ब दी जावेगी.

178. प्रत्येक अधभोगी से शोध्य रकम की संगणना निकटतम पैसे तक की की जावेगी, कोई भी अधिभोगी जिसे उससे मांग की गई, राशि की शुद्धता के बारे में संदेह हो जमीन द्वारा रखे गये निर्धारण अभिलेख का निरीक्षण निःशुल्क कर सकेगा.

179. यदि कृषक जिसको पर्चा दिया गया हो, पर्चा की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर कोई आपत्ति न करे तो, निर्धारित किया गया जल कर, पुष्टित माना जावेगा.

180. यदि कृषक पर्चा प्राप्ति के दस दिन के अन्दर, आपत्ति प्रस्तुत करता है, तो विवादग्रस्त धन तब तक नहीं वसूल किया जावेगा, जब तक कि उसकी आपत्ति की सम्यक्रूपेण जांच न की जाय, तथा उसका अंतिम रूप से निराकरण न हो जाय.

181. (एक) नहर अधिकारी किसी भी समय निर्धारण कागजातों में की किसी भी प्रविष्टि को, जिसे वह अशुद्ध समझे, शुद्ध कर सकेगा, तथा वह प्रत्येक शुद्धि पर, हस्ताक्षर करेगा. परन्तु यदि ऐसी शुद्धि के कारण, देय रकम में वृद्धि होती हो, तो वह संबंधित अधिभोगी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसी शुद्धि नहीं करेगा.

(दो) यदि पर्चा वितरण के पश्चात् मांग में कोई वृद्धि की जाय या शिकायत पर छूट के रूप में या अन्यथा कोई कटौती मंजूर की जाये तो ऐसी वृद्धि या छूट की सूचना कृषक को अनुपूरक पर्चे के माध्यम से दी जायगी.

(तीन) किस्तबन्दी खतौनी या संक्षेप, किस्तबन्दी खतौनी को क्रमशः पंचायत तथा नहर डिप्टी कलेक्टर को भेजने के पूर्व किये गये समस्त ऐसे परिवर्तन उस दस्तावेज में दर्शाये जायेंगे. किस्तबन्दी खतौनी या संक्षेप किस्तबन्दी खतौनी को भेजने के पश्चात् किये गये परिवर्तन पंचायत तथा नहर डिप्टी-कलेक्टर या तहसीलदार को, पुनरीक्षित अनुपूरक किस्तबन्दी खतौनी या संक्षेप किस्तबन्दी खतौनी द्वारा भेजे जायेंगे, जिसमें अधिभोगियों के नाम तथा मांग में घटाई जाने वाली या जोड़ी जाने वाली रकम, प्रत्येक अधिभोगी के सम्मुख दर्शाई गई हो.

182. किस्तबन्दी खतौनी सिंचाई निरीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर से खरीफ रब्बी की किस्त के लिये 15 जनवरी, 30 अप्रैल को या इससे पूर्व सरपंच, पंच या पटेल को भेजी जावेगी, सरपंच तथा पंचायत के सदस्य या पटेल इस विवरण की प्राप्ति पर संबंधित अधिभोगी से नहर राजस्व का संग्रह करने के लिये तुरन्त ही अग्रसर होंगे तथा संबंधित अधिभोगी पास के उपलब्ध सिंचाई पुस्तिका में उसकी अभिस्वीकृति देंगे तथा किस्तबन्दी खतौनी में प्रविष्ट करने के पश्चात् कार्बन के प्रयोग के द्वारा दो . तियों, में एक प्राप्ति विवरण तैयार करेंगे तथा संबंधित अधिभोगी के उसके द्वारा नश्चित की गई रकम के साथ सिंचाई पुस्तिका में अभिस्वीकृति पाने के पश्चात् प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेंगे.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी कार्यालय संचालक पी.आई.एम. भोपाल
CamScanner

183. वसूलकर्ता सरपंच में या पटेल, रकम प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उस रकम को यथास्थिति खजाना उपखजाना या बैंक में जमा करेंगे. रकम जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा एक चालान तीन प्रतियों में तैयार किया जायगा, और उस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे. चालान की एक प्रति खजाने, उपखजाने या बैंक में रखी जायेगी तथा दो प्रतियां रकम जमा करने वाले व्यक्ति को दी जावेगी. जोकि चालान की प्राप्ति विवरण की मूल प्रति, जिस पर संबंधित अधिभोगियों के हस्ताक्षर होंगे, को तथा नहर डिप्टी कलेक्टर को भेजेगा, जिससे कि नहर डिप्टी कलेक्टर वसूल की गई रकम का सत्यापन, करने में समर्थ हो सके.

184. सिचाई निरीक्षक तथा अमीन पंचायत की सहायता करेंगे, तथा वसूली किये जाने के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगे और यह देखेंगे कि वसूल की गई रकम यथासमय पर जमा की जा रही है तथा निक्षेपकर्ता को सिंचाई पुस्तिका (प्ररूप 11-अ) में सम्यक् रसीद दी जा रही है. उसके भंग होने की रिपोर्ट नहर डिप्टी कलेक्टर को तत्काल दी जावेगी, जो इसको रोकने के लिये ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह उचित समझे.

185. पंचायत या पटेल के द्वारा नहर राजस्व का संग्रहण नियम, 140 में यथा विहित तारीख के पश्चात् किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा. उस तारीख तक सरपंच या पंचायत के सदस्य, या पटेल, जिन्होंनें खजानें में रकम जमा की हो, उनके द्वारा ग्रहीत रकम की प्रविष्ट किस्तबन्दी खतौनी में कर देंगे. तथापि पंचायत के सदस्यों या पटेल को इस तारीख से सात दिन और अनुज्ञात किये जावेंगे, जिसके अंदर वह कोई राशि, जो कि उनके द्वारा संग्रह की गई हो, किंतु जमा न की गई हो, जमा करेंगे तथा किस्तबन्दी खतौनी संबंधित अमीन को तुरन्त ही वापिस करेंगे.

186. उस दशा में जब कि सरपंच, पंच या पटेल द्वारा विहित की गई कालावधि में कागजात न वापिस किये गये हों, अमीन उन कागजातों को लेने के लिये अग्रसर होगा, और यदि सरपंच, पंच या पटेल अभिलेख देने से इन्कार करें, तो वह तुरन्त ही नहर डिप्टी कलेक्टर को इस तथ्य की रिपोर्ट देगा जो कि पुलिस की सहायता से, उन कागजातों को अभिप्राप्त करेगा, और आगे ऐसी कार्यवाही करेगा, जैसी कि वह उचित समझे.

187. किस्तबन्दी, खतौनी तथा प्राप्ति विवरण, यदि कोई हो, के संग्रहण के पश्चात् अमीन प्रविष्टियों की जांच करेगा, तथा प्ररूप 26 में व्यतिक्रमियों की सूची, तैयार करेगा, तथा उसे किस्तबन्दी खतौनी के साथ सात दिन के भीतर सिंचाई, निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा. सिंचाई निरीक्षक किस्तबंदी खतौनी के कालम, क्रमांक 25 के अंकों की जांच करेगा, तथा उनकी तुलना व्यतिक्रम सूची से 18 की किस्तबन्दी खतौनी में, पंचायत के उन सदस्यों के नाम लिखेगा जो नहर राजस्व के धन संग्रहण में, अनुपस्थित थे, या कि जिन्होंनें उसमें भाग नहीं लिया, तथा दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर, नहर डिप्टी कलेक्टर को अग्रेषित करेगा. यदि कोई अतिरिक्त धन का संग्रहण हुआ हो, तो वह उसे टिप्पणी के कालम में लाल स्याही से दर्ज करेगा.

188. नहर डिप्टी कलेक्टर, किस्तबंदी खतौनी से अपना ग्रामवार विवरण तथा रजिस्टर पूर्ण करेगा. वह, संग्रहण तथा प्रशासकीय कार्य के लिये पंचायतों तथा पटेलों को देय कमीशन का विवरण भी प्ररूप 27 व 28 में, सिंचाई संकर्म वार तथा प्रत्येक उप-खण्डवार, दो प्रतियों में तैयार करेगा. यह विवरण कार्यपालक यंत्री को प्रस्तुत किया जावेगा जो कि उसके भुगतान को प्राधिकृत करेगा. भुगतान की रसीद यथासंभव प्ररूपों की द्वितीय प्रतियों पर ली जायेगी तथा शेष भुगतानों की हस्तलिखित

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

रसीद ली जायगी. खरीफ तथा रबी फसलों की बाबत प्रशासकीय कार्य के लिये देय कमीशन का विवरण कार्यपालक यंत्री के द्वारा क्रमश: 31 जनवरी तथा 31 मई तक ,अनुमोदित किया जायगा, तथा समस्त भुगतान क्रमश अप्रैल तथा अक्टूबर की समाप्ति के पूर्व कर दिये जायेंगे. खरीफ तथा रबी फसलों की बाबत संग्रहण कार्य के लिये देय कमीशन कार्यपालक यंत्री के द्वारा क्रमश: मार्च तथा जुलाई के अन्त तक अनुमोदित किया जायेगा तथा उसका भुगतान, नहर डिप्टी कलेक्टर की मार्फत क्रमश: अप्रैल तथा अगस्त के अन्त तक कर दिया जायगा.

189. नहर डिप्टी कलेक्टर व्यतिक्रमी-सूची का संलग्न करेगा तथा इसके आधार पर मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 की धारा 155 के अधीन बनाये गये नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिश: व्यक्तिक्रमी फाइल तैयार करेगा, तथा फिर समस्त बकाया रकम की भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल करने की व्यवस्था करेगा. वारण्ट जारी करने के लिये नहर डिप्टी कलेक्टर की सहायता के लिये एक सिंचाई निरीक्षक के अधीन कुछ चुने हुए अमीन प्रतिनियुक्त किये जा सकेंगे जो सिंचाई निरीक्षक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार नहर डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय में हाजिर होंगे तथा वारण्ट तैयार करेंगे.

ऐसे व्यतिक्रमि जो वारंट जारी करने से पूर्व किसी भी समय कैनाल डिप्टी कलेक्टर को बकाया राजस्व का भुगतान करते हैं. उनको कार्यपालन यंत्री अथवा कैनाल डिप्टी कलेक्टर की ओर से किसी भी प्राधिकृत अधीनस्त के द्वारा रसीद दी जा सकेगी. कैनाल डिप्टी कलेक्टर किस्तबन्दी खतोनी संक्षिप्त विवरण निहृति फार्म पर तैयार करेंगे व अगले माह की ४ तारीख तक कार्यपालन यंत्री को भेजेंगे जो संकलन कर एक-जाई तौजी तैयार कर अधीक्षण यंत्री को अगले माह की १० तारीख तक भेजेंगे.

190. किसी व्यतिक्रमी की मत्यु होने या उसके फरार होने या अन्य किसी कारण से उससे वसूल न होने वाली समस्त रकम का नहर डिप्टी कलेक्टर की सिफारिश पर अधीक्षण यंत्री द्वारा प्रत्येक वैयक्तिक मामले में 250 रु. तक परिहार किये जा सकेगा.

191. अतिरिक्त वसूली या वसूली के पश्चात् दी गई छूट या अन्यथा के कारण से जल कर का समायोजन या वापसी कार्यपालक यंत्री, द्वारा अधीक्षण यंत्री की पूर्व अनुमति से, आगे वाली साल में अनुज्ञात की जायगी.

192. यदि रसीद देने के लिये उत्तरदायी कोई सरपंच, पंच या पटेल नियमों के अधीन अपेक्षित रसीद देने से चूक करता है तो वह जमाकर्त्ता द्वारा भुगतान किये जाने के 15 दिन के अंदर आवेदन-पत्र देने पर, नहर डिप्टी कलेक्टर के आदेश के अधीन 50 रु. तक की शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम. भोपाल
CamScanner

१९३. यदि जलकर (नहर राजस्व) या उसके किसी भाग का भुगतान विहित की गयी तारीख के एक माह के अन्तर्गत न किया गया हो तोकैनल डिप्टी कलेक्टर ऐसे व्यतिक्रमियों पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.

(१) जब कि विहित की गई तारीख के एक माह के अन्तर्गत भुगतान करता है.	(१) भुगतान न की गई ऐसी रकम का ५ प्रतिशत.
(२) जब कि विहित की गयी तारीख के एक माह से दो माह के अन्तर्गत भुगतान करता है.	(२) भुगतान न की गयी ऐसी रकम का १० प्रतिशत.
(३) जब कि विहित की गयी तारीख के दो माह से तीन माह के अन्तर्गत भुगतान करता है.	(३) भुगतान न की गयी ऐसी रकम का १५ प्रतिशत.
(४) जब कि विहित की गयी तारीख के तीन माह से छै माह के अन्तर्गत भुगतान करता है.	(४) भुगतान न की गयी ऐसी रकम का २० प्रतिशत.
(५) जब कि विहित की गयी तारीख के छै माह से १२ माह के अन्तर्गत भुगतान करता है.	(५) भुगतान न की गयी ऐसी रकम का २५ प्रतिशत.
(६) जब कि विहित की गयी तारीख के १२ माह बाद भुगतान करता है.	(६) भुगतान न की गयी ऐसी रकम का ३० प्रतिशत.

परन्तु किसी भी ऐसी रकम का भुगतान न करने के लिये जो कि उस कालावधि के बारे में जिसमें भुगतान निलम्बित रहा हो, सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित कर दी गई हो कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जावेगी.

धारा 65, 75; 93 (ग) तथा 92 (5).

194. जल मार्ग के अन्वेषण के लिये आवेदन-पत्र प्ररूप 29 में दिया जायेगा, तथा धारा 65 के अधीन की गई संविदायें इन नियमों से संलग्न प्ररूप 30 में की जायेगी

195. प्ररूप 29 में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर—

(क) कार्यपालक यंत्री, ऐसा अन्वेषण करवायेगा, जो वह उचित समझे; और

(ख) ऐसा अन्वेषण संबंधित स्थायी धारकों के परामर्श से किया जायगा;

(ग) संबंधित स्थाई धारकों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव ग्राम के नक्शे की एक प्रति पर अंकित किये जायेंगे जिस पर ऐसे कम से कम तीन प्रमुख स्थाई धारकों के हस्ताक्षर होंगे, जिन्होंने अन्वेषण के लिये आवेदन किया हो, या यदि आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या तीन से कम हो तो आवेदन करने वाले ऐसे समस्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे.

196. तत्पश्चात् कार्यपालक यंत्री, जल मार्ग या जल मार्ग पद्धति की लागत का अनुमान तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदित हो जाने पर वह नहर अधिकारी या सिंचाई निरीक्षक से प्ररूप 30 पर आवेदकों के हस्ताक्षर कराने के लिये कहेगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

197. यदि धारा 66 की शर्तें पूरी कर दी जाये, तो धारा 67 के साथ पठित धारा 52 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, और इन नियमों से संलग्न प्ररूप 31 में प्रमाण-पत्र पर नहर अधिकारी, अंतिम रूप से संविदा हो जाने तथा प्ररूप 32 के रूप में पृष्ठांकित हो जाने के पहले हस्ताक्षर करेगा.

198. अमीन सिंचाई पंचायत के परामर्श से ऐसी भूमि के जिसकी सामान्यतया सिंचाई की जाती हो, या सिंचाई की जा सकती हो, ऐसे स्थायी धारकों तथा अधिभोगियों की एक सूची तैयार करेगा, जो किसी जल मार्ग या जल मार्ग पद्धति के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी हों. वह प्रत्येक स्थायी धारक या अधिभोगी के नाम के सामने, उसके द्वारा धारित ऐसी सिंचाई योग्य भूमि का क्षेत्रफल दर्ज करेगा जिसकी संबंधित जल मार्ग या जल मार्ग पद्धति द्वारा सिंचाई की जाती हो या की जा सकेगा तथा प्रत्येक स्थायी धारक या अधिभोगी उस अनुपात में निर्माण कार्य का निष्पादन करने के लिये या निष्पादन के लिये श्रमिकों की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा जो अनुपात जल मार्ग या जल मार्ग पद्धति द्वारा सिंचित सिंचाई योग्य भूमि के कुल क्षेत्र तथा उसके ऐसे भूमि क्षेत्र, जिसकी सामान्यत: सिंचाई की जाती हो या की जा सकती है के बीच होता है. उप खण्डीय अधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के बाद सूची की एक प्रति सिंचाई पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी, तथा उपखण्डीय अधिकारी द्वारा की गई व्यवस्था के अधीन उसमें प्रतिवर्ष संशोधन किया जावेगा.

199. सिंचाई पंचायत का सरपंच नियोजित श्रमिकों का ऐसे व्यक्तियों का, जिनके द्वारा वे श्रमिक दिये गये हो तथा ऐसे समय का जिसके दौरान वे कार्य करते हों, अभिलेख रखेगा. यदि किसी ऐसे स्थायीधारक या अधिभोगी, की, जो सहायता देने के लिये दायी हों, सहायता देने में व्यक्तिक्रम करने की शिकायत की जाये तो इस बारे में की गई प्रविष्टियों का विचार कार्यपालक यंत्री द्वारा ऐसी रकम का निर्धारण करते समय किया जायगा, जिसका भुगतान स्थायी धारक या अधिभोगी द्वारा धारा 73(सी) के अधीन किया जायगा. कार्यपालन यंत्री द्वारा जल मार्ग मरम्मत के लिये व्यय की गई रकम से अधिक इस प्रकार वसूली की गई कोई भी रकम सिंचाई पंचायत निधि में आकलित की जायेगी.

200. जो कोई उचित प्राधिकार के बिना ऐसा कोई कार्य करे जिससे किसी जल मार्ग को नुकसान पहुंचे या उसमें कोई परिवर्तन हो जाये या जल के प्रवाह में कोई हस्तक्षेप हो जाये या जल दूषित या गंदा हो जाये वह जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा और भंग जहां चालू रहने वाला भंग हो वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान ऐसा भंग जारी रहा हो दस रुपये से अधिक न हों दण्डनीय होगा.

201. खेत सारणियां साधारणतया खेतों की मेढ़ों पर से ले जायी जावेगी, किन्तु यदि तकनीकी दृष्टि से यह वांछनीय हो, तो इन को खेत के बीच से भी ले जाया जा सकेगा. ऐसे मामलों में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जित की जा सकेगी. धारा 75 (ग), (घ) (4) (ङ) तथा (ज).

202. खेत सारणियों के निर्माण में उपगत किये जाने वाले व्यय में जंगल सफ़ाई मिट्टी खुदाई, काट जल निकास (क्रास ड्रेनेज) कार्य, बैलगाड़ी मोटर ठेला का रास्ता आदि तथा कार्य भारित स्थापना जो इस कार्य पर लगाई गई हो एवं नियम 201 के अधीन भूमि के अर्जन का व्यय यदि कोई हो, सम्मिलित है.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

203. खेत सारणियां यथासाध्य प्रत्येक खेत तक बनाई जायगी जिससे सम्बन्धित स्थायी धारक या अधिभोगी को बिना खर्च किये सीधे पानी मिल सके.

204. लाभान्वित क्षेत्र से अभिप्रेत है ऐसा समस्त क्षेत्र जो खेत सारिणी के दोनों ओर अथवा उसके अन्त में स्थित हो, चाहे उसकी सिंचाई बहाव से या उत्सिंचन से होती हो किन्तु उसमें सरकारी भूमि जिसकी उस सारणी से सिंचाई होती है, जब तक कि उसका आवंटन किसी व्यक्ति विशेष को न हो जाये सम्मिलित नहीं होगी.

205. ऐसी लाभान्वित सरकारी भूमि के पश्चात्‌वर्ती आवण्टितियों से संबद्ध सिंचाई पंचायत को लाभान्वित क्षेत्र के सम्यक अनुपात में खेत सारणियों के निर्माण के व्यय के अंश का भुगतान करने की अपेक्षा की जायगी तथा उसमें व्यतिक्रम करने की दशा में वह रकम उनसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जायगी. प्रति एकड़ खर्च का अंश वही होगा जोकि उस चक के लिये कार्यपालक यंत्री द्वारा अवधारित किया गया हो.

206. खेत सारणियां सही हालत में मरम्मत करके अनुरक्षित की हुई समझी जावेगी, यदि उनके द्वारा प्रस्तावित पानी की पूरी मात्रा में पानी बिना बरबाद किये ले जाया गया हो.

207. इस प्रकार सन्निर्मित खेत सारणियों के अनुरक्षण का दायित्व उनकी दोनों में से किसी ओर अथवा अन्त में स्थित भूमि के हिताधिकारियों का है तथा कार्यपालक यंत्री द्वारा धारा 75 (ई) की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उपगत की गई रकम, ऐसे हिताधिकारियों से, जो इस प्रकार अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी हो, ऐसी खेत सारणियों द्वारा लाभान्वित क्षेत्र के अनुपात का सम्यक् ध्यान रखते हुए वसूल की जावेगी. सरकारी भूमि का अंश हिताधिकारियों द्वारा वहन किया जावेगा.

208. खेत सारणियों के संनिर्माण में उपगत किये गये व्यय का विभाजन तथा वसूली का कार्यपालक यंत्री द्वारा धारा 75 (सी) तथा धारा 75(डी) की उप-धारा (3) एवं (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे विहित की गई रीति में की जावेगी:--

(क) जब कार्य धारा 75 (डी) की उपधारा (2) के अधीन किया गया हो, तो इस प्रकार रिपोर्ट की गई रकम की वसूली एवं विभाजन इस प्रकार किये गये कार्य से लाभान्वित क्षेत्र को सम्यकरूप से ध्यान में रखते हुए क्रमशः हिताधिकारियों से तथा हिताधिकारियों में किया जायगा/की जायगी.

(ख) जब कार्य धारा 75(डी) की उपधारा (2) तथा (4) के अधीन किया गया हो, तो 75 (डी) की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की गई सूचित व्यय तथा धारा 75 (डी) की उपधारा (4) के अधीन किया गया व्यय दोनों सम्मिलित किये जायेंगे तथा इस कुल रकम की वसूली व विभाजन इस प्रकार सन्निर्मित खेत सारणियों द्वारा लाभान्वित क्षेत्र को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र के स्थायी धारकों तथा अधिभोगियों से तथा उनमें किया जायगा / की जायगी.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

(ग) जब कार्य धारा 75(बी) के उपबन्धों के अधीन किया गया हो, तो इस प्रकार उपगत किया गया व्यय ऐसे कार्य से लाभान्वित हुए क्षेत्र को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए आदेश में नामित हिताधिकारियों से वसूल किया जावेगा.

209. इस प्रकार संनिमित खेत सारणियों सिंचाई पंचायत की मार्फत हिताधिकारियों को सौंपी जायेगी और उनसे रसीद ली जावेगी. लट्ठा कपड़े पर बना हुआ एक नक्शा खेत सारणियों के संरेखण, काट जल निकास (क्रास ड्रेनेज) कार्य बैलगाड़ी का रास्ता दर्शाते हुए एवं लगाये गये पाईपों का ब्योरा दर्शाते हुये तैयार किया जाकर संबंधित सिंचाई पंचायत को दिया जावेगा तथा नहर अधिकारियों द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति कार्यपालक यंत्री के कार्यालय में रखी जावेगी.

210. निम्नलिखित व्यक्ति, इस प्रकार संनिमित खेत सारणियों से पानी लेने के हकदार व्यक्ति समझे जायेंगे:—

(क) वे समस्त व्यक्ति जिन्होंने ऐसी खेत सारणियों के सन्निर्माण की लागत अंशदत्त की हो.

(ख) वे समस्त व्यक्ति जिनकी भूमि ऐसी खेत सारणियों द्वारा सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र के भीतर हो एवं वे सिंचाई सुविधाएं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हों.

(ग) वे समस्त व्यक्ति जो सर्वसाधारण के उपयोग के कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजन हेतु पानी लेना चाहें, परन्तु यह कि वे जलकर का 1/4 भाग, जल कर के अतिरिक्त संबंधित सिंचाई पंचायत को तब तक अदा करें, जब तक कि ऊपर (क) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रति एकड़ व्यय का अंश पूरा न हो जाय.

211. नियम 210 के खंड (ख) तथा (ग) के अधीन समस्त जल प्रदायों संबंधित सिंचाई पंचायत की सिफारिश पर कार्यपालक यंत्री द्वारा सामान्य परिस्थितियों में लागू होने वाली शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जावेगा.

212. नियम 210 के खण्ड (ग) के परन्तुक के अधीन समस्त बकाया रकमों की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति की जावेगी तथा संबंधित पंचायत निधि लेखा में जमा की जावेगी.

213. पूर्वगामी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जल प्रवाह को रोक सकेगा, यदि:—

(क) अपनी बारी आने पर, जब कि बारी प्रणाली (ओसराबन्दी) या वार बन्दी) प्रवृत्त हो; या

(ख) जब पानी बरबाद किया जा रहा हो, या

(ग) जब प्राधिकृत व्यक्तियों को वंचित करते हुए अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा पानी का उपयोग किया जा रहा हो; या

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।
सत्य प्रतिलिपि
CamScanner

(च) विभागीय कर्मचारीवृन्द या संबंधित सिंचाई की लिखित में अनुज्ञा प्राप्त करके किसी भी अन्य कारण से.],

214. ऐसी संनिर्मित या पहले से ही सन्निर्मित खेत सरणी के संरेखण में परिवर्तन तथा उनमें वृद्धि तकनीकी या प्रशासनिक आधारों पर कार्यपालक यंत्री द्वारा स्थायी धारकों अथवा अधिभोगियों की ओर से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर लिखित आदेश के अधीन ऐसे स्थायी धारकों या अधिभोगियों के व्यय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा.]

[215. इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व संनिर्मित खेत सरणियां उन्हीं नियमों से शासित होंगी जो खेत सरणियों के संनिर्माण एवं अनुरक्षण के लिये लागू हों.].

216. जो कोई उचित प्राधिकार के बिना ऐसा कोई कार्य करे, जिससे किसी खेत सरणी को नुकसान पहुंचे या उसमें कोई परिवर्तन हो जाय या जल के प्रवाह में कोई हस्तक्षेप हो जाय या जल दूषित या गंदा हो जाये, वह जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा और जहां भंग चालू रहने वाला भंग हो वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे भंग के लिये जिसके कि दौरान भंग चालू रहे दस रुपये से अधिक न हो, दण्डनीय होगा.

217. समस्त सुसंगत लेखे, कार्यपालक यंत्री द्वारा उसके कार्यालय में रखे जावेंगे.

218. खेत सरणियों के संनिर्माण और उनके अनुरक्षण में उपगत किये गये व्यय के मद्दे वसूल की जाने वाली रकम, यदि वह 50 रुपये तक है तो एक मुश्त और पचास रुपये से अधिक होने की दशा में तीन बराबर की किश्तों में, जो वार्षिक रूप से देय होंगी, विभाग द्वारा वसूल की जायगी.

219. किसी भी निकास के परे पानी का वितरण साधारणतः हिताधिकारियों पर निर्भर रहेगा, जो स्वयं आपस में पानी का वितरण करेंगे. यदि उनमें मतभेद हो, तो वे पानी के उचित वितरण हेतु सिंचाई पंचायत को निवेदन कर सकेंगे. धारा 93 (ए-1).

220. सिंचाई पंचायत अमीन की सहायता तथा संबंधित हिताधिकारियों के परामर्श से विवाद का निपटारा आपसी समझौते से करेगी तथा एक ऋतुकालिक ओसराबंदी कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसका पालन करने के लिये सभी हिताधिकारी आबद्ध होंगे.

221. सिंचाई पंचायत अथवा दो तिहाई हिताधिकारियों द्वारा, ओसराबंदी, कार्यक्रम तैयार करने के लिये किया गया आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कार्यपालक यंत्री नहर डिप्टी कलेक्टर या उपखण्डीय अधिकारी या सिंचाई निरीक्षक को इस बात के लिये कि क्या ओसराबंदी का प्रवृत्त किया जाना आवश्यक है, जांच करने तथा रिपोर्ट करने के हेतु प्रतिनियुक्त करेगा.

222. ओसराबंदी कार्यक्रम के लिये आवेदन-पत्र साधारणतः अमान्य कर दिया जायगा, यदि विवादग्रस्त क्षेत्र :—

(क) बहुत छोटा हो।

(ख) कुएं से सिंचित किया जाता हो।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भो
CamScanner
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

(ग) नाली, जल निकास के सामने स्थित हो, नीचा हो, या निकास द्वारा सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र के बाहर स्थित हो;

(घ) अस्थाई निकास पर स्थित हो;

(ङ) के सम्बन्ध में आवेदन ऐसे समय में जबकि सूखा अथवा पानी की बहुत अधिक मांग हो प्राप्त हो;

(च) शीघ्र बन्दोबस्त होने वाला हो, के सम्बन्ध में आवेदन किसी नये बन्दोबस्त के किये जाने के थोड़े ही समय के पश्चात् किया गया हो;

(छ) जल मार्ग का उचित अनुरक्षण न किया गया हो.

223. कार्यपालक यंत्री स्वप्रेरणा से भी ओसराबंदी कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे जहां कि—

(क) पानी का उचित वितरण और मितव्यय वांछनीय हो;

(ख) निकास के हिसाब से सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र बहुत बड़ा हो;

(ग) जल मार्ग बहुत लंबा हो;

(घ) पानी लेने वाले पक्षों के बीच आपस में दुश्मनी हो, जिसके कारण पानी के वितरण में विवाद उत्पन्न होता हो;

(ङ) समूह के कुछ व्यक्ति कमजोर हो और कुछ सबल, जो निर्बल व्यक्तियों को उनके पानी का भाग लेने से वंचित कर देते हों;

(च) सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र एक ग्राम से अधिक ग्रामों में हो जिससे विवाद उत्पन्न होता हो;

(छ) सरकारी भूमि सिंचित होती हो;

(ज) निकासों का पुनः विभाजन किया गया हो, और कुछ क्षेत्रों या समीपवर्ती निकासों को मिला दिया गया हो या उनमें परिवर्तन किया गया हो.

224. ओसराबंदी हेतु जांच कर्त्ता अधिकारी की रिपोर्ट का अनुमोदन हो जाने पर, कार्यपालक यंत्री सजरा ट्रेस कराने अन्य आकस्मिक कार्य एवं विभागीय व्यय के लिये आवेदकों से 50 रुपये जमा करने को कहेगा.

225. पचास रुपये का निक्षेप आवेदकों द्वारा उपखण्ड या खण्ड में जमा किया जायगा तथा जमाकर्ता को उसकी रसीद दी जायगी और प्राप्त रकम अनुरक्षण शीर्ष में जमा की जावेगी.

226. रकम जमा कर दी जाने पर कार्यपालक यंत्री, नहर डिप्टी कलेक्टर उपखण्डीय अधिकारी अथवा सिंचाई निरीक्षक को तीन माह के भीतर पूरा हो जाने वाला ओसराबंदी कार्यक्रम तैयार करने का आदेश देगा. ओसराबंदी कार्यक्रम की तैयारी में निम्नलिखित विभिन्न कार्य किये जायेंगे :—

(क) विवादग्रस्त क्षेत्र का ट्रेसिंग क्लोथ पर मानचित्र तीन प्रतियों में तैयार करना;

लोक सूचना अधिकारी
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

(ख) सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र को हरी स्याही से अंकित करना;

(ग) चालू निकासों द्वारा सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र के सर्वेक्षण क्रमांकों का कृषकवार ब्यौरे तैयार करना;

(घ) सरकार के कब्जे में की कृषि-योग्य भूमि को पीले रंग में अंकित करना;

(ङ) अकृष्य (नाकाबिल कास्त) भूमि को काली समानान्तर रेखाओं द्वारा अंकित करना;

(च) मद (ग) के अनुसार ओसराबंदी के क्षेत्र को लाल स्याही से अंकित करना;

(छ) थोक की सीमा को पीले रंग के बिन्दुओं से अंकित करना;

(ज) जल मार्गों एवं खेत सरणियों को नीले रंग में अंकित करना.

227. सिंचाई निरीक्षक ओसराबंदी के अधीन निकासों के स्थायी धारकों की एक बैठक बुलायेगा तथा उनको थोक बनाने तथा अपने में से ही एक थोकदार चुनने को कहेगा. ऐसे थोक यथासंभव कम से कम होना चाहिये.

228. थोकों के अन्तिम रूप से निश्चित हो जाने तथा नियम 226 की मद (क) से (ज) तक के अधीन कागजात तैयार हो जाने के पश्चात्, नहर डिप्टी कलेक्टर या उपखण्डीय अधिकारी कृषकवार तथा थोकवार, प्रत्येक कृषक तथा खेत का सर्वेक्षण क्रमांक दर्शाते हुये एक विवरण तैयार करेगा.

229. ओसराबंदी के अन्तर्गत सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र के अधीन आने वाले निकासों के कुल क्षेत्र को 168 घंटे (या एक सप्ताह) में विभाजित किया जावेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति का समय, उसके द्वारा ओसराबंदी कार्यक्रमांतर्गत निकास के सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र में के खातों के अनुपात में नियत किया जावेगा. ऐसा समय रविवार को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा.

230. ऐसा समय एवं उसका अनुक्रम निश्चित करते समय निकास से थोक तक की दूरी का ध्यान रखा जावेगा. इस प्रकार थोक क्रमांक एक वह होगा, जिसमें का खेत यथास्थिति निकास या जल मार्ग या खेत सरणी के शीर्ष (प्रारंभ होने के स्थान) के सब से निकट होगा और जहां दो थोक निकास के शीर्ष से समान दूरी पर स्थित हों, तो निकास के बाईं ओर वाले थोक को प्राथमिकता दी जावेगी. थोक क्रमांक एक के पश्चात् अन्य ऐसे थोक को, जिसका प्रथम खेत मुख्य जल मार्ग अथवा खेत सरणी पर स्थित हो थोक क्रमांक दो अवधारित किया जावेगा और आगे इसी प्रकार क्रम दिये जायंगे.

231. थोक और समय को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् संबद्ध स्थायी धारकों की बैठक पुनः बुलायी जावेगी, और इस प्रकार अंतिम रूप से तैयार की गई ओसराबंदी कार्यक्रम पर उनसे चर्चा की जावेगी, और यदि आवश्यक हो, तो उचित उपान्तरण किये जा सकेंगे तथा बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर इन समस्त दस्तावेजों पर लिये जावेंगे और इसकी विस्तृत रिपोर्ट अनुमोदन के लिये कार्यपालक यंत्री को की जायगी.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

232. कार्यपालक यंत्री, नियम 230 के अधीन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण करेंगे तथा उपान्तरणों के साथ यदि कोई हो, अनुमोदन प्रदान करेंगे, और उसे रिपोर्ट करने वाले अधिकारी को वापिस भेजेंगे, जो अनुमोदित ओसराबंदी कार्यक्रम की प्रतियां समस्त ब्यौरों के साथ सिंचाई पंचायत, थोकदार तथा संबंधित कृषकगणों को ओसराबंदी कार्यक्रम को लागू करने के आशय से भिजवाने की व्यवस्था करेगा. इस प्रकार सूचित ओसराबंदी कार्यक्रम समस्त हिताधिकारियों को आबद्धकर होगा, चाहे उन्होंने आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये हों, अथवा नहीं.

233. चुने गये थोकदार अपने थोक में पानी के वितरण की व्यवस्था करेंगे. यदि कोई थोकदार अथवा थोक के सिंचित की जाने वाली भूमि की कम से कम दो तिहाई भूमि के स्थायी धारक अथवा ऐसी भूमि के कम से कम 95 प्रतिशत स्थायी धारक अपने थोक के अन्तर्गत पानी के वितरण की व्यवस्था के नियंत्रण हेतु किसी बनिहार की सहायता की इच्छा व्यक्त करें, तो वे उपखण्डीय अधिकारी को बनिहार नियुक्त करने के लिये निवेदन करेंगे जो ऐसी नियुक्ति करेगा परन्तु जबकि स्थायी धारक ऐसी नियुक्ति पर उपगत होने वाले संभावित व्यय की रकम जमा कर दें. जमा की हुई रकम तथा बनिहार को भुगतान किये जाने वाले वास्तविक व्यय की अंतर संबंधित स्थायी धारकों से वसूली योग्य होगा तथा इसमें व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसी रकम उस थोक के प्रत्येक स्थायी धारक से उसके द्वारा धारित भूमि के अनुपात में भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी.

234. तथापि, थोकदार, यदि हिताधिकारी परस्पर सहमत हों, समय में अदला-बदली कर सकेगा, किन्तु विशिष्ट थोक के लिये नियत किये गये समय से परे ऐसा नहीं किया जा सकेगा.

235. नहर को चालू करने में सदैव इस बात की सावधानी बरती जायगी कि निकास पर जल आधा घण्टा पूर्व पहुंच जाय, ताकि स्थायी धारक अपनी पारी के लिये नियत किये गये जल का पूरा-पूरा भाग प्राप्त कर सकें तथा कोई भी पारी न चुके.

236. कार्यपालक यंत्री ओसराबन्दी कार्यक्रम का पुनरीक्षण कर सकेगा, यदिः—

(क) किसी जल सरणी के कार्यक्रम-सूची (रोस्टर) में कोई परिवर्तन हो जाय;

(ख) किसी जल निर्गम (वेंटेज) या निकास की स्थिति में कोई परिवर्तन हो या सिंचित किये जा सकने वाले क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो;

(ग) नहर-सिंचाई का कुएं से सिंचाई में संपरिवर्तन या इसके विपरीत हो;

(घ) कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो गया हो, जिस पर की खेती न की जा सके या इसके विपरीत;

(ङ) अधिभोग तथा अन्य स्रोतों में परिवर्तन हो गया हो;

(च) अन्य कोई विशेष परिस्थिति जिसमें कि कार्यपालक यंत्री की राय में पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक हो.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

237. ओसराबंदी के संबंध में एक रजिस्टर खंड कार्यालय में, उपखंडीय कार्यालय में तथा नहर डिप्टी कलेक्टर के कार्यालय में रखा जायगा, जिसमें कि ओसराबंदी के लिये आवेदन-पत्र से लेकर अंतिम रूप दिये जाने तक का समस्त ब्योरा वर्णित किया जायगा.

238. जो कोई, ओसराबंदी कार्यक्रम का अतिक्रमण करेगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा और जहां भंग चालू रहने वाला भंग हो, वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके कि दौरान भंग जारी रहा हो, दस रुपये से अधिक न हो, दंडनीय होगा.

239. यदि सिंचाई पंचायत या किसी ग्राम, मुहाल या चक में सिंचाई के अधीन की समस्त भूमि की या कराराधीन भूमि की कम से कम दो तिहाई भूमि के स्थायी धारक या ऐसी भूमि के कम से कम 95 प्रतिशत स्थायी धारक निकास के परे जल के वितरण के लिये बनिहार की सहायता की वांछा करें तो, वे वह कालावधि जिसके लिये कि सहायता अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट करते हुए अनुभाग अधीनस्थ को अपनी वांछा की लिखित में प्रज्ञापना देंगे.

240. प्रज्ञापना प्राप्त होने पर अनुभाग अधीनस्थ इसकी प्रज्ञापना उप खंडीय अधिकारी को देगा, जो पंचायत के परामर्श से प्रत्येक ग्राम, मुहाल, या चक में नियुक्त किये जाने वाले बनिहारों की संख्या नियत करेगा.

241. इस प्रकार नियुक्त किये गये बनिहार विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के लिये अपना पद धारण करेंगे जब तक कि वे लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उपखंडीय अधिकारी द्वारा अवधि से पहले ही पदच्युत न कर दिये जायं या हटा न दिये जायं.

242. जब कभी कोई यथास्थिति सिंचाई पंचायत, विभागीय कर्मचारीवृन्द या बनिहार को निकास के परे सिंचाई के वितरण कर नियंत्रण करने के अपने कर्तव्यों के पालन में किसी व्यक्ति के द्वारा उसके खेत में प्राप्त किये गये जल को ऐसे खेत से परे सिंचाई के लिये ले जाना समीचीन प्रतीत हो, तो पंचायत, विभागीय कर्मचारीवृन्द या बनिहार ऐसे व्यक्ति से उस जल को इस प्रकार निकालने के लिये कह सकेंगे जिससे कि पंचायत, विभागीय कर्मचारीवृन्द या बनिहार का समाधान हो जाय. यदि ऐसा व्यक्ति जल को निकालने की अनुमति देने से इन्कार कर दे, तो पंचायत, विभागीय कर्मचारीवृन्द या बनिहार ऐसे खेत में प्रवेश कर सकेंगे तथा ऐसी कार्यवाई कर सकेंगे जैसी कि जल को उस खेत के परे निकालने के लिये वे उचित समझें.

243. किसी ऐसे ग्राम, मुहाल या चक की सिंचाई पंचायत को जिसमें निकास के परे सिंचाई जल के वितरण के नियंत्रण के लिये बनिहार नियुक्त किया गया / किये गये हों, प्रशासकीय कार्य के लिये कमीशन नहीं दिया जावेगा. ऐसे कमीशन की रकम का उपयोग बनिहारों को पारिश्रमिक देने के लिये किया जावेगा.

244. (एक) बनिहारों के पारिश्रमिक का अवधारण और भुगतान कार्यपालक यंत्री द्वारा किया जावेगा. यह प्रशासनिक कार्य के उस कमीशन में से दिया जावेगा, जोकि सिंचाई पंचायत को देय होता. यदि ऐसे कमीशन की रकम

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
CamScanner

नियत किये पारिश्रमिक से कम पड़ती हो, तो अंतर को स्थायी धारकों से, उनके द्वारा धारित सिंचित या करारााधीन क्षेत्र के अनुपात में अवधारित किया जाकर, वसूल किया जायेगा

(दो) यदि कोई स्थायी धारक अधिकार को देय पारिश्रमिक के लिये उसके द्वारा देय राशि के भुगतान में व्यतिक्रम करे तो नहर डिप्टी कलेक्टर बकाया योग्य राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा.

धारा ११. 245. नहर अपराध के संबंध में कोई भी जांच, अधिदर्शक या सिंचाई निरीक्षक से निम्न पद के अधिकारी द्वारा नहीं की जावेगी.

246. कोई नहर अधीनस्थ, किसी अपराध के किये जाने का पता चलने पर, ऐसे पता चलने के 24 घंटे के अंदर, अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को जोकि, ऐसे मामलों में जांच करने लिये प्राधिकृत किया गया हो, प्ररूप 33 में, जिसे "प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट" कहा जायगा, रिपोर्ट देगा.

247. नहर अधिकारी या नहर अधीनस्थ, यथा संभव शीघ्रता से तथा यदि वह कोई अधिदर्शक या सिंचाई निरीक्षक हो, तो रिपोर्ट की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर तथा यदि वह नहर अधिकारी हो, तो रिपोर्ट प्राप्ति के एक मास के अन्दर अपनी जांच पूर्ण करेगा तथा की गई कार्यवाही अपने से ठीक उच्चतर अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

248. किसी जांच के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, कार्यपालक यंत्री की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अधिकारी द्वारा कोई अतिरिक्त जांच, नहीं की जायगी तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, किसी ऐसे अधिकारी को, जो प्रथम जांच करने वाले पदधारी से निम्न पद का हो, नहीं सौंपी जावेगी.

249. जब इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने का किसी व्यक्ति पर युक्तियुक्त रूपेण संदेह हो तथा कोई नहर अधिकारी यह विचार करे कि इसका प्रशमन किया जाना चाहिये तो वह ऐसे व्यक्ति पर लिखित में एक सूचना अपने हस्ताक्षर सहित, जारी करेगा, जिसमें उस व्यक्ति से सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये समय तथा स्थान पर हाजिर रहने की अपेक्षा की जायगी. उसका दो प्रतियों में होना आवश्यक नहीं है तथा नियत व्यक्ति को उसकी तामील, नहर अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति द्वारा कराई जायगी. वह व्यक्ति जिसको सूचना निविदत्त की जाय अभिस्वीकृति के तौर पर उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे की छाप लगायेगा तथा उसे तामीलकर्ता को वापस करेगा. यदि वह सूचना स्वीकार करने से इन्कार करे या उसकी तामीली से बचने का प्रयास करें तो तामिलकर्ता इस तथ्य की सूचना नहर अधिकारी को देगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

२५०. इन नियमों के अधीन जांच करने वाला प्रत्येक अधिकारी दिन प्रति दिन अपनी कार्यवाहियों को डायरी पुस्तिका में वह समय जब कि उसे जानकारी मिली हो, वह समय जब कि उसने अन्वेषण प्रारम्भ किया हो तथा जब समाप्त किया हो, वह या वे स्थान जहां वह गया हो तथा अपनी जांच के दौरान अभिनिश्चित की गई परिस्थितियों का विवरण, उपवर्णित करते हुए, दर्ज करेगा . वह साक्षियों के रूप में समन किये गये समस्त व्यक्तियों के बयान अभिलिखित करेगा तथा अभियुक्त का इस बाबत बयान कि वह प्रशमन के लिये इच्छुक है या नहीं पृथक रूप से अभिलिखित करेगा, उसे इस बयान पर अभियुक्त के हस्ताक्षर अवश्य लेना चाहिये. नियम २५१ में यथा उपबंधित के सिवाय, जांच में हाजिर होने वाले किसी भी व्यक्ति को, जांच की समाप्ति के पश्चात् विरुद्ध नहीं रखा जायगा.

२५१. कोई भी व्यक्ति, सिंचाई अधिनियम की धारा ६८ के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन सामान्यतः तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायगा जब तक कि अभियुक्त का कोई नियत निवास स्थान न हो या उसके फरार हो जाने की संभावना हो. कोई भी व्यक्ति जो कि गिरफ्तार कर लिया गया हो, अनावश्यक देरी किये बिना किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा या उसे समीपतम पुलिस थाने को सौंप दिया जायेगा.

२५२. यदि जांच अधिकारी को अपराध का प्रशमन करने की शक्ति प्राप्त हो तथा अभियुक्त अपराध का प्रशमन किये जाने की सम्मति देता है तो जांच अधिकारी प्रतिकर की रकम नियत कर सकेगा तथा उसे उद्ग्रहीत कर सकेगा ऐसी रकम तुरन्त ही ऐसे समय के अन्दर, जो जांच अधिकारी नियत करे जमा कर दी जायगी.

२५३. यदि जांच करने वाले अधिकारी को अपराध का प्रशमन करने की शक्ति प्राप्त न हो या कि अभियुक्त प्रशमन के लिये इन्कार करे या हाजिर होने से इन्कार करे, या नियम २४७ के अधीन नियत किये गये समय के अन्दर जांच पूर्ण न हुई हो तो, वह अपनी कार्यवाहियों को उचित माध्यम से, कार्यपालक यंत्री को आदेशार्थ अग्रेषित करेगा. जांच कार्यवाही के प्राप्त होने पर कार्यपालक यंत्री ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि उसे आवश्यक प्रतीत हों.

२५४. इन नियमों के लागू होने पर इस विषय में बनाये गये या जारी किये गये तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व इस राज्य में प्रवृत्त समस्त नियम निरस्त हो जायेंगे:

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये नियमों, के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाहियां जहां तक कि वे इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेंगी.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

प्ररूप 1

सरणी (पुलिया) पर क्रासिंग

(नियम 28 देखिये)

दिनांक.................................को निरीक्षण किया गया.

खंड..

कार्य का नाम ....

सरणी का नाम..

क्रमांक	चैंनबर	ग्राम का नाम	प्रस्तावित कार्य का नाम व अनुमानित व्यय	किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है	प्रस्तावकर्ता द्वारा कार्य की आवश्यकता हेतु बताये गये कारण.	ग्राम वासियों की राय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

उपखंडीय अधिकारी, सिंचाई विभाग की राय व नाम/पुल के मामले में दोनों मुंडेर की बीच की दूरी अंकित की जावे	भूमि अर्जन अधिकारी अथवा अन्य राजस्व अधिकारी का नाम व उसकी राय पुल के मामले में दोनों मुंडेर के बीच की प्रस्तावित दूरी अंकित की जावे	कार्यपालन यंत्री का नाम, टिप्पणियां तथा सिफारिश	उपायुक्त की राय	अंतिम निर्णय
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

प्ररूप २

(नियम ५४ देखिये)

निमज्जित तालाब के निर्माण हेतु आवेदन पत्र

हम, अधोहस्ताक्षरकर्त्ता, निवासी ग्राम.................. तहसील................ जिला .... स्थायी भूमिधारी होने के कारण, एतद्द्वारा, इससे संलग्न मानचित्र के अनुसार निमज्जित तालाब के निर्माण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा ऐसे निर्माण हेतु विहित निबंधनों तथा शर्तों का पालन करने का करार करते हैं.

....

स्थाई धारक के हस्ताक्षर.

प्ररूप ३

(नियम ५६ देखिये)

निमज्जित तालाब के निर्माण हेतु करार का प्ररूप

चूंकि राज्य सरकार ने हमारी भूमि, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, के लाभ हेतु निमज्जित तालाब का निर्माण किया जाना स्वीकार कर लिया है, हम अधोहस्ताक्षरकर्त्ता, एतद्द्वारा, निम्नानुसार करार करते हैं :—

१. कृषि के अधीन तथा वस्तुतः निमज्जित हमारी समस्त भूमियों पर सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार आवि दर तथा ऐसी निमज्जित हमारी समस्त अकृपित भूमियों पर आवी दर का आधा जलदर प्रतिवर्ष भुगतान करेंगे तथा उक्त वर्णित दोनों स्थितियों में यदि नहर का पानी भी लिया जावे तो नहर जलदर की फसल दर का 1/2 अतिरिक्त भुगतान करेंगे का प्रतिवर्ष भुगतान करेंगे.

२. हम यह करार करते हैं कि हमारी भूमि के निमज्जित रहने की अवधि के लिये किसी प्रकार के प्रतिकर की मांग नहीं करेंगे और विनिर्दिष्ट समय के पूर्व द्वार खोलने में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

३. अकाल के वर्ष में यदि यह आवश्यक समझा जाय कि जनसाधारण के हित में तालाब को खाली न किया जाये, तो हमको इस प्रकार के निमज्जन के लिये प्रवृत्त नियमों के अधीन अनुज्ञेय विशेषाधिकारों की, चाहे वे जो कुछ भी हों, मांग को छोड़कर कोई आपत्ति नहीं होगी.

४. यदि इस करार के निबन्धनों तथा शर्तों या उसके अधीन किये जाने वाले किसी कार्य के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, तो विवाद, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, निर्णय के लिये अधीक्षण यंत्री, को निर्देशित किया जावेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CS CamScanner

हम प्रमाणित करते हैं कि हम इस करार के निबंधनों और शर्तों को भलीभांति समझते हैं तथा दर्शाये गये भूमि धारण के ब्यौरे सही हैं.

क्रमांक	ग्राम, तहसील व जिला	स्थाई धारी का नाम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्र	स्थाई धारक की हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कार्यपालक मंत्री.

....

स्थाई धारक के हस्ताक्षर.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

फार्म 1

(नियम 65 देखिये)

जल प्रदाय के लिये मांग हेतु आवेदन-पत्र

मूल

1. ग्राम का नाम ....
2. उस कार्य का नाम जिसके अधीन स्थित है
3. नाम डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर जिससे जल अपेक्षित है ....
4. निकास का फासला जहां से जल अपेक्षित है
5. सिंचित किये जाने वाली फसल का नाम
6. सिंचाई अपेक्षित लगभग क्षेत्र
7. अगर फसल धान की है तो संबंधित चक या ब्लाक में का धान का लगभग क्षेत्र.
8. वह तारीख जिसको कि सिंचाई अपेक्षित है
9. उन दखलकारों के नाम जिन्हें सिंचाई की अपेक्षा है.

दूसरी प्रति

1. ग्राम का नाम ....
2. उस कार्य का नाम जिसके अधीन स्थित है
3. नाम डिस्ट्रीब्यूटरी या मायनर जिससे जल अपेक्षित है................
4. निकास का फासला जहां से जल अपेक्षित है
5. सिंचित किये जाने वाली फसल का नाम
6. सिंचाई अपेक्षित लगभग क्षेत्र
7. अगर फसल धान की है तो संबंधित चक या ब्लाक में का धान का लगभग क्षेत्र.

अमीन के रिपोर्ट का सारांश.

तीसरी प्रति

1. ग्राम का नाम........................
2. उस कार्य का नाम जिसके अधीन स्थित है.
3. नाम डिस्ट्रीब्यूटरी या मायनर जिसमें जल अपेक्षित है.....................
4. निकास का फासला जहां से जल अपेक्षित है.
5. सिंचित किये जाने वाली फसल का नाम
6. सिंचाई अपेक्षित लगभग क्षेत्र
7. अगर फसल धान की है तो संबंधित चक या ब्लाक में का धान का लगभग क्षेत्र.
8. वह तारीख जिसको कि सिंचाई अपेक्षित है
9. अमीन को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

हम अधोहस्ताक्षरी ऊपर विनिर्दिष्ट फसल की सिंचाई के लिये जल की अपेक्षा करते हैं, व करार करते हैं कि ऐसी सिंचाई के लिये मांग की दर पर भुगतान करेंगे हम यह जानते हैं कि जल ऐसे समयों पर तथा ऐसी मात्राओं में जैसा कि कार्यपालक यंत्री आदेश दें, दिया जायगा तथा हम में से किसी पर भी शोध्य वे धनराशियां, जिनका कि भुगतान नियत तारीख तक न किया जाय भू-राजस्व की बकायाओं की भांति वसूली योग्य होंगी और यह कि उद्ग्रहीत किये जाने वाले प्रभारों के संबंध में कार्यपालक यंत्री का निर्णय अंतिम होगा. तथा उसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं होगी. हम यह भी जानते हैं कि जल प्रदाय के लिये हमारे आवेदन पत्र तथा उस पर पारित आदेश के विरुद्ध प्रतिकर के लिये कोई भी दावा या तो राज्य सरकार के विरुद्ध या उसके अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं होगा.

अनुभाग अधीनस्थ की सिफारिशों का सारांश

उपखंडीय अधिकारी की टिप्पणियां

कार्यपालक यंत्री के आदेश

कार्यपालक यंत्री के आदेशों को देख लिये जाने के प्रतीक स्वरूप सरपंच के हस्ताक्षर

तारीख जिस पर जल प्रथम बार दिया गया.

. . . .

अमीन के हस्ताक्षर.

ख ३ . . . . सरपंच के हस्ताक्षर उन दखलकारों के नाम जिन्हें सिंचाई की अपेक्षा हो

अमीन द्वारा रिपोर्ट.

क्या विनिर्दिष्ट निकास से इस क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है

यदि नहीं तो किस निकास से उसकी सिंचाई होनी चाहिये?

. . . .

तारीख . . . . अमीन के हस्ताक्षर.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CS CamScanner

अनुभाग अधीनस्थ की रिपोर्ट

क्या आपकी राय में यह दरख्वास्त मंजूर की जानी चाहिये या नहीं? अगर मंजर की जानी चाहिये तो क्यों व अगर नहीं तो क्यों ?

....

तारीख .... अनुभाग अधीनस्थ के हस्ताक्षर.

उपखंडीय अधिकारी की टिप्पणिय

तारीख, ... कार्यपालक यंत्री का आदेश

उन दखलकारों के चिन्ह, या हस्ताक्षर जिनके लिये सिंचाई अपेक्षित हो,

मेरे समक्ष किये गये.

सरपंच

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CS CamScanner

प्ररूप 5

(नियम 68 देखिये)

किसी गांव के तालाब को भरने के लिये जल प्रदाय के लिये आवेदन पत्र का प्ररूप.

हम अधोहस्ताक्षरी मौजा ....के निवासी, जो खसरा क्रमांक...... में स्थित गांव के तालाब के स्वामी उपयोग के अधिकारी हैं, एतद्द्वारा........ तालाब/नहर से जल प्रदाय हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं. अपेक्षित मात्रा करीब.... ....एम. सी. फुट है.

....

आवेदक के हस्ताक्षर.

हम/मैं इस बात से सहमत हैं/हूं कि आवेदकों द्वारा वांछित जल प्रदाय किया जा सकता है किन्तु उसके भुगतान करने के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं/लेता हूं.

स्वामियों के हस्ताक्षर जब कि वे आवेदक न हों.

उपर्युक्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि संलग्न संविदा प्ररूप पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने और उस स्थान से, जहां से जल का प्रदाय तालाब में किया जाता हो, जल का परिदान करने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जाने के पश्चात् लगभग ....एम. सी. फुट जल तारीख........को दिया जावेगा जल के लिये देय प्रभार लगभग..........रु. होगा.

....

कार्यपालक यंत्री.

प्ररूप 6

(नियम 68 देखिये)

किसी ग्राम के तालाब को भरने के लिये जल प्रदाय के लिये संविदा का प्ररूप.

हम, अधोहस्ताक्षरी, मौजा........के निवासी, जो खसरा क्र. .... में स्थित ग्राम के तालाब के स्वामी उपयोग के अधिकारी हैं, ...तालाब नहर से लगभग ....एम. सी. फुट जल प्रदाय के प्रतिफल में वचन देते हैं कि :—

(क) उस स्थान से, जहां से कि तालाब में जल प्रदाय किया जाता है, जल परिदान करने के लिये समुचित व्यवस्था करेंगे;

(ख) प्रति. ....एम. सी. फुट ....रु. की दर से प्रदाय किये गये जल पर निर्धारित धनराशि का......किस्त के साथ संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक् रूप से भुगतान करेंगे;

(ग) प्रदाय किये गये जल का उपयोग ऐसी फसल की सिंचाई के लिये नहीं करेंगे, जो करार के अधीन न आती हो.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

(2) हम करार करते हैं कि--

(क) यदि कार्यपालक यंत्री का हमारे तालाब में जल परिदत्त करने के लिये हमारे द्वारा की गई व्यवस्थाओं से समाधान न हो और यदि वह उनके सुधार के लिये कोई व्यय करें, तो हम इस प्रकार व्यय की गई धनराशि का प्राप्त जल के लिये भुगतान करते समय भुगतान करने के लिये दाई होंगे; और

(ख) प्रदाय किये गये जल की मात्रा का, कार्यपालक यंत्री द्वारा अवधारित नाप, अंतिम रूप से स्वीकार करेंगे.

हमारे द्वारा शोध्य किसी धनराशि को भू-राजस्व की बकायाओं की भांति वसूल किया जा सकेगा.

....

आवेदकों के हस्ताक्षर.

मैं, आवेदित जल प्रदाय की मंजूरी देता हूं तथा इस संविदा को प्रतिग्रहीत करता हूं.

तारीख...........197. कार्यपालक यंत्री,

................खंड

प्ररूप 7

(नियम 72 देखिये)

यह करार आज दिनांक ....मास..........सन् 19 . को प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "सरकार" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है (जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि सन्दर्भ द्वारा उसे अपवर्जित न कर दिया जाय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष ....जो इन्डियन कम्पनी एक्ट, 1913 (7 सन् 1913), कम्पनीज एक्ट, 1956 (1, सन् 1956) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है तथा जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय..........में स्थित है, जिसे इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है (जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि सन्दर्भ द्वारा उसे अपवर्जित न कर दिया जाय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है;

चूंकि कम्पनी ने सरकार को ....नहर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नहर" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) से प्रति दिन ....लीटर (अर्थात् ....गैलन) जल कम्पनी के ....संयंत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संयंत्र के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) के उपभोग के लिये लेने तथा कारखाने के निस्सारित जल के निकास हेतु भूमिगत तथा सतत नल तथा नालियां बिछाने हेतु अनुज्ञा के लिये आवेदन किया है;

और चूंकि सरकार इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबंधनों तथा दी गई शर्तों पर कम्पनी को उपरोक्त अनुज्ञा देने हेतु सहमत हो गई है;

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

और चूंकि कम्पनी ने इन विलेखों के निष्पादन के पूर्व कम्पनी द्वारा छः महीनों में ली जाने वाली जल की मात्रा के लिये जल कर तथा स्थानीय निधि उपकर के रूप में सरकार के पास ....रुपये की धनराशि जमा कर दी है;

और चूंकि यह करार हो गया है कि .... रुपये की उक्त धन राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा;

अब यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है :--

(1) कम्पनी द्वारा इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सम्यक् रूप से भुगतान किये जाने तथा उसमें अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं तथा शर्तों का पालन करने के प्रतिफल में सरकार एतद्द्वारा, ...कम्पनी को, दिनांक ......सन् 19 . से प्रारंभ होनेवाली....... वर्षों की कालावधि के लिये इसमें अन्तर्विष्ट निबन्धनों तथा शर्तों पर कम्पनी के उक्त संयंत्र के लिये उक्त नहर से ....लीटर जल प्रतिदिन लेने की अनुज्ञा देती है. एतद्द्वारा दी गई अनुज्ञा मध्यप्रदेश इरींगेशन एक्ट, 1931(3, सन् 1931), उसके संशोधन तथा समय-समय पर सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये तथा तत्समय प्रवृत्त किन्हीं कार्यपालक आदेशों के अध्यधीन होगी.

(2) कम्पनी, उसके द्वारा उक्त नहर से लिये गए जल के लिए निम्नलिखित दरों से जलकर का भुगतान सरकार को करेगी, अर्थात् :—(टिप्पण :—यहां वे दर; जो कि कम्पनी पर लागू होने वाले हों वहीं दर्शाए जाने चाहिए न कि अन्य दर).

ऊपर निर्दिष्ट जलकर के भुगतान के अतिरिक्त कम्पनी, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये गये दरों से............को सम्यक् रूप से स्थानीय निधि उपकर या कोई अन्य करों का भी भुगतान करेगी. सरकार, एतद्द्वारा, कम्पनी द्वारा भुगतान किये जाने वाले उक्त जलकर तथा स्थानीय उपकर या अन्य करों को समय-समय पर पुनरीक्षित करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखती है तथा कम्पनी ऐसे पुनरीक्षित जलकर तथा स्थानीय उपकर या अन्य करों का भुगतान करेगी जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये जायं. इसके खण्ड (14) में वर्णित कम जल प्रदाय की परिस्थितियों को छोड़कर कम्पनी किसी भी दशा में उसके द्वारा लिये जाने के लिये अनुज्ञात जल की कुल मात्रा के कम से कम 90 प्रतिशत के लिये जल प्रभारों का भुगतान करेगी चाहे कम्पनी द्वारा वास्तविक रूप से लिये गये जल की मात्रा इसके खण्ड (1) के अनुसार उसके द्वारा लिये जाने के लिए अनुज्ञात जल की मात्रा के 90 प्रतिशत से कम हो.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

(3) इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को सरकार की ओर से किसी विनिर्दिष्ट जल की मात्रा की उपलभ्यता या अन्यथा की प्रत्याभूति के रूप में नहीं समझा जायेगा तथा सरकार किसी भी कारण से, चाहे वह जो कुछ भी हो, जल के प्रदाय न किये जाने या अपर्याप्त प्रदाय के लिये तथा जल प्रदाय न किये जाने या कम प्रदाय किये जाने से उद्भूत किसी नुकसान या हानि के लिये उत्तरदायी नहीं रहेगी.

(4) कम्पनी द्वारा उक्त नहर से जल का उपयोग कम्पनी के उक्त संयंत्र के प्रयोजनों के लिये किया जायगा तथा कम्पनी द्वारा उसका विक्रय किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी, निगम या अन्य निकाय को नहीं किया जायगा. कम्पनी द्वारा ऐसा विक्रय किये जाने की दशा में, इस अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत किये जाने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार, ऐसे विक्रय से कम्पनी द्वारा उद्ग्रहीत आगम कम्पनी से वसूल करने के लिए हकदार होगी.

(5) एतद्द्वारा दी गई अनुज्ञा का प्रतिस्रोत के तटीय स्वामियों में न्यस्त विद्यमान जल अधिकारों पर किसी प्रकार से न तो प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा और न ही उक्त नहर के विद्यमान स्रोत पर या उसके संबंध में अपनी किसी नवीन योजना या योजनाओं का एतस्मिन पश्चात् आरम्भ करने या कार्यान्वियन करने के सरकार के अधिकार पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

(6) कम्पनी उक्त नहर में पिक अप वियर का निर्माण तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसके संबंध में प्रस्ताव, मानचित्र, रेखांक, विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) अनुमान तथा समस्त अन्य ब्यौरों को ऐसे अधिकारी को, जिसे कि सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, पूर्व में प्रस्तुत न कर दिया जाय और उसके द्वारा लिखित में अनुमोदित न कर दिये जायं तथा पिक अप वियर के निर्माण का अनुमोदन प्रदान करते समय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी कि वह अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे.

(7) कम्पनी द्वारा उक्त नहर से लिये गए जल के नापने की व्यवस्था कम्पनी द्वारा ऐसी रीति से की जायगी जैसी कि सरकार या कार्यपालक यंत्री··············खण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कार्यपालक यंत्री" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) निर्देशित करें. कम्पनी द्वारा स्वयंचालित नापने के साधन का अधिष्ठापन तथा उसका अनुरक्षण उसके संबंध में सरकार या कार्यपालक यंत्री से लिखित में पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् अपने स्वयं के खर्च से किया जायेगा. यदि कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार अधिष्ठापित नापने का साधन कार्य करना बन्द कर दे या खराब हो जाय तो उन दिनों के जल उपयोग के सम्बन्ध में, जिनमें कि नापने के साधन द्वारा कार्य न किया गया हो, उन प्रभारों की संगणना जिसका सरकार को भुगतान करने के लिये कम्पनी दायी होगी, कम्पनी द्वारा अपनी स्वयं की भूमि

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।
सत्य प्रतिलिपि
CamScanner

पर आरोपानुसार पंपिंग स्टेशन के प्रधान कार्य (हेड वर्क्स) पर स्थापित किये गये पंपिंग स्टेशन अधिष्ठापनाओं के अधिकतम जल फेंकने की क्षमता पर की जायेगी.

(8) कम्पनी उक्त नहर में किसी भी समय निस्सारित जल का निकास नहीं करेगी किन्तु वह अपने स्वयं के खर्चे से उसके समुचित व्ययन के लिये अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगी.

(9) कम्पनी द्वारा कार्यपालक यंत्री से मासिक मांग प्राप्त किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर कम्पनी·······को, पूर्ववर्ती मास के दौरान कम्पनी द्वारा लिये गये जल के लिये, जलकर तथा स्थानीय निधि उपकर की रकम का भुगतान करेगी.

(10) कम्पनी.........रुपये की उक्त धन राशि, जल कर तथा स्थानीय निधि शोध्यों और सिंचाई शोध्यों के सम्यक् तथा समुचित भुगतान और इसमें के निबन्धनों तथा शर्तों का निर्वाह तथा पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में सदैव जमा रखेगी. उपरोक्तानुसार शोध्यों का सम्यक् भुगतान करने में कम्पनी द्वारा चूक की जाने की दशा में कम्पनी से बकाया शोध्यों को उक्त निक्षेप के प्रति समायोजित किया जायगा. कम्पनी की ओर से उपरोक्तानुसार जलकर तथा स्थानीय निधि उपकर का नियमित भुगतान करने में व्यतिक्रम किये जाने पर सरकार, अपने किन्हीं अन्य अधिकारों तथा उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस करार को तुरन्त समाप्त करने के लिये हकदार होगी.

(11) सरकार के किसी अन्य उपाय या उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन विलेखों के अधीन कम्पनी द्वारा शोध्य तथा देय कोई धन राशि कम्पनी से उसी रीति में वसूली योग्य होगी जो कि उस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन भू-राजस्व की बकाया को लागू होती है.

(12) जहां तक सम्भव हो, कार्यपालक यंत्री उन कालावधियों की घोषणा अग्रिम में करेगा जिनके कि दौरान उक्त नहर को जल पहुंचाने वाली भूमि या अन्य कृत्रिम साधन साफ किये जाने तथा सुधार हेतु सामान्यतः बन्द रहेंगे तथा यदि संभव हो तो उक्त नहर से जल प्रदाय कम किये जाने या उसे बंद किये जाने की वास्तविक तारीख की एक पक्ष अग्रिम में घोषणा करेगा:

परन्तु कार्यपालक यंत्री फिर भी इस बात के लिये हकदार होगा कि वह पूर्व सूचना के बिना किसी भी सरकारी कृत्रिम सारणी से जल प्रदाय में कटौती लागू करे तथा जल प्रदाय में ऐसी कटौती के कारण कम्पनी को किसी भी प्रतिकर के लिये कोई अधिकार नहीं होगा.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CS CamScanner

(13) उक्त नहर या कृत्रिम स्रोत में जल की कमी होने की दशा में कार्यपालक यंत्री प्रत्याशित कमी की संभावना को स्पष्ट करते हुए कम्पनी पर एक सूचना की तामील करेगा. कम्पनी, ऐसी परिस्थितियों में, जल के उपभोग में कमी करेगी तथा कार्यपालक यंत्री को उसके (कम्पनी के) द्वारा लिये गये वास्तविक जल की मात्रा दर्शाने वाली एक साप्ताहिक विवरणी प्रस्तुत करेगी.

(14) सरकार, एतद्द्वारा, कम्पनी को दी गई अनुज्ञा, इस संबंध में एक मास की लिखित पूर्व सूचना कम्पनी को देने के पश्चात् प्रत्याहरित करने के लिये हकदार होगी.

(15) नदी, झरना, जल सरिणियों तथा सिंचाई कुओं के अधीन विद्यमान सिंचाई हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जायगा. यदि सरकार की राय में ऐसे विद्यमान हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो कम्पनी संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिनके कि हित प्रभावित हुए हों, ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो कि सरकार द्वारा अवधारित किया जाय.

(16) कम्पनी द्वारा सामान्यतः जल तभी लिया जायेगा जबकि कार्यपालक यंत्री द्वारा कम्पनी के लिये समय-समय पर विहित कालावधि के दौरान उक्त नहर बहती हो तथा कम्पनी अपना कोटा केवल इस विहित कालावधि के दौरान लेने की व्यवस्था करेगी. विहित दिनों से भिन्न दिनों पर जल का इस प्रकार लिया जाना जिससे अन्य व्यक्तियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा हानि कारिक हो, अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

(17) कम्पनी, समस्त समयों पर इस निमित्त प्राधिकृत किये गये मध्यप्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी को नापने के साधन तथा लेखाओं के निरीक्षण करने तथा कम्पनी द्वारा रखे गये अभिलेखों में से प्रविष्टियों की प्रतियां सरकार को प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञात करेगी.

(18) कम्पनी को इसके अधीन दी जाने वाली या उस पर तामील की जाने वाली किसी सूचना या अन्य दस्तावेजों, सरकार की ओर से कार्यपालक यंत्री द्वारा दी जायेगी या तामील की जायेगी तथा ऐसी कोई सूचना या दस्तावेज सम्यकरूप से कम्पनी को दी गई या कम्पनी पर तामील की गई समझी जायेगी यदि वे कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाय या परिदत्त की जाय

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय [illegible] पी.आई.एम.
भोपाल

Scanned with CamScanner

(19) यदि कम्पनी इसके किसी निबन्धन तथा शर्त का भंग करे तो सरकार इस करार को तुरन्त समाप्त करने के लिये हकदार होगी और तदुपरि कम्पनी को किसी प्रतिकर का, चाहे वह जो कुछ भी हो, भुगतान करने के लिये सरकार को दायित्वाधीन बनाये बिना कम्पनी उक्त नहर से जल लेना बंद कर देगी.

(20) इस करार की अवधि समाप्त होने पर सरकार इस करार को ऐसी और कालावधि के लिये तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कि सरकार अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे नवीकृत कर सकेगी.

(21) इस करार के निष्पादन में उपगत खर्चे तथा प्रासंगिक प्रभार, जिसके अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क आता है, कम्पनी द्वारा वहन किये जायेंगे तथा उनका भुगतान किया जायेगा.

जिसके साक्ष्य में मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से . . . .
कार्यपालक यंत्री . . . . खण्ड, ने ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की मुद्रा और . . . . की सामान्य मुद्रा ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अंकित कर दी है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के लिये तथा उनकी ओर से . . . .
कार्यपालक यंत्री . . . . द्वारा
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, परिदत्त.

1. . . . .

2. . . . .

. . . . की सामान्य मुद्रा कम्पनी के संचालक बोर्ड के संकल्प तारीख . . . . के अनुसरण में

तथा

. . . .

कम्पनी के संचालक जिन्होंने उसके प्रतीक स्वरूप निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये हैं :—

1. . . . .

2. . . . .

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक डी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

Scanned with CamScanner

प्ररूप 8

(नियम 84 देखिये)

[illegible]

दीर्घावधि करार का प्ररूप

भाग—एक

चूंकि राज्य सरकार.............तालाब/नहर से .... फसल की सिंचाई के प्रयोजनार्थ, उस फसल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिये, जो कि ....ग्राम के उक्त तालाब/नहर का सैन्च्य क्षेत्र है, जल प्रदाय करने हेतु सहमत हो गयी है और यह वचन देती है कि वह :—

(1) उक्त ग्राम में सैंच्य स्थान/स्थानों पर समान रूप से जल का परिदान करेगी;

(2) निम्नलिखित बातों के अध्यधीन, जब अपेक्षित हो, जल का प्रदाय करेगी;

(क) जब जल उपलब्ध हो, तथा

(ख) कार्यपालक यंत्री द्वारा प्रदाय के विनियमित किये जाने तथा ऐसे समय या समयों पर, जो उसे कृषकों के हितों की दृष्टि से सर्वथा सहायक प्रतीत हो.

(3) मध्यप्रदेश इर्रीगेशन एक्ट की धारा 47क अधीन नियमों के अनुसार हमें निम्नानुसार माफी का प्रदान करेगी:—

(क) जब किसी नहर की वितरण प्रणाली के प्रधान कार्य (हेड वर्क) में किसी त्रुटि के कारण न कि प्रदाय की कमी के कारण किसी क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर जल नहीं दिया जाये, तो अधीक्षण यंत्री ऐसे क्षेत्र के नहर राजस्व में माफी दे सकेगा, यदि नियम एक में विहित किये गये मान के अनुसार ऐसा किया जाना अनुज्ञेय हो;

(ख) मानसून के सामान्य रूप से विफल हो जाने के वर्षों में, ऐसे अनुदेशों के अनुसार, जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायं, राजस्व-अधिकारियों के परामर्श से सिंचाई अधिकारियों द्वारा उपज संबंधी जांच की जायेगी. माफी के प्रयोजनार्थ प्रत्येक ग्राम में के नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र के खसरा क्रमांकों को समूहों में विभाजित किया जायेगा तथा कार्यपालक यंत्री नियम एक में विहित मान पर संबंधित समूह की अनुमानित उपज के अनुसार प्रत्येक खसरा क्रमांक को माफी प्रदान करेगा.

भाग—दो

हम, अधोहस्ताक्षरी, जो उक्त तालाब/नहर द्वारा सींची जाने वाली उक्त ....ग्राम की सामान्यतः.............फसल बोई जाने वाली भूमि के स्थायी भूमि धारक हैं, एतद्द्वारा निम्नानुसार करार करते हैं :—

(1) करार के अधीन ऐसी समस्त भूमि पर जिसकी सिंचाई उक्त तालाब/नहर द्वारा की जाती है, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर और वर्षों के लिये जल कर का भुगतान करेंगे, चाहे ऐसी भूमि पर बुआई की गई हो या नहीं तथा सिंचाई हुई हो या नहीं परन्तु यह हो कि कार्यपालक यंत्री अधीक्षण यंत्री की मंजूरी से इस करार से ऐसे क्षेत्रों को निकाल सकेगा, जिन्हें उसके मतानुसार उसके द्वारा अभिलिखित किये गये कारणों से करार में सम्मिलित किया जाना अवांछनीय हो तथा आगे यह और भी कि ऐसी भूमि को जिसे

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।

सत्य प्रतिलिपि

CS CamScanner

चालू बन्दोबस्त में किसी प्राइवेट सिंचाई स्रोत से सिंचित भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया हो या बहरा, झिलन, बंधवांस, नरवंधा, तगरबंधिया या तालाब के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, या जिसे कार्यपालक यंत्री न अधीक्षणयंत्री की मंजूरी से आद्र घोषित किया हो, स्थायी भूमि धारक के विकल्प पर करार से पूर्णत: निकाला जा सकेगा. यदि ऐसी भूमियां का स्थायी धारक बाद में उन्हें इस करार में सम्मिलित करना चाहे तो यदि कार्यपालक यंत्री के प्राधिकार से सहर डिप्टी कलक्टर उसके सम्मिलित किये जाने से सहमत हो, तो वे (भूमियां) ऐसी दर से, जो अनुसूची में विहित दरों से .... पैसे प्रति एकड़ कम होगी, निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी परन्तु यह तब जब कि आद्र की दर पर भूमि पर राजस्व का निर्धारण किया जाय :—

अनुसूची

वर्ष	प्रति एकड़ जल कर

(2) हमें परिदत्त किये गये जल का प्रदाय ऐसे नियत किये गये निर्गम द्वार (द्वारों) से जिनका आकार और स्थिति/स्थितियां कार्यपालक यंत्री द्वारा नियत की जायेगी तथा जिसमें/जिनमें उसके द्वारा, जब आवश्यक हो, परिवर्तन किया जा सकेगा, प्राप्त करेंगे.

(3) भाग दो के खण्ड (एक) के अधीन उद्ग्रहीत जल कर की पूरी रकम का भुगतान सरपंच या पंचायत के किसी सदस्य को 31 मार्च, 30 जून की या उसके पूर्व अथवा अधीक्षण यंत्री द्वारा नियत की जाने वाली पश्चात्वर्ती तारीख को करेंगे.

भाग—तीन

हम यह समझते हैं कि :—

(1) राज्य सरकार समस्त समयों पर हमारी मांग के अनुसार पूरा प्रदाय करने के लिये वचनबद्ध नहीं है और तथ्य यह है कि वह ऐसा करने में असमर्थ होने पर या ऐसा न कर पाने पर हमें जल कर में माफी या कोई अन्य रियायत के लिये दावा करने का कोई हक नहीं होगा.

(2) भाग एक के खण्ड (2) (ख) के अधीन हमारे खेतों में जल, कार्यपालक यंत्री के अनुदेशों के अधीन तथा उपखण्डीय अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए लगातार दिया जा सकेगा बशर्ते कि हमारी फसलों की सुरक्षा पर सम्यक् रूप से ध्यान दिया जाये.

(3) यदि .... की कृषि की गई किसी ऐसी आद्र भूमि की सिंचाई की जाती है, जो कि इस करार के निबंधनों के अन्तर्गत नहीं आती हो, तो ऐसी सिंचाई के लिये मांग दर या ऐसी ऊंची दर से भुगतान किया जायेगा, जो उस परिस्थिति, जिसमें सिंचाई की गई हो, के अनुसार विनिश्चित की जायेगी; तथा

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

(4) करार के अधीन न होने वाली ऐसी शुष्क भूमि पर जिस पर कि इस करार की कालावधि के दौरान किसी भी समय करार के अधीन फसल की खेती की जाय, कोई निर्धारण नहीं किया जायेगा.

भाग—चार

इस करार के निबंधनों या अन्वय क संबंध में अथवा इसके अधीन किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होने पर उस विवाद को, जब तक कि अन्यथा उपबन्धित न हो, निर्णय के लिये अधीक्षण यंत्री को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा.

भाग—पांच

हम यह प्रमाणित करते हैं कि हम इस करार की शर्तों को समझते हैं.

....

स्थायी भूमि धारकों के हस्ताक्षर या चिन्ह.

प्ररूप 9

(नियम 84 देखिये)

अल्पावधि करार का प्ररूप

चूंकि राज्य सरकार तालाब/नहर से श्री..................आत्मज ....निवास स्थान..........,ग्राम.................. तहसील..............जिला.......को वर्ष.......में खरीफ/रब्बी जायद मौसम के लिये नीचे उल्लिखित फसल की सिंचाई करने के लिये जल प्रदाय करने हेतु सहमत हो गई है :—

क्रमांक	निकास द्वार का नाम और कमांक आकार सहित	खसरा क्रमांक
(1)	(2)	(3)

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

Scanned with CamScanner

क्षेत्र	फसल का नाम	टिप्पणियां
(4)	(5)	(6)

पूरे पृष्ठ की जगह खाली छोड़ी जाय

(पृष्ठ के पीछे अंकित किया जायगा)

और यह भी वचन देती है कि :—

(1) उक्त ग्राम में सैंच्य स्थान (स्थानों) पर समान रूप से जल का परिदान करेगी;

(2) निम्नलिखित बातों के अध्यधीन, जब अपेक्षित हो, जल का प्रदाय करेगी;

(क) जब जल उपलब्ध हो; तथा

(ख) कार्यपालक यंत्री द्वारा प्रदाय के विनियमित किये जाने तथा ऐसे समय या समयों पर, जो उसे कृषकों के हितों की दृष्टि से सर्वथा सहायक प्रतीत हो. (3) मध्यप्रदेश इर्रीगेशन एक्ट, 1931 की धारा 47 के अधीन नियमों के अनुसार हमें माफी प्रदान करेगी.

भाग—दो

मैं, अधोहस्ताक्षरी, भूमि का स्थायी धारक होने के नाते एतद्द्वारा निम्नानुसार करार करता हूं :—

(1) करार में प्रविष्ट किये गये क्षेत्र पर सरकार द्वारा अवधारित की गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर जलकर का भुगतान करूंगा भले ही ऐसी भूमि की मेरे द्वारा सिंचाई की जाये या नहीं.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

(2) मुझे परिदत्त किये गये जल का प्रदाय नियत किये गये निर्गम द्वार (निर्गम द्वारों) से जिसका/जिनका आकार तथा स्थिति (स्थितियां) कार्यपालक यंत्री द्वारा नियत की जावेगी, तथा जिसमें/जिनमें उसके द्वारा जब आवश्यक हो, परिवर्तन किया जा सकेगा, जल प्रदाय लूंगा.

(3) भाग दो के खण्ड (एक) के अधीन उद्ग्रहीत जल कर की पूरी रकम का भुगतान सरपंच या पंचायत के किसी सदस्यों को 31 मार्च, 30 जून को या उसके पूर्व अधीक्षण यंत्री द्वारा नियत की जाने वाली पश्चात्वर्ती तारीख को करेंगे.

भाग—3

मैं यह समझता हूं कि :—

(1) राज्य सरकार समस्त समयों पर मेरी मांग के अनुसार पूरा प्रदाय करने के लिये वचनबद्ध नहीं है और तथ्य यह है कि वह ऐसा करने में असमर्थ होने पर या ऐसा न कर पाने पर मुझे जल कर में माफी या कोई अन्य रियायत के लिये दावा करने का कोई हक नहीं होगा.

(2) भाग एक के खण्ड (2) (ख) के अधीन मेरे खेतों में जल, कार्यपालक यंत्री के अनुदेशों के अधीन तथा-उप खण्डीय अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए लगातार दिया जा सकेगा बशर्ते कि मेरी फसलों की सुरक्षा पर सम्यक् रूप से ध्यान दिया जाय, तथा

(3) यदि ऐसी किसी भूमि की, जो इस करार के निबंधनों के अन्तर्गत न आती हो, सिंचाई की जाती है तो ऐसी सिंचाई के लिये, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें सिंचाई की गई थी, दुगनी दर या ऐसी दर से, जो निश्चित की जाये, भुगतान किया जायेगा.

भाग—चार

इस करार के निबंधनों या अन्य के संबंध में या इसके अधीन किये जाने वाले किसी कार्य के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होने पर उस विवाद को जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, निर्णय के लिये अधीक्षण यंत्री को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा.

भाग—पांच

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं इस करार के निबंधनों को समझता हूं.

साक्ष्य..........

....

स्थायी धारक के हस्ताक्षर या चिन्ह.

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एन.
भोपाल

Scanned with CamScanner

प्रमाण-पत्र

मैं एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि उस व्यक्ति को, जिसने यह करार किया है, इस पर लागू होने वाले नियम तथा सुसंगत ब्यौरे समझा दिये गये हैं.

प्ररूप 10

(नियम 84 देखिये)

अनुपूरक दीर्घावधि करार

मैं, ... आत्मज .... जाति ...., जो ग्राम .... तहसील .... जिला .... के .... तालाब/नहर से सेंच्य भूमि का स्थायी भूमिधारक हूं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इस ग्राम के अन्य स्थायी भूमिधारकों और नहर डिप्टी कलेक्टर के बीच तारीख .... माह .... को या उसके लगभग किये गये करार द्वारा आबद्ध हूं तथा मैं यह और भी घोषणा करता हूं कि मैं करार के निबंधनों का समझता हूं तारीख......... माह ...... 19 .

....

स्थायी भूमि धारक के हस्ताक्षर या चिन्ह

प्ररूप 11

(नियम 89 देखिये)

मैं .... जो .... तालाब/नहर का नहर डिप्टी कलेक्टर/सिंचाई निरीक्षक हूं, एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने अपने दौरे के समय, जिसकी तारीख ग्राम वासियों को सम्यक् रूप से अधिसूचित कर दी गई थी, उक्त (ग्राम में सेंच्य भूमि के स्थायी धारकों द्वारा उठाई गई समस्त आपत्तियों को सुना) और मैंने यह पाया कि इस घोषणा के विरुद्ध कि यह करार उक्त ग्राम की उस सेंच्य भूमि के, जिस पर यह करार लागू होता है, समस्त स्थायी धारकों पर आबद्धकर है, कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और तदनुसार मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि यह करार इस प्रकार आबद्धकर है.

तारीख.....माह .... 19 ....

नहर डिप्टी कलेक्टर या सिंचाई निरीक्षक के हस्ताक्षर.

सिंचाई पुस्तिका

प्ररूप 11-अ

(नियम 104 तथा 184)

नाम ग्राम .... तहसील .... जिला ....

सिंचाई खण्ड .... सिंचाई उप खण्ड ....

नाम कृषक ....

पिता का नाम ....

जाति ....

निवासी ग्राम ....

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

आवश्यक सूचनाएं

1. कृषक गणों को चाहिये कि वह अपनी सिंचाई प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने बरहे साफकर लेवें बिना साफ किये बरहा पानी लेना अपराध है.

2. ऐग्रीमेंट कराने की अवधि निम्न प्रकार है:—

फसल खरीफ 31 मार्च तक (गन्ना की)

फसल खरीफ 15 अगस्त तक (धान की)

फसल रबी 15 दिसम्बर तक की है.

3. ऐग्रीमेन्ट निर्धारित किये गये सेन्टरों पर ही करा लेना चाहिये व एग्रीमेन्ट कराने के पश्चात् उसकी रसीद हाल ही पुस्तिका पर लेलेना चाहिये, यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हों तो वह यथा समय ही विभागीय अधिकारियान को प्रेषित करना चाहिये.

4. फसल खराब होने की दशा में माफी (खराबे) की दरख्वास्त प्रेषित करने की अवधि निम्नलिखित है:—

फसल खरीफ की 31 अक्टूबर अथवा फसल कटने के 15 दिवस पूर्व

फसल रब्बी की 15 फरवरी

5. कायम हुई जलकर आदि के प्रति यदि कोई आपत्ति हो तो वह पर्चा आवपाशी मिलने से 10 दिवस के अन्दर अपनी-आपनी प्रेषित करना चाहिये.

6. कायम हुए जलकर (मतालवा) जमा करने की अवधि निम्नलिखित है:—

फसल खरीफ की.....................15 मार्च

फसल रब्बी की..................15 जून

उक्त दिनांक तक जमा न करने पर यह अवशेष हो जाता है.

7. कृषक गणों को अपने ओर कायम शुदा मतालवे को सिंचाई पंचायतों द्वारा वसूली किये जाने के समय ही जमा करदेना चाहिये.

8. बकाया की वसूली कार्यपालन यंत्री केनाल डिप्टी कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधीनस्त द्वारा ही की जावेगी, इसलिए अन्य किसी कर्मचारी के पास रकम जमा न की जावे.

9. सिंचाई के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई आवे तो अपनी सिंचाई पंचायत के पंच व सरपंच से सहयोगी लेकर उसे निपटाना चाहिये.

10. सिंचाई निर्धारित आंगरे में ही करना चाहिये इसकी अवहेलना करना अपराध है.

11. पानी बरहे द्वारा पंचायत द्वारा बारा बंदी कराकर टेल से लेना आरम्भ किया जाना चाहिये.

12. नहर तथा विभागीय अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना एक गम्भीर अपराध है.

....

(कार्यपालन यंत्री, सिंचाई संभाग)

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
CamScanner

खाते का विवरण सन्.................. सम्वत.............................

सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (रकबा)	रकबा जो कमांड में आता है	नाम नहर/तालाब जिसके कमांड में आता है.	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

एग्रीमेंट प्राप्ति की पावती सम्वत.............................. सन्..............

नाम फसल	नाम नहर मय कुलाबा	तफसील एग्रीमेंट			हस्ताक्षर एग्रीमेंट प्राप्तकर्ता के दिनांक सहित
		सर्वे नं.	क्षेत्रफल	जिन्स	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

CamScanner

रकम प्राप्ती का विवरण सम्वत .... सन् ....

सिंचाई धन का प्रकार	अवशेष बकाया धन				प्रचलित वर्ष का विवरण	कुल योग	हस्ताक्षर धन प्राप्त कर्ता के मय पद तथा दिनांक सहित
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप 12

(नियम 100 तथा 108 देखिये)

अधिसूचना

सर्व संबंधित की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता कि वर्ष .... संवत .... में .... एकड़ की सीमा में रब्बी/ खरीफ/ जायद की फसल के लिये वर्णित निबंधनों तथा शर्तों के ब्योरो के अनुसार तथा अध्यधीन रहते हुए सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जावेगा:—

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

CamScanner

अतः संबंधित को चाहिये कि वे संबंधित सिंचाई निरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ को दिनांक............को अथवा इससे पूर्व अपने सिंचाई करार प्रस्तुत करें.

(1) प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा तक करार स्वीकार किये जावेंगे.

(2) व्यतिक्रमियों तथा उन सभी के, जो लगातार जल सरणी को साफ रखने और सही हालत में मरम्मत करने में चूक करें सिंचाई करार स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार, विभाग को रहेगा.

(3) ओसराबन्दी/कार्यक्रम के अन्तर्गत जल बारी-बारी से दिया जावेगा.

कार्य का नाम	नहर या डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)

....

कार्यपालक यंत्री

सिंचाई खण्ड.............

प्ररूप 13

(नियम 114 देखिये)

सिंचाई राजस्व की माफी हेतु आवेदन पत्र

टिप्पण.—सिंचाई राजस्व की माफी के लिये आवेदन पत्र सिंचाई निरीक्षक (इर्रीगेशन इन्सपेक्टर) को और तालाब में की हुई कृषि के लोध्यों की माफी के लिये आवेदन पत्र अनुभाग अधीनस्थ के द्वारा उपखण्डीय अधिकारी को इस प्ररूप में प्रस्तुत करना चाहिये. खरीफ किस्म से संबंधित आवेदन पत्र 31 अक्टूबर तक और रबी किस्म के लिये आवेदन पत्र 15 फरवरी तक या फसल के काटे जाने के 14 दिन पूर्व प्रस्तुत करना चाहिये.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

1. ग्राम का नाम.............. तहसील............

2. कार्य का नाम और डिस्ट्रीब्युटरी का नाम जिसके अधीन वह स्थित है.

3. माफी मांगने के बाबत कारण, अर्थात फसल क्यों नहीं पैदा हुई....

4. उस क्षेत्र के ब्यौरे जिसके बाबत माफी हेतु निवेदन किया गया है....

आवदक के हस्ताक्षर	खसरा क्र.	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)

फसल	दर	रकम
(4)	(5)	(6)
		रु. पै.

5. सिचाई निरीक्षक की टिप्पणियां तथा सिफारिशें, संभावित निकास के कारणों सहित कथित की जाय—

6. नहर डिप्टी कलेक्टर की टिप्पणियां तथा सिफारिशें.

7. कार्यपालन यंत्री के आदेश

टिप्पण.—सिचाई निरीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणियां तथा सिफारिशें इस प्ररूप में तुरन्त प्रविष्ट की जायेंगी या यदि वह निरीक्षण के बिना ऐसा न कर सकता हो तो वह स्वयं क्षेत्र का निरीक्षण करेगा या अनुभाग अधीनस्थ को ऐसी व्यवस्था करने को कहेगा. किसी भी दशा में यह प्ररूप सिंचाई निरीक्षक द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा कि जिससे वह उसकी प्रथम प्राप्ति से 10 दिन के भीतर नहर डिप्टी कलेक्टर के पास पहुंच जाय. नहर डिप्टी कलेक्टर ऐसा निरीक्षण करने के पश्चात् जैसा कि संभव हो, कार्यपालक यंत्री को आवेदन पत्र उसकी प्राप्ति से 14 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

प्ररूप १४

(नियम १५१ देखिये)

संभागीय प्रमुख के आद्याक्षर या मुद्रा

सिंचाई पंचायत सदस्य निर्वाचन का प्ररूप

मैं, निम्नलिखित व्यक्तियों, जिन्हें मैं .... ग्राम की सिंचाई पंचायत का सदस्य बनने के योग्य समझता हूं, के पक्ष में अपना मत देता हूं.

१.

२.

३.

४.

५.

....

(लेखक के हस्ताक्षर) मतदाता के हस्ताक्षर

(निरक्षर व्यक्तियों के मामले में) अथवा अंगूठे का निशान.

पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि मतदाता न इसे स्वयं भरने के पश्चात् अथवा मेरी उपस्थिति में अन्य व्यक्ति द्वारा (निरक्षर व्यक्ति के मामले में) भरवाने के पश्चात् प्रस्तुत किया है.

....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी कार्यालय संचालक पी.आई.एम. भोपाल
CamScanner

प्ररूप 15

(नियम 156 तथा 169 देखिये)

कार्यवाही पुस्तक

तारीख	उपस्थित पंचों के नाम	किया गया कार्य	सभापति या अध्यक्ष के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप 16

(नियम 169 देखिये)

पंचायत निधि लेखा पुस्तक

प्राप्ती की तारीख	रसीद क्रमांक	किससे तथा किस हेतु प्राप्त	रकम रु. पै.	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

देनगियां

देनगी की तारीख	वाउचर क्रमांक	किसे तथा किस हेतु चुकाया गया	रकम रु. पै.	टिप्पणियां
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रत्येक माह की समाप्ति पर यह लेखा बंद किया जाना चाहिये तथा इसकी रोकड़ निकाली जाना चाहिये तथा उस पर सरपंच द्वारा और यदि सरपंच साक्षर न हो तो उसकी ओर से साक्षर पंच द्वारा हस्ताक्षर किये जाना चाहिये.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
CamScanner

प्ररूप १७

(नियम १६६ देखिये)

रसीद पुस्तक

पुस्तक क्रमांक ..... रसीद क्र.... पुस्तक क्र. ....रसीद क्र.....

दिनांक ....१६... दिनांक ....१६ ....

कार्य का नाम .... कार्य का नाम ....

स्थान .... स्थान ....

श्री .... आत्मज .... श्री .... आत्मज ....

जाति ....से जाति ....से

रुपये (शब्दों में तथा अंकों में) ....के हेतु प्राप्त हुए. रुपये (शब्दों में तथा अंकों में) ....के हेतु प्राप्त हुए.

....

सरपंच के हस्ताक्षर सरपंच के हस्ताक्षर.

दिनांक........... दिनांक...........

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CS CamScanner

प्रारूप 18

(नियम 171 देखिये)

.... के सिंचित ग्रामों के लिये नियुक्त किये गये, सरपंचों तथा पंचों के नाम दर्शानेवाला रजिस्टर

कार्य का नाम ....

डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम तथा क्रमांक	क्रमांक	पटवारी वृत्त सहित ग्रामों के नाम	सरपंचों के नाम	पंचों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

CamScanner

प्रपत्र 19

(नियम 172 देखिये)

शुदकार खसरा सिंचाई ग्राम · · · · · · · · · · · · तहसील · · · · · · · · · · जिला · · · · · · संवत् · · · · वर्ष · · · ·

तालाब, नहर व निकास आदि का नाम	क्रमांक	खाता क्रमांक	सर्वे क्रमांक	बंदोबस्त का क्षेत्र	कृषकों के नाम, पिता का नाम तथा जाति, निवास आदि	सिंच्य क्षेत्र का विवरण		
						सूखा	आर्द्र	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

करार के ब्यौरे			फसल खरीफ — सिंचाई के ब्यौरे — फलो (तोड़) सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र			प्राइवेट उद्‌वहन सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र		
क्रमांक व दिनांक	क्षेत्र	फसल (जिंस)	एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत क्षेत्र	एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत क्षेत्र
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

संक्षिप्त

फसल (जिंस) का नाम	दर	क्षेत्र			
		एकल दर	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर	अप्राधिकृत	निर्धारित रकम

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी कार्यालय संचालक पी.आई.एम. भोपाल
CamScanner

शासकीय उद्वहन सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र							
एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत दर क्षेत्र	योग	निमज्जित क्षेत्र	फसल (जिस)	जलकर	निर्धारित रकम
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CS CamScanner

सिंचाई के ब्यौरे

करार के ब्यौरे			फ्लो सिंचाई (तोड़) के अन्तर्गत क्षेत्र			प्राइवेट उद्वहन सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र			शासकीय उद्वहन सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र		
क्रमांक तथा दिनांक	क्षेत्र	फसल (जिंस)	एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत क्षेत्र	एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत क्षेत्र	एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत दर क्षेत्र
(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)

संक्षिप्ति

फसल (जिंस) का नाम	दर	क्षेत्र			
		एकल दर	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर	अप्राधिकृत क्षेत्र	निर्धारित रकम

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
CamScanner

योग	निर्मज्जित	फसल (जिंस)	जल कर	निर्धारित रकम	करार के ब्यौरे			फ्लोसिंचाई (तोड़) के अन्तर्गत क्षेत्र		
					क्रमांक तथा दिनांक	क्षेत्र	फसल जिंस	एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत क्षेत्र
(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

CamScanner

प्रतिरिक्त फसल

सिंचाई के ब्यौरे

प्राइवेट उद्वहन के अन्तर्गत क्षेत्र			शासकीय उद्वहन के अन्तर्गत क्षेत्र			योग	निर्मज्जित	फस… (जिस…	
एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत क्षेत्र	एकल दर क्षेत्र	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर क्षेत्र	अप्राधिकृत क्षेत्र				
(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59…

संक्षिप्ति

फसल (जिस) का नाम	दर	क्षेत्र		
	एकल दर	दस प्रतिशत अतिरिक्त दर	अप्राधिकृत क्षेत्र	निर्धारित रकम

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

प्ररूप 20

(नियम 173 देखिये)

सिचाई परचा (बिल)

करार शुदा/मांग/अप्राधिकृत

ग्राम का नाम——— तहसील——— जिला——— फसल——— वर्ष——— संवत———

कृषक का नाम पूर्ण ब्यौरे सहित——— जारी करने की तारीख———

खाता क्रमांक	सर्वेक्षण क्रमांक	सिचाई के ब्यौरे			दर	शोध्य रकम	माफी की रकम	शोध्य शुद्ध रकम	गत वर्ष की बकाया का आकार	कालम नं. 9 व 10 का योग	टिप्पणियां
		सिचाई का प्रकार	क्षेत्र	पदार्थ							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

अमीन के हस्ताक्षर

अनुभाग अधीनस्थ के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

CamScanner

अनुदेश

1. करार के अनुसार अथवा मांग पर अथवा अप्राधिकृत सिंचन जल बरबादी एवं अन्यथा की गई जलपूर्ति से संबंधित किसी गलत प्रविष्टि के संबंध में आपत्तियाँ अनुभाग अधीनस्थ को पर्चा प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिये. याचिका के साथ पर्चा भेजना आवश्यक है.

2. सिंचाई निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील, नियमों के अनुसार यथास्थिति नहर डिप्टी कलेक्टर, उपखंडीय अधिकारी अथवा कार्यपालक यंत्री को लिखित रूप में ऐसे आदेश की तारीख से 10 दिनों के भीतर की जानी चाहिये.

3. कार्यपालक यंत्री के आदेश के विरुद्ध अपील कलेक्टर को ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जा सकेगी.

4. दखलकार को सिंचाई पंचायत अथवा सिंचाई कर्मचारियों से, जिसे भी भुगतान किया गया हो, सिंचाई पुस्तिका में रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिये. इनकार करने या रसीद न देने की स्थिति में कार्यपालक यंत्री को 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिये.

प्ररूप 21

(नियम 173 देखिये)

सिंचाई पर्चा (बिल) के परिदान की सूची

ग्राम का नाम------------तहसील------------जिला------------फसल------------वर्ष ------------

क्रमांक	दखलकार का नाम, पूर्ण विशिष्टियों सहित	परिदान की तारीख	पर्चा लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान तथा तारीख	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

Scanned with CamScanner

प्ररूप 22

(नियम 174 देखिये)

सिचाई जमाबंदी लेजर ग्राम .... तहसील ...., जिला ...., वर्ष .... संवत् .... तालाब/नहर के संबंध में

क्रमांक	कृषक का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवास स्थान आदि	सिंचाई क्रमांक	खसरा सर्वे क्रमांक	सैंच्य क्षेत्र	.... की दर से कालम क्रमांक ५ के क्षेत्र पर निर्धारित सिंचाई उपकर	निर्धारित रकम के ब्यौरे							
						खरीफ की फसल				रबी की फसल			
						सिंचाई का प्रकार	क्षेत्र	दर	शोध्य रकम	सिंचाई का प्रकार	क्षेत्र	दर	शोध्य रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(92)	(13)	(14)

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

अतिरिक्त फसल				निर्धारित कुल रकम कालम क्रमांक (6)			प्रचलित वर्ष की वसूली के ब्यौरे			बकाये के ब्यौरे प्रचलित वर्ष			वर्ष की समाप्ति पर शेष			
सिंचाई	क्षेत्र का प्रकार	दर	शोध्य रकम	सिंचाई उपकर कालम क्रमांक (6)	जल कर 10+14+18	योग 19+20	जलकर	सिंचाई उपकर	योग	जलकर	सिंचाई उपकर	योग	वर्ष	जलकर	उपकर	योग
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)

कुल बकाया			बकायाओं की वसूली के ब्यौरे				टिप्पणियां
जलकर	सिंचाई उपकर	योग	जलकर	सिंचाई उपकर	योग	चालान क्रमांक व दिनांक	
(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भो...

CamScanner

प्रस्प 23

(नियम 174 देखिये)

किस्तबंदी खतौनी

कार्य का नाम............तहसील..................जिला..................,वर्ष..........

फसल............अमीन हल्का, पटवारी हल्का......ग्राम का नाम..................

खाता क्रमांक	दखलकार का नाम	शोध्य रकम			माफ की गई रकम			बकाया शोध्य			संग्रहित रकम			भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम
		जलकर	सिंचाई उपकर	योग	जलकर	सिंचाई उपकर	योग	जलकर	सिंचाई उपकर	योग	जलकर	सिंचाई उपकर	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

भुगतान का दिनांक	खजाने में भुगतान				भुगतान का दिनांक	चालान क्रमांक तथा दिनांक	15 मार्च / को बकाया रकम			बकाया में से वसूल की गई रकम, दिनांक तथा चालान क्रमांक सहित	टिप्पणियां
	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की गई रकम									
		जलकर	सिंचाई उपकर	योग			जलकर	सिंचाई उपकर	योग		
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

CamScanner

प्ररूप 24

(नियम 174 देखिए)

किस्तबंदी खतौनी की संक्षिप्ति

तहसील का नाम......,रबी ...., वर्ष........., संवत ....,
खरीफ........... वर्ष........ संवत् ....

कार्य का नाम	अमीन हल्का	पटवारी हल्का	ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

शोध्य रकम			माफी की रकम		
जलकर	सिंचाई उपकर	योग	जलकर	सिंचाई उपकर	योग
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

बकाया जो वसूल की जानी है		
जलकर	सिंचाई उपकर	योग
(11)	(12)	(13)

वसूली की गई रकम के ब्यौरे			खजाने में भुगतान की गई रकम का चालान क्रमांक तथा दिनांक
जलकर	सिंचाई उपकर	योग	
(14)	(15)	(16)	(17)

भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	शोध्य बकायाओं के ब्यौरे			टिप्पणियां
	जलकर	सिंचाई उपकर	योग	
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

CS CamScanner

प्ररूप 25

(नियम 175 देखिये)

तहसील................; जिला................., वर्ष........, संभाग..........क संबंध में आपत्तियों का रजिस्टर

क्रमांक	गांव के तालाब या नहर का नाम	आपत्ति कर्ता का नाम	आपत्ति के ब्यौरे	जारी किये गये पर्चे की तारीख	आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख	निर्णय की तारीख	
						स्वीकृत	नामंजूर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्वीकृति की दशा में कम किया गया क्षेत्र तथा रकम		अपील, यदि कोई हो, का परिणाम			कम किया गया कुल क्षेत्र तथा रकम		टिप्पणियां
			कुल कटौती				
क्षेत्र	रकम	आदेश की तारीख तथा न्यायालय का नाम	क्षेत्र	रकम	कुल क्षेत्र कालम (9) तथा (12)	कुल रकम कालम (10) तथा (13)	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एस.
भोपाल

CamScanner

प्रारूप 26
(नियम 187)

जलकर व्यतिक्रमियों की सूची

पटवारी वृत्त क्रमांक ....

कार्य का नाम .... तहसील ....

ग्राम का नाम ....

[अमीन द्वारा केवल कालम (1) तथा (5) भरे जायेंगे]

ग्राम से शुद्ध मांग अर्थात् सकल मांग ऋण माफी	पंचायत द्वारा ग्राम से वसूल की गई रकम	ग्राम से शेष शोध्य	व्यतिक्रमी का नाम, पिता के नाम तथा जाति सहित	व्यतिक्रमी से शोध्य बकाया	आदेशिका फीस	कालम (5) तथा (6) का योग	वसूल की गई रकम	चालान क्रमांक तथा तारीख	टिप्पणियां संग्रहण के अधिक ब्यौरे, नहर डिप्टी कलेक्टर द्वारा लाल स्याही से भरे जायेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.		रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.		

....

नहर डिप्टी कलेक्टर क हस्ताक्षर.

प्रमाणित किया जाता है कि कालम (5) में वर्णित धनराशियां कालम (4) में वर्णित व्यक्तियों से शोध्य है. निवेदन है कि ये धनराशियां मध्यप्रदेश इर्रीगेशन एक्ट, 1931 की धारा 61 के अधीन भू-राजस्व क बकायाओं की भांति वसूल की जायें.

....

कार्यपालक यंत्री के हस्ताक्षर.

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भो...

CamScanner

प्ररूप 27

(नियम 188 देखिये)

पंचायत के सरपंचों, सदस्यों तथा पटेलों को संग्रहण के लिये देय कमीशन का विवरण

कार्य का नाम ....

किस्त ....

ग्राम का नाम	प्रत्येक ग्राम की पंचायत द्वारा खजाने में भुगतान की गई कुल रकम [प्ररूप (ङ) का कालम (10)]	प्रत्येक ग्राम में शोध्य कुल कमीशन	पंचायत के सरपंच तथा सदस्यों के नाम	पंचायत के प्रत्येक सरपंच तथा सदस्यों को देय रकम	भुगतान की गई रकम हेतु प्राप्तिकर्ता की अभिस्वीकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल
CamScanner

प्रपत्र 28

(नियम 188 देखिये)

पंचों को भुगतान किया गया कमीशन.

डिस्ट्रिब्यूटरी का क्र. अथवा तालाब का नाम	ग्राम का नाम	सरपंच तथा पंचों के नाम	सिचाई के पर्यवेक्षण के लिये कमीशन की रकम			भुगतान करने वाले उपखंडीय अधिकारी के हस्ताक्षर, भुगतान की तारीख सहित	दी गई रकम के लिये प्राप्तिकर्ता की अभिस्वीकृति
			निर्धारित क्षेत्र	प्रत्येक पंच की देय अधिकतम रकम	सरपंच द्वारा मंजूर की गई रकम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.

CamScanner

प्ररूप 29

(नियम 194 तथा 190 देखिए)

जल मार्गों की जांच पड़ताल के लिये आवेदन-पत्र

हम,.......................ग्राम / महाल / चक की भूमि, जो उस ग्राम / महाल / चक के सिंचाई करार के अन्तर्गत आती है, के अस्थायी भूमिधारक, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये गये ब्यौरों के अनुसार उन जल मार्गों की, जिनका निर्माण तथा अनुरक्षण संविदा के प्ररूप 28 में कथित निबंधनों के अध्यधीन है, पद्धति की जांच-पड़ताल के लिये आवेदन करते हैं.

प्ररूप 30

(नियम 196 देखिये)

जल मार्गों के निर्माण के लिये संविदा

हम.........................,ग्राम / महाल / चक की भूमि, जो उस ग्राम / महाल चक के सिंचाई करार के अन्तर्गत आती है, के स्थाई भूमि धारक एतद्द्वारा मध्यप्रदेश इरींगेशन एक्ट, 1931 की धारा 65 के अधीन उक्त ग्राम के संलग्न ग्राम नक्शे में दर्शाए गये अनुसार उक्त ग्राम नक्शे में के जल मार्गों या जल मार्ग पद्धति का निर्माण निम्नलिखित निबंधनों पर किये जाने के लिए सहमत हैं :—

(1) राज्य सरकार जल मार्ग या जल मार्ग पद्धतियों का निर्माण करायेगी तथा निर्माण की लागत वहन करेगी.

(2) हम, जल मार्गों के समुचित अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी रहेंगे तथा हम सिंचाई पंचायत के निदेश तथा कार्यपालक यंत्री के अनुदेशों के अधीन उनकी मरम्मत और अनुरक्षण करेंगे.

(3) यदि कार्यपालक यंत्री द्वारा धारा 73(ए) के अधीन ग्राम में किसी जल मार्ग या जल मार्ग पद्धति की उसके समाधान पर्यन्त मरम्मत करने की अपेक्षा की उद्घोषणा किये जाने के पश्चात् हम मरम्मत न करें, या मरम्मत कराने से इन्कार करें या जिस रीति से मरम्मत करवायी गई हो, उससे कार्यपालक यंत्री का समाधान न हो, तो वह :—

(क) धारा 73 (बी) के अधीन कार्यवाही करते हुए उस जल मार्ग पद्धति को या किसी जल मार्ग को, जिसकी मरम्मत समाधान प्रद रीति से नहीं करवाई गई हो, जल का प्रदाय करना बंद कर सकेगा, तथा

(ख) धारा 73(सी) के अधीन कार्यवाही करते हुए मरम्मत करवायेगा तथा स्थाई भूमिधारकों अथवा संबंधित दखलकारों से, उनके द्वारा धारित ऐसे क्षेत्रों के अनुपात में जिनकी सिंचाई सामान्यतः किसी सिंचाई करार के अधीन ऐसे जल मार्ग या जल मार्ग पद्धति से की जाती हो अथवा की जा सकती हो, ऐसी रकम का संग्रहण करेगा जो उसकी लागत के दुगुने से अधिक नहीं होगी :

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

CamScanner

परन्तु यह की जब हमारा ग्राम/महाल/चक किसी सिंचाई करार के अधीन न रहे, तो अपने जल मार्गों का अनुरक्षण किया जाना तब तक हमसे अपेक्षित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पुनः करार के अधीन न आ जाये, जब कि हम उन्हें समाधानप्रद रीति में मरम्मत की स्थिति में रखने के लिये आबद्ध हो जायेंगे और ऐसा न करने पर हम ऊपर विहित शक्तियों के दायी होंगे.

(4) यदि हम अपने जल मार्गों को समुचित मरम्मत की स्थिति में रखने में लगातार असफल रहे तो अधीक्षण यंत्री हमें इस आशय की एक महीने की सूचना देने के पश्चात् हमारे दीर्घकालिक सिंचाई करार को धारा 56 के अधीन रद्द कर सकेगा.

(5) हम यह जानते हैं कि किसी जल मार्ग से सिंचाई केवल उस जल मार्ग के कतिपय विनिर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकती है. यदि विनिर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से प्रदाय लिया गया, तो कार्यपालक यंत्री हमारे ग्राम को ऐसी कालावधि के लिये जैसी कि वह उचित समझें, जल प्रदाय बंद कर सकेगा.

(6) खंड 3 या 5 के अधीन प्रदाय बंद कर दिये जाने से नहर राजस्व का भुगतान करने का हमारे दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

स्थायी धारकों के हस्ताक्षर या चिन्ह

प्ररूप 31

(नियम 197 देखिए)

मैं .... तालाब/जल सारणी का कार्यपालक यंत्री/उपखंडीय अधिकारी / नहर डिप्टी कलेक्टर एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि .... का दौरा करने पर, जिसकी तारीख ग्रामवासियों को सम्यक् रूप से अधिसूचित कर दी गई थी. मैंने संबंधित ग्राम / महाल / चक की भूमि के स्थायी भूमि धारकों द्वारा जो प्रस्तावित जल मार्ग संविदा से यदि वह प्रतिगृहीत कर ली गई, प्रभावित होंगे, उठायी गयी समस्त आपत्तियों को सुना, और यह पाया कि इस उदघोषणा के विरुद्ध कोई कारण नहीं दर्शाया गया है कि उक्त संविदा उक्त ग्राम / महाल / चक की सैच्य भूमि के समस्त भूमिधारकों पर आबद्धकर होगी तथा मैं यह सिफारिश करता हूं कि इसे राज्य सरकार द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया जाये.

....

कार्यपालक यंत्री / उपखंडीय अधिकारी /
नहर डिप्टी कलेक्टर के हस्ताक्षर.

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
सत्य प्रतिलिपि
CamScanner

प्ररूप 32

(नियम 197 देखिए)

मध्यप्रदेश इर्रीगेशन एक्ट, 1931 की धारा 68 तथा 66 के अनुसरण में, मैं, एतद्द्वारा, राज्य सरकार की ओर से, उपरोक्त जल मार्ग संविदा प्रतिग्रहीत करता हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि यह .... ग्राम / महाल / चक की सैच्य भूमि के समस्त स्थायी भूमिधारकों पर बाधयकर होगी.

....

कार्यपालक यंत्री.

प्ररूप 33

(नियम 246 देखिए)

मध्यप्रदेश शासन

सिंचाई विभाग

प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट

(1) रिपोर्ट क्रमांक ....दिनांक................मास.........
वर्ष 19....

(2) अपराधकर्ता का नाम,
पिता का नाम,
जाति व निवास स्थान
आदि.

(3) अपराध का प्रकार,
मध्यप्रदेश इर्रीगेशन एक्ट की धारा 94
की उपधारा.............. के अधीन

(4) अपराध का स्थान ....

(5) अपराध का दिनांक..........

(6) समपहृत माल के ब्यौरे तथा की गई
अग्रिम कार्यवाही ....

सत्य प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
भोपाल

CamScanner

(7) साक्षियों के नाम तथा पत्ते

....

....

....

अधिदर्शक/ सिंचाई निरीक्षक....................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है.

....

अनुभाग अधीनस्थ.

उपखंडीय अधिकारी / नहर डिप्टी कलेक्टर....................की ओर विवरणों आदि के साथ आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है.

....

अधिदर्शक / सिंचाई निरीक्षक.

अग्रिम प्रतिलिपि श्रीमान् कार्यपालन यंत्री, सिंचाई खंड................की ओर सूचनार्थ.
[केवल धारा 94 की उपधारा (ए), (बी), (सी) के लिये.]

....

अनुभाग अधीनस्थ.

टिप्पण.—यह रिपोर्ट अपराध घटित होने से 24 घंटे के भीतर उच्च अधिकारी को भेजी जानी चाहिये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 1975.

क्र. 1-1-सा-73-तैंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1-1-सा-73-तैंतीस, दिनांक 3 अप्रैल 1975 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. मिश्रा, उपसचिव.

सत्य प्रतिलिपि
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की गई।
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय संचालक पी.आई.एम.
CamScanner